3: विनियोग लेखे: 2013-14

3.1 संवैधानिक प्रावधान

लोक सभा द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के अंतर्गत अनुदान हेतु मांगों के पारित होने के तुरंत बाद, सरकार अनुच्छेद 114 के अधीन भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) में से विनियोग के लिए एक विनियोग बिल प्रस्तुत करती है। संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम, सरकार को विशिष्ट सेवाओं के लिए भा.स.नि. से उपयुक्त विशिष्ट राशियों के विनियोग का प्राधिकार देता है। संसद, संविधान के अनुच्छेद 115 के अंतर्गत अनुवर्ती विनियोग अधिनियमों द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान भी संस्वीकृत करती है। विनियोग अधिनियमों में अनुच्छेद 114 तथा 115 के नियमानुसार विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत संसद द्वारा दत्तमत की गई सेवाओं पर संवितरण तथा अनुच्छेद 112(3) के साथ-साथ अनुच्छेद 273, 275(1) तथा 293(2) के अनुसार भा.स.नि. को प्रभारित किए गए संवितरण को प्राधिकृत किया गया है। सरकार प्रत्येक वर्ष विभिन्न सेवाओं पर उसके द्वारा वास्तव में व्यय की गई सकल राशि तथा विनियोग अधिनियमों द्वारा प्राधिकृत किए गए व्यय के विवरणों को दर्शाते हुए विनियोग लेखे तैयार करती है।

लेखा महानियंत्रक (ले.म.नि.) सिविल मंत्रालयों के 99 अनुदानों एवं विनियोजनों के संबंध में विनियोग लेखे तैयार करता है। रक्षा मंत्रालय, रेल तथा डाक विभाग अपने स्वयं के अनुदानों के विनियोग लेखे तैयार करते हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक प्रत्येक वर्ष संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत अपने प्रतिवेदन सहित सरकार के कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सिविल, रक्षा, डाक तथा रेलवे के संबंध में चार विनियोग लेखे राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। 2013-14 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के अनुदानों तथा विनियोगों के लिए मांगों का विवरण निम्नानुसार था:

मंत्रालय	अनुदानों/विनियोगों के लिए मांगों की संख्या
सिविल	99
रक्षा सेवाएं	6
डाक सेवाएं	1
रेलवे	16
योग	**122**

इस प्रतिवेदन में विनियोग लेखाओं (सिविल, डाक तथा रक्षा सेवाएं), पर लेखापरीक्षा टिप्पणियॉ निहित होती हैं जिनमें आवंटन से अधिक व्यय, जिसके लिए संसद द्वारा विनियमन आवश्यक हो, अव्ययित प्रावधान जिसके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, अनियमित तथा अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन, कुछ मंत्रालयों द्वारा आवश्यकता के बिना किए गए अनुपूरक प्रावधान, अव्यवहारिक बजट तथा दो चयनित मंत्रालयों में सहायता अनुदान पर किए गए व्यय के संबंध में विस्तृत अभ्युक्तियों के विश्लेषण शामिल होते हैं। क्षेत्रीय विशिष्टताओं की बेहतर विवेचना की सुविधा हेतु सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक तथा रक्षा सम्बन्धी अनुदानों/विनियोगों पर व्यापक रूप से विचार किया गया है। विनियोग प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार रेलवे विनियोगों के हवाले दिए गए हैं। तथापि, रेलवे विनियोग पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष, 2013-14 को समाप्त वर्ष से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पृथक रूप से उपलब्ध है।

3.2 2013-14 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों तथा बचतों का सारांश

नीचे दिया गया **चार्ट 3.1** वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक, रेलवे तथा रक्षा के मध्य व्यय के वितरण को दर्शाता है। जैसा कि चार्ट से देखा जा सकता है कि 91.21 *प्रतिशत* तक का अधिकतम व्यय सिविल मंत्रालयों द्वारा, रेलवे द्वारा 4.64 *प्रतिशत*, रक्षा द्वारा 3.84 *प्रतिशत* किया गया था जबकि कुल सकल व्यय का 0.31 *प्रतिशत* डाक द्वारा किया गया।

चार्ट 3.1: वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों, रेलवे, डाक तथा रक्षा सेवाओं के मध्य व्यय का ब्यौरा

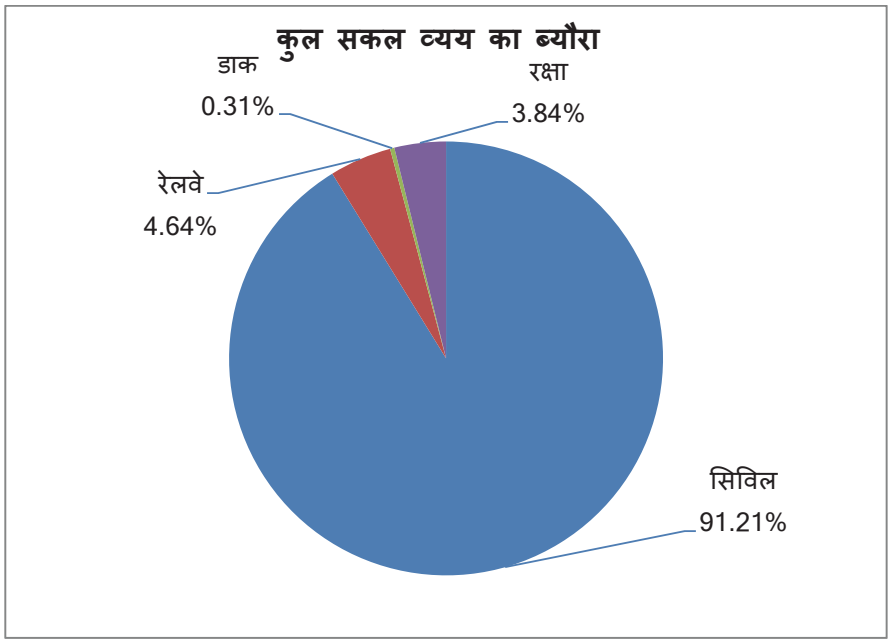

तालिका 3.1 वर्ष 2013-14 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों, रेलवे, डाक तथा रक्षा के मध्य व्यय का ब्यौरा दर्शाती है।

तालिका 3.1- वर्ष 2013-14 के दौरान प्रभारित एवं दत्तमत के अन्तर्गत व्यय

(₹ करोड़ में)

सिविल		रेलवे		डाक		रक्षा		कुल	
49,90,058		2,53,939		17,066		2,09,788		54,70,851	
दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
1014393	3975665	253580	359	17065	1	209575	213	**1494613**	**3976238**
20.33%	79.67%	99.86%	0.14%	99.99%	0.01%	99.90%	0.10%	**27.32%**	**72.68%**

नीचे **तालिका 3.2** वर्ष 2013-14 के दौरान सरकार के कुल प्रावधान (प्रभारित तथा दत्तमत दोनों) तथा संवितरण दर्शाती है। **अनुबंध 3.1** में सिविल मंत्रालयों, डाक, रेलवे तथा रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं के सारांश के ब्यौरे प्रस्तुत हैं।

तालिका 3.2: 2013-14 के दौरान प्रावधान तथा संवितरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	कुल प्रावधान	संवितरण	बचत(-) आधिक्य(+)	कुल प्रावधान की तुलना में बचत/आधिक्य की प्रतिशतता
सिविल	5715817.89	4990057.83	(-) 725760.06	12.70
डाक	17310.37	17065.68	(-) 244.69	1.41
रक्षा सेवाएं	217648.54	209788.52	(-) 7860.02	3.61
रेलवे	264394.88	253938.75	(-) 10456.13	3.95
कुल योग	**6215171.68**	**5470850.78**	**(-) 744320.90**	**11.98**

सिविल मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत, ₹7,25,760 करोड़ की निवल बचत सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबंधित 99 विनियोगों/अनुदानों में ₹7,25,800 करोड़ की बचत तथा तीन विनियोगों/अनुदानों के अंतर्गत ₹39.59 करोड़ के अधिक व्यय के कारण थी।

₹7,25,800 करोड़ के समग्र बचत में से सिविल मंत्रालयों/विभागों में अनुदान संख्या 38 विनियोग-ऋणों के पुनर्भुगतान के अंतर्गत पूँजीगत (प्रभारित) खण्ड में (₹5,02,957 करोड़), अनुदान संख्या 33-आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत पूंजीगत (दत्तमत) में (₹63,463 करोड़), अनुदान संख्या 36-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अन्तरण के अंतर्गत राजस्व (दत्तमत/प्रभारित) खण्डों में (₹25,928 करोड़), अनुदान संख्या 83- ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राजस्व (दत्तमत) खण्ड में (₹15,817 करोड़), अनुदान संख्या 34- वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत पूँजीगत (दत्तमत) खंड (₹14,017 करोड़) में, अनुदान संख्या 59 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत राजस्व (दत्तमत) खण्ड (₹10,153 करोड़) में तथा अनुदान संख्या 42- राजस्व विभाग के अंतर्गत राजस्व (दत्तमत) खण्ड (₹7,537 करोड़) में भारी बचतें हुई थीं।

₹39.59 करोड़ के समग्र अधिक व्यय में से, अनुदान संख्या 20- रक्षा मंत्रालय (राजस्व दत्तमत) में ₹35.89 करोड़, अनुदान संख्या-21 रक्षा पेंशन (राजस्व

प्रभारित) में ₹0.75 करोड़ तथा अनुदान संख्या 32- विदेश मंत्रालय (पूँजीगत दत्तमत) में ₹2.95 करोड़ का अधिक व्यय दर्ज हुआ।

सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 99 अनुदानों के 201 खण्डों में बचतें और तीन अनुदानों के तीन खण्डों में आधिक्य; डाक विभाग के तीन खण्डों में बचतें; रेलवे[1] के 14 खण्डों में बचतें और 19 खण्डों में आधिक्य तथा रक्षा सेवाओं के आठ खण्डों में बचतें तथा चार खण्डों में आधिक्य थे। **अनुबंध 3.2** बचतों और आधिक्य के सार को दर्शाता है।

3.3 प्रभारित तथा दत्तमत संवितरण

संविधान के अनुच्छेद 112(2) के अनुसार, प्रभारित एवं दत्तमत व्यय के बीच एक अन्तर बनाया गया है। प्रभारित व्यय वह व्यय हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 112(3), 273, 275(1) तथा 293(2) में परिभाषित किया गया है। प्रभारित व्यय के अनुमानों को संसद के मत के अधीन नहीं लाया जा सकता जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 113(1) में निर्धारित है, परंतु संसद के किसी भी सदन में उस पर चर्चा की जा सकती है। **अनुबंध 3.3** में 2000-2014 के वर्षों के लिए सिविल मंत्रालयों/विभागों की प्राधिकृत मांगों (अनुदान तथा विनियोग) के प्रति किए गए वास्तविक संवितरणों का विवरण दिखाया गया है। इन वर्षों के दौरान, सिविल मंत्रालयों/विभागों के कुल संवितरणों के 70 *प्रतिशत* से 81 *प्रतिशत* तक भारत की समेकित निधि को प्रभारित थे।

2013-14 के दौरान, सिविल मंत्रालयों/विभागों के अन्तर्गत ₹49,90,058 करोड़ के कुल संवितरण 2012-13 के दौरान किए गए ₹47,93,466 करोड़ के कुल संवितरण की तुलना में ₹1,96,592 करोड़ अधिक थे। यह 2000-01 के ₹5,66,042 करोड़ से 782 *प्रतिशत* अधिक था। प्रभारित संवितरण 2000-01 के ₹4,05,289 करोड़ से 881 *प्रतिशत* बढ़ कर 2013-14 में ₹39,75,665 करोड़ हो गए तथा उसी अवधि में दत्तमत संवितरण ₹1,60,753 करोड़ से

[1] रेलवे के अनुदान सं. 16- के चार राजस्व तथा चार प्रभारित खण्ड हैं।

531 *प्रतिशत* बढ़ कर ₹10,14,393 करोड़ तक हो गए थे। 2013-14 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों के प्रभारित संवितरण कुल संवितरणों के 80 *प्रतिशत* थे।

मुख्य प्रभारित संवितरणों में, ₹35,11,291 करोड़ के विनियोग ऋण पुनर्भुगतान, ₹3,95,200 करोड़ के विनियोग ब्याज भुगतान तथा राज्य तथा संघ शासित सरकारों को ₹64,904 करोड़ के अंतरण सम्मिलित थे। चूंकि प्रभारित संवितरण के अनुमान संसद के मतदान के अधीन नहीं हैं, इसलिए संसद द्वारा प्रभावी वित्तीय नियंत्रण की गुंजाइश संघ सरकार सिविल मंत्रालयों/विभागों के कुल संवितरण के 20 *प्रतिशत* तक ही सीमित होती है। **चार्ट 3.2**, 2009-10 से 2013-14 के दौरान पिछले पांच वर्षों में संघ सरकार में दत्तमत व्यय से प्रभारित व्यय की अधिकता को प्रकट करता है। तथापि सिविल, डाक, रक्षा सेवाएं और रेलवे को शामिल करते हुए, वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान भा.स.नि. से ₹54,70,851 करोड़ के कुल संवितरणों की पृष्ठभूमि के प्रति प्रभारित संवितरण की प्रतिशतता 73 *प्रतिशत* (₹39,76,238 करोड़) थी।

चार्ट 3.2: वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान प्रभारित एवं दत्तमत खण्डों के अन्तर्गत व्यय

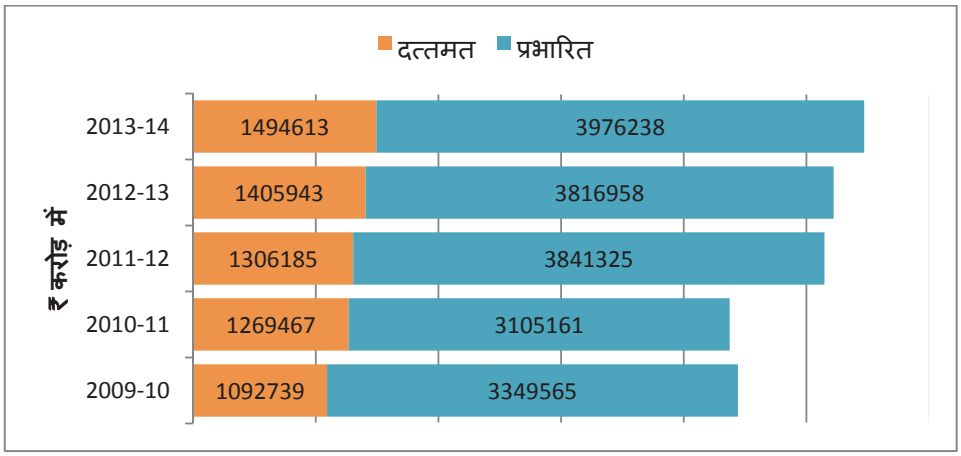

विनियोग लेखे 2013-14: एक विश्लेषण

3.4 अधिक संवितरण वाले अनुदान/विनियोग

संविधान के अनुच्छेद 114(3) के अनुसार विधि द्वारा पारित किए गए विनियोगों के अतिरिक्त, कोई भी धन भारत की समेकित निधि से आहरित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली 2005, के नियम 52(3) में अनुबंध है कि अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने या आकस्मिक निधि से अग्रिम को छोड़कर, कोई ऐसा संवितरण नहीं किया जाना चाहिए जिसके कारण किसी वित्तीय वर्ष के दौरान संसद द्वारा प्राधिकृत कुल अनुदान अथवा विनियोग से आधिक्य हो जाए। **तालिका 3.3** में 2013-14 के दौरान भा.स.नि. में से प्राधिकृत संवितरण से ₹3493,06,46,212 (₹3493.06 करोड़) के आधिक्य का सारांश दिखाया गया है। सिविल मंत्रालयों/विभागों में तीन अनुदानों/विनियोगों के तीन खण्डों में ₹39,59,09,662 (₹39.59 करोड़), रेलवे के 12 अनुदानों/विनियोगों के 19 खण्डों में ₹2719,75,41,729 (₹2,719.75 करोड़) तथा रक्षा सेवाओं के तीन अनुदानों के चार खण्डों में ₹733,71,94,821 (₹733.72 करोड़) का अधिक संवितरण था।

तालिका 3.3: अनुदानों/विनियोगों से अधिक संवितरणों का सार

(राशि ₹ में)

		सिविल	रक्षा	रेलवे
दत्तमत	राजस्व	35,88,89,749	732,85,99,990	1854,69,72,730
	पूंजीगत	2,95,32,970	--	829,68,15,639
प्रभारित	राजस्व	74,86,943	85,94,831	22,39,52,699
	पूंजीगत	--	--	12,98,00,661
अनुदान/विनियोगों की संख्या		3	3	12
खंड		3	4	19
कुल आधिक्य		**39,59,09,662**	**733,71,94,821**	**2719,75,41,729**
कुल योग		**3493,06,46,212**		

अधिक व्यय, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 115(1)(ख) के अंतर्गत नियमित करना आवश्यक था, के विस्तृत ब्यौरे **तालिका 3.4** में दिए गए हैं।

तालिका 3.4: अनुदानों/विनियोगों से अधिक संवितरण के विवरण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	आँकड़े ₹ में		मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
सिविल राजस्व (दत्तमत)				
1.	20-रक्षा मंत्रालय	अनुदान व्यय आधिक्य	15696,62,00,000 15732,50,89,749 35,88,89,749	कारण प्रतीक्षित हैं। (मार्च 2015).
राजस्व (प्रभारित)				
2.	21-रक्षा पेंशन	विनियोग व्यय आधिक्य	4,23,00,000 4,97,86,943 74,86,943	मुख्यत: माननीय न्यायालय (सशस्त्र बल न्यायाधिकरण) की डिक्री के अनुपालन जो एक बाध्य व्यय है, के कारण।
पूंजीगत (दत्तमत)				
3.	32-विदेश मंत्रालय	अनुदान व्यय आधिक्य	1893,50,00,000 1896,45,32,970 2,95,32,970	आधिक्य विनिमय दर परिवर्तन के कारण था।
रेलवे राजस्व (दत्तमत)				
1.	05-मोटिव पावर की मरम्मत और अनुरक्षण	अनुदान व्यय आधिक्य	4397,04,93,000 4464,46,66,342 67,41,73,342	स्टॉक से भंडार का अधिक आहरण, मजदूरी तथा सामग्रियों पर अधिक व्यय, अधिक आवधिक मरम्मत (आ.म.) क्रियाकलापों के कारण अधिक वर्कशॉप डेबिटों का समायोजन तथा वर्ष के दौरान अनुमान से अधिक संविदात्मक भुगतान करना।
2.	06-सवारी डिब्बों एवं मालडिब्बों की मरम्मत तथा अनुरक्षण	अनुदान व्यय आधिक्य	10233,23,60,000 10330,64,11,236 97,40,51,236	वर्ष के दौरान आ.म. को मजदूरी तथा सामग्री पर अधिक व्यय होना, वर्कशॉप डेबिटों का अधिक समायोजन, अनुमानों से अधिक संविदात्मक भुगतान करना।
3.	08- प्रचालन खर्चे- रॉलिंग स्टॉक तथा उपकरण	अनुदान व्यय आधिक्य	8692,35,17,000 8797,44,55,905 105,09,38,905	स्टाफ लागत, अधिक प्रत्यक्ष खरीद के प्रति अधिक व्यय करना तथा अनुमान से अधिक संविदात्मक दायित्वों का भुगतान करना।
4.	10-प्रचालन खर्चे- ईंधन	अनुदान व्यय आधिक्य	28530,66,41,000 29214,21,50,268 683,55,09,268	वर्ष के दौरान अनुमान से अधिक हाई स्पीड डीजल (एच एस डी) तेल की मूल लागत में वृद्धि, डीजल इंजनों के अधिक क्रियाकलापों हेतु एच एस डी तेल का अधिक उपभोग तथा बिक्री कर/उत्पाद शुल्क तथा अन्य करों एवं उदग्रहणों के प्रति अधिक व्यय होना।

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	आँकड़े ₹ में		मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
5.	13-भविष्य निधि, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	अनुदान व्यय आधिक्य	24797,13,12,000 25529,56,50,190 732,43,38,190	महंगाई भत्ते में वृद्धि होने के कारण पेंशन वितरण प्राधिकारियों से अधिक डेबिटों की प्राप्ति, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान- मामलों को अधिक संख्या में अंतिम रूप देना, पेंशन का चयन करने वालों को छुट्टी नकदीकरण तथा नव निर्दिष्ट अंशदान पेंशन योजना हेतु अनुमान से अधिक सरकार के योगदान के प्रति किया गया अधिक व्यय ।
6.	15-सामान्य राजस्वों को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए कर्जों का पुनर्भुगतान तथा पूंजीकरण से ऋण चुकाना .	अनुदान व्यय आधिक्य	7839,87,00,000 8008,66,61,789 168,79,61,789	रेलवे सम्मेलन समिति (2009) द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए अनुशंसित लाभांश की दर में 4 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक वृद्धि के कारण सामान्य राजस्वों को लाभांश का अधिक भुगतान।
राजस्व (प्रभारित)				
7.	*03*-सामान्य अधीक्षण एवं सेवाएं	विनियोग व्यय आधिक्य	*50,31,000* *88,78,888* *38,47,888*	अनुमान से अधिक आज्ञप्ति भुगतान किया जाना
8.	*04*-स्थाई मार्गों तथा निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा अनुरक्षण	विनियोग व्यय आधिक्य	*1,60,95,000* *2,34,41,216* *73,46,216*	
9.	*05*-चालन शक्ति की मरम्मत और अनुरक्षण	विनियोग व्यय आधिक्य	*0* *4,76,961* *4,76,961*	
10.	*06*-सवारी डिब्बों एवं माल डिब्बों की मरम्मत तथा अनुरक्षण	विनियोग व्यय आधिक्य	*2,00,000* *8,71,243* *6,71,243*	
11.	*07*-संयंत्र तथा उपकरण की मरम्मत तथा अनुरक्षण	विनियोग व्यय आधिक्य	*61,000* *61,385* *385*	
12.	*08*-परिचालन खर्चे - रोलिंग स्टॉक तथा उपकरण	विनियोग व्यय आधिक्य	*11,56,000* *51,52,570* *39,96,570*	

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	आँकड़े ₹ में		मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
13.	*09*-परिचालन खर्चे-ट्रैफिक	विनियोग व्यय आधिक्य	*3,75,000* *3,07,94,596* *3,04,19,596*	
14.	*10*- परिचालन खर्चे - ईंधन	विनियोग व्यय आधिक्य	*61,38,40,000* *78,92,23,182* *17,53,83,182*	
15.	*11*-स्टाफ कल्याण तथा सुविधाएं	विनियोग व्यय आधिक्य	*2,25,000* *3,97,553* *1,72,553*	
16.	*13*-भविष्य निधि, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	विनियोग व्यय आधिक्य	*58,07,000* *74,45,105* *16,38,105*	
पूंजीगत (दत्तमत)				
17.	16-परिसम्पत्ति अधिग्रहण, निर्माण तथा प्रतिस्थापन-पूंजीगत	अनुदान व्यय आधिक्य	69618,75,85,000 70448,44,00,639 829,68,15,639	वर्ष के दौरान अनुमान से अधिक भण्डार बिलों, अवशिष्ट निर्माणकार्यों तथा निर्माणकार्य की प्रगति को अनुरूप करने के लिए अन्य विविध खर्चे करने, नई रेल, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपरों पर अधिक व्यय दर्ज करने, अधिक डेबिटों का समायोजन, भारतीय रेल वित्त निगम के पास पट्टा परिसंपत्तियों के पूंजीगत घटक का भुगतान, मशीनरी एवं संयंत्र मदों का अधिक अधिप्रापण, कच्चे माल की कीमत में परिवर्तन, ईंधन की खपत में वृद्धि तथा एच एस डी तेल के प्रति अधिक व्यय, सामान्य उद्देश्यों हेतु भण्डार का अधिक अधिप्रापण/प्राप्तियॉ तथा विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे से भण्डारों के डेबिटों का समायोजन होना।
पूंजीगत (प्रभारित)				
18.	*16*-परिसम्पत्ति अधिग्रहण, निर्माण तथा प्रतिस्थापन पूंजीगत	विनियोग व्यय आधिक्य	*150,00,00,000* *162,15,62,239* *12,15,62,239*	अनुमान से अधिक आज्ञप्ति भुगतान किया जाना
19.	*16*-रेलवे निधि (मूल्यह्रास आरक्षित	विनियोग व्यय आधिक्य	*3,50,50,000* *4,32,88,422*	अनुमान से अधिक आज्ञप्ति भुगतान किया जाना

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	आँकड़े ₹ में		मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
	निधि, विकास निधि, पूंजीगत निधि)		*82,38,422*	
रक्षा सेवाएं राजस्व (दत्तमत)				
1.	23 - रक्षा सेवाएं - नौसेना	अनुदान व्यय आधिक्य	13331,12,00,000 13451,52,30,532 120,40,30,532	वेतन एवं भत्तों, पेट्रोल, तेल तथा लुब्रिकैंट्स, अनुरक्षण पर व्यय बढ़ने तथा यू.एस. में फाइटर पायलट प्रशिक्षण तथा अल्पकालिक तदर्थ पाठयक्रमों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए।
2.	24 - रक्षा सेवाएं- वायुसेना	अनुदान व्यय आधिक्य	19929,17,00,000 20115,89,28,987 186,72,28,987	वेतन एवं भत्तों, विमान तथा अन्य परिसंपत्तियों के अनुरक्षण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता, वायुवाहित तथा भूमि आधारित हथियारों की पुन:पूर्ति, कपड़ों तथा राशन मदों के अधिप्रापण, एविएशन टरबाइन फ्यूल का अधिप्रापण, बिजली तथा पानी के किराए पर बढ़ता हुआ व्यय, भवनों का अनुरक्षण, मरम्मत तथा रखरखाव, किराए, दर और करों के भुगतान के कारण।
3.	25 - रक्षा आयुध फैक्ट्रियॉं	अनुदान व्यय आधिक्य	3072,84,00,000 3498,57,40,471 425,73,40,471	छावनी प्रभारों हेतु आवश्यकता का बढ़ना
राजस्व (प्रभारित)				
4.	*25 - रक्षा आयुध फैक्ट्रियॉं*	विनियोग व्यय आधिक्य	*8,40,00,000* *9,25,94,831* *85,94,831*	न्यायालय मामलों का अनुमान से अधिक संख्या में निपटान होना।

अनुदान/विनियोग आंकड़ों में अनुपूरक अनुदान/विनियोग, यदि कोई हो तो, शामिल हैं।

रेलवे अनुदानों से संबंधित विस्तृत टिप्पणियाँ, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2013-14 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल की गई हैं।

3.5 अनुदानों में निरंतर आधिक्य

संवीक्षा में 2009-10 से 2013-14 तक की पाँच वर्षों की अवधि हेतु लगातार आधिक्य के पंजीबद्ध अनुदानों को लिया गया था। संवीक्षा से पता चला कि विश्लेषण के चार वर्षों की अवधि में से कम से कम दो वर्षों में तथा वर्ष 2013-14 में नौ अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 11 खंडों में निरंतर आधिक्य हुए थे। आवंटनों की तुलना में निरंतर आधिक्यों का अनुदानवार तथा वर्णवार विवरण नीचे **तालिका 3.5** में दिया गया है।

तालिका 3.5: अनुदानों/विनियोगों में निरंतर आधिक्य

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
सिविल पूंजीगत (दत्तमत)						
1.	32 - विदेश मंत्रालय-					
	आधिक्य	--	**26,97,65,506**	**7,23,26,294**	--	**2,95,32,970**
	व्यय		898,97,65,506	1398,23,26,294		1896,45,32,970
	अनुदान		872,00,00,000	1391,00,00,000		1893,50,00,000
सिविल राजस्व (प्रभारित)						
2.	21- रक्षा पेंशन-					
	आधिक्य	--	**10,74,960**	**28,54,467**	**3,99,60,400**	**74,86,943**
	व्यय		35,74,960	82,54,467	4,81,60,400	4,97,86,943
	विनियोग		25,00,000	54,00,000	82,00,000	4,23,00,000
रक्षा सेवाएं राजस्व (दत्तमत)						
3.	23-रक्षा सेवाएं- नौसेना					
	आधिक्य	**150,51,03,457**	**138,84,60,256**	--	--	**120,40,30,532**
	व्यय	9586,21,03,457	10141,36,60,256			13451,52,30,532
	अनुदान	9435,70,00,000	10002,52,00,000			13331,12,00,000

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
रेलवे						
राजस्व (दत्तमत)						
4.	05- चालन शक्ति की मरम्मत तथा अनुरक्षण					
	आधिक्य	**90,87,30,288**	**75,06,60,832**			**67,41,73,342**
	व्यय	3479,19,71,288	3423,60,13,832			4464,46,66,342
	अनुदान	3388,32,41,000	3348,53,53,000	--	--	4397,04,93,000
5.	06- सवारी डिब्बों एवं माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण-					
	आधिक्य	**164,57,39,230**	**221,08,77,978**			**97,40,51,236**
	व्यय	7857,06,14,230	7799,58,75,978			10330,64,11,236
	अनुदान	7692,48,75,000	7578,49,98,000	--	--	10233,23,60,000
6.	08- परिचालन खर्चे-रोलिंग स्टॉक एवं उपकरण-					
	आधिक्य	**36,30,60,599**	**189,88,89,127**		**28,17,03,579**	**105,09,38,905**
	व्यय	5983,59,00,599	6156,81,96,127		7888,94,97,579	8797,44,55,905
	अनुदान	5947,28,40,000	5966,93,07,000	--	7860,77,94,000	8692,35,17,000
7.	10 - परिचालन खर्चे- ईंधन -					
	आधिक्य	--	**398,08,55,127**	--	**658,82,43,046**	**683,55,09,268**
	व्यय		16771,04,34,127		22388,16,45,046	29214,21,50,268
	अनुदान		16372,95,79,000		21729,34,02,000	28530,66,41,000
8.	13- भविष्य निधि पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-					
	आधिक्य	**1512,38,96,979**	**1403,97,51,918**	**769,61,68,663**	**981,95,20,896**	**732,43,38,190**
	व्यय	16911,20,69,979	16352,71,21,918	18326,96,73,663	21558,67,20,896	25529,56,50,190
	अनुदान	15398,81,73,000	14948,73,70,000	17557,35,05,000	20576,72,00,000	24797,13,12,000

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
रेलवे						
राजस्व (प्रभारित)						
9.	*03-* सामान्य अधीक्षण और सेवाएं -					
	आधिक्य	***24,21,286***	***20,97,842***	***27,29,201***	***41,82,995***	***38,47,888***
	व्यय	*34,79,286*	*36,49,842*	*30,34,201*	*42,73,995*	*88,78,888*
	विनियोग	*10,58,000*	*15,52,000*	*3,05,000*	*91,000*	*50,31,000*
10.	*08-* परिचालन खर्चे-रोलिंग स्टॉक एवं उपकरण-					
	आधिक्य		***51,277***		***4,96,123***	***39,96,570***
	व्यय		*8,72,277*		*4,96,123*	*51,52,570*
	विनियोग	--	*8,21,000*	--	*0*	*11,56,000*
11.	*13* - भविष्य निधि, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-					
	आधिक्य			***4,09,113***	***15,63,329***	***16,38,105***
	व्यय			*62,67,113*	*73,83,329*	*74,45,105*
	विनियोग	--	--	*58,58,000*	*58,20,000*	*58,07,000*

कई अनुदानों में वर्ष-दर-वर्ष आधिक्य होना चिंता का विषय है। लोक लेखा समिति द्वारा आधिक्य के मामलों में कमी लाने की सिफारिश के बावजूद उक्त अनुदानों में निरंतर आधिक्य देखे गए हैं। मंत्रालयों/विभागों ने ठोस प्रयास नहीं किए तथा अधिक व्यय से बचने के लिए वित्तीय अनुशासन का पालन करने हेतु प्रभावी तंत्र विकसित नहीं किए थे।

3.6 लघु/उपशीर्ष-वार आधिक्य व्यय

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 58(1) के अनुसार व्यय वहन करने वाले अधीनस्थ प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि उसके अधीन रखे गए आवंटन में आधिक्य न हो। यदि कहीं आवंटन से

अधिक व्यय की शंका हो तो अधीनस्थ प्राधिकारी को अधिक व्यय करने से पूर्व अतिरिक्त आवंटन प्राप्त कर लेना चाहिए।

तथापि वर्ष 2013-14 के शीर्षवार विनियोग लेखाओं में पाया गया कि 24 अनुदानों के 68 लघु/उपशीर्षों में, उपलब्ध प्रावधानों से ₹5 करोड़ तथा इससे अधिक का व्यय था। यद्यपि इन लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों से ₹5,048.92 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था लेकिन संबंधित अनुदान/विनियोग प्रबंधन अधिकारी ने उपलब्ध प्रावधान से किए गए अधिक व्यय को समायोजित करने के लिए कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किए थे जो बजटीय नियंत्रण में ढील को दर्शाता है। लघु/उप शीर्षों, जिसमें अधिक व्यय किए गए थे, की सूची **अनुबंध 3.4** में दी गई है।

3.7 अनुदानों/विनियोगों में ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचत

लोक लेखा समिति (10वीं लोक सभा, 1990-91) ने अपनी 60वीं रिपोर्ट (पैरा 1.22 तथा 1.24) में पाया था कि ₹100 करोड़ या इससे अधिक की बचतें होना त्रुटिपूर्ण बजट बनाने तथा एक अनुदान या विनियोग में निष्पादन की कमी को दर्शाता है। अत: समिति ने इच्छा व्यक्त की कि प्रत्येक वर्ष अनुदान के एक खंड में ₹100 करोड़ या इससे अधिक की बचतों के संबंध में संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा एक विस्तृत टिप्पणी भेजी जानी अपेक्षित थी।

वर्ष 2013-14 के वित्तीय वर्ष के दौरान 78 अनुदानों (सिविल, डाक, रेलवे, रक्षा सेवाओं सहित) के 102 मामलों में ₹100 करोड़ से अधिक की बचत हुई थी जिसके लिए लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) को एक विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी भेजनी आवश्यक थी। भारी बचतें इन अनुदानों: विनियोग ऋण के पुनर्भुगतान (₹5,02,957 करोड़), आर्थिक कार्य विभाग (₹63,651 करोड़), राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में अंतरण (₹26,928 करोड़), ग्रामीण विकास विभाग (₹15,817 करोड़), वित्तीय सेवाएं विभाग (₹14,764 करोड़), विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (₹10,153 करोड़), रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत

परिव्यय (₹7,592 करोड़), राजस्व विभाग (₹7,537 करोड़), निधियों-मूल्यह्रास आरक्षित निधि, विकास निधि, पेंशन निधि तथा पूंजीगत निधि (रेलवे) को पुनर्विनियोग (₹6,156 करोड़), योजना मंत्रालय (₹6,348 करोड़), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (₹7,060 करोड़), विनियोग ब्याज भुगतान (₹5,301 करोड़), विद्युत मंत्रालय (₹5,450 करोड़), पंचायती राज मंत्रालय (₹3,739 करोड़), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (₹3,325 करोड़), कृषि अनुसंधान एवं सहकारिता विभाग (₹3,317 करोड़), भूमि संसाधन विभाग (₹3,277 करोड़), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (₹3,484 करोड़), पुलिस (₹4,360 करोड़), महिला एवं शिशु विकास मंत्रालय (₹2,601 करोड़), उच्च शिक्षा विभाग (₹2,417 करोड़), दूरसंचार विभाग (₹4,304 करोड़), आदि में देखी गई थी। विभिन्न अनुदानों/विनियोग के अंतर्गत ₹100 करोड़ अथवा इससे अधिक की बचतें **अनुबंध 3.5** में दी गईं हैं।

मंत्रालयों/विभागों द्वारा बचतों हेतु कुछ कारण 'कुछ योजनाओं को आरंभ करने में विफलता', 'उपयोग प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत न करना/करने में विलम्ब होना', 'कम दावों की प्राप्ति', 'परियोजनाओं/योजनाओं का अनुमोदन/अंतिम रूप न दिया जाना', 'राज्य सरकारों के पास अव्ययित शेषों का पड़ा रहना', 'राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति', होना आदि बताए गए थे।

इसके अतिरिक्त 55 अनुदानों/विनियोगों के 64 खण्डों में पिछले तीन वर्षों (2011-12 से 2013-14) के दौरान ₹100 करोड़ तथा अधिक की निरंतर बचतें थी जिनके विवरण **अनुबंध 3.6** में दिए गए हैं। बड़ी निरंतर बचतों वाले कुछ अनुदान, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण, विनियोग-ऋण का पुनर्भुगतान, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पुलिस विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग, अंतरिक्ष

विभाग, कपड़ा मंत्रालय, रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, तथा निधियों-मूल्यह्रास आरक्षित निधि (रेलवे) के पुनर्विनियोग से संबंधित थे।

3.8 बचतों का अभ्यर्पण (संपूर्ण)

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 56 के अनुसार, अनुदान अथवा विनियोग से बचतों का जैसे ही पूर्वानुमान हो, उन्हें वर्ष के अंतिम दिन की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। अव्ययित प्रावधान को भविष्य में संभावित आधिक्य के लिए भी आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों के 99 अनुदानों/विनियोगों के 201 खण्डों के अंतर्गत ₹ 7,25,800 करोड़ की बचतें थीं। इसे तीन अनुदानों के तीन खण्डों के अंतर्गत ₹ 40 करोड़ के अधिक व्यय द्वारा प्रति संतुलित किया गया था जिसका परिणाम ₹ 7,25,760 करोड़ की निवल बचत में हुआ। सिविल मंत्रालयों/विभागों द्वारा अभ्यर्पित राशियॉ निम्न **तालिका 3.6** में दर्शाई गई हैं।

तालिका 3.6: सिविल मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत बचतों और अभ्यर्पण के विवरण

(₹ करोड़ में)

	अव्ययित प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	31 मार्च को अभ्यर्पित राशि	31 मार्च को अव्ययित प्रावधान में अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई राशि
राजस्व					
दत्तमत	111045.80	102827.82	99537.95	89.63	8217.98
प्रभारित	13957.61	10592.70	10587.47	75.85	3364.91
योग: राजस्व	**125003.41**	**113420.52**	**110125.42**	**88.10**	**11582.89**
पूंजीगत					
दत्तमत	96791.04	93019.96	92390.11	95.45	3771.08
प्रभारित	504005.20	506324.28	506201.17*	100.44*	(-) 2319.08*
कुल जोड़ : पूंजीगत	**600796.24**	**599344.24**	**598591.28**	**99.63**	**3771.08**
कुल योग	**725799.65**	**712764.76**	**708716.70**	**97.65**	**15353.97**

*अभ्यर्पित राशि अव्ययित प्रावधान से अधिक है।

15 अनुदानों/विनियोगों के 16 खंडों में, अनुदानों के अंतर्गत अभ्यर्पित राशि-बचतों से अधिक थी। यह घटिया बजटीय प्रबंधन का सूचक है। ऐसे मामलों के विवरण **अनुबंध 3.7** में दिए गए हैं।

3.9 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचतों का अभ्यर्पण (अनुदानवार)

67 अनुदानों/विनियोगों के 91 खण्डों जहॉ बचतें ₹100 करोड़ से अधिक हुई थीं, संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने, सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 56 का उल्लंघन करके वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन (अर्थात् 30/31 मार्च 2014) बचतें अभ्यर्पित की थी। बचतों, अभ्यर्पित न की गई राशियों, जो वित्तीय वर्ष के अंतर्गत में व्यपगत हो गई थी, सहित अभ्यर्पणों के विवरण **अनुबंध 3.8** में दिए गए हैं।

3.10 अवास्तविक बजटीय अनुमान के कारण बहुत अधिक अनुपूरक अनुदानें (मूल प्रावधान के 40 प्रतिशत से अधिक)

संविधान के अनुच्छेद 114 के अंतर्गत, संसद सरकार को भारत की समेकित निधि से विशिष्ट राशियॉ विनियोजित करने हेतु प्राधिकृत करती है। संसद अनुच्छेद 114 के अंतर्गत उस वर्ष के उद्देश्य हेतु पहले बनाए गए प्राधिकार के अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 115 की शर्तों के अनुसार अनुवर्ती विनियोग अधिनियम द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान भी प्राधिकृत करती है। व्यय के प्रारंभिक अनुमान तैयार करते समय, मंत्रालयों/विभागों को पिछले वर्षों के दौरान संवितरण की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखना तथा वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमानों में सभी अपरिहार्य तथा भावी व्यय हेतु प्रावधान करने के लिए आवश्यक सावधानी बरतना अपेक्षित है। वित्त मंत्रालय यथोचित विचार-विमर्श तथा बजट-पूर्व बैठकों/संवीक्षा के पश्चात् बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देता है।

अनुच्छेद 114 के प्रावधान के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष हेतु किसी विशेष सेवा पर खर्च किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि, उस वर्ष के उद्देश्य हेतु अपर्याप्त पाई जाती है या अनुपूरक हेतु चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई मांग

उत्पन्न हुई हो, अथवा चालू वित्त वर्ष के दौरान किसी नई सेवा, जिसका उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में विचार न किया गया हो, पर अतिरिक्त व्यय पड़े तो अनुच्छेद 115(1)(क) के अनुसार उस व्यय की अनुमानित राशि दर्शाते हुए संसद में एक दूसरा विवरण (अनुपूरक मांग) प्रस्तुत किया जाता है।

निम्न **तालिका 3.7** 2013-14 के दौरान संघ सरकार के मंत्रालयों द्वारा प्राप्त अनुपूरक प्रावधान तथा मूल प्रावधान से उनकी प्रतिशतता दर्शाती है-

तालिका 3.7: मंत्रालय-वार मूल तथा अनुपूरक अनुदान

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	मूल प्रावधान से अनुपूरक की प्रतिशतता
सिविल	5651863.26	63954.63	5715817.89	1.13
डाक	17309.48	0.89	17310.37	0.01
रक्षा	209282.80	8365.74	217648.54	4.00
रेलवे	257245.22	7149.66	264394.88	2.78
कुल	**6135700.76**	**79470.92**	**6215171.68**	**1.30**

संवीक्षा से आगे प्रकट हुआ कि केन्द्रीय सरकार के काफी मंत्रालयों/विभागों ने अनुपूरक अनुदान/विनियोग प्राप्त किए जो मूल प्रावधानों से अपेक्षाकृत अधिक थे। वे मामले जिनमें अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधान से 40 प्रतिशत तक बढ़ गए, **तालिका 3.8** में दिए गए हैं।

तालिका 3.8: अवास्तविक प्रारंभिक बजट बनाने के कारण प्राप्त बड़े अनुपूरक अनुदानों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	अनुपूरक की मूल प्रावधान से प्रतिशतता
राजस्व (दत्तमत)				
1.	34-वित्तीय सेवाएं विभाग	7468.99	4000.00	54
2.	51- भारी उद्योग विभाग	461.41	469.56	102
3.	69-नई और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय	1434.05	1214.16	85

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	अनुपूरक की मूल प्रावधान से प्रतिशतता
राजस्व (प्रभारित)				
4.	11-वाणिज्य विभाग	0.50	0.82	164
5.	20-रक्षा मंत्रालय	0.26	0.22	85
6.	21-रक्षा पेंशन	0.69	3.54	513
7.	42-राजस्व विभाग	0.02	26.50	132500
8.	55-पुलिस	9.94	8.18	82
पूंजीगत (दत्तमत)				
9.	10-कोयला मंत्रालय	50.00	1672.00	3344
10.	48-आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होमियोपैथी (आयुष)	9.40	18.00	191
11.	51-भारी उद्योग विभाग	567.56	420.10	74
12.	67-खान मंत्रालय	246.53	103.14	42
13.	69-नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	99.50	100.00	101
14.	94-पर्यटन मंत्रालय	2.00	1.00	50
पूंजीगत (प्रभारित)				
15.	04-परमाणु ऊर्जा	1.00	10.00	1000
16.	55-पुलिस	2.92	4.59	157
17.	82-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	10.00	20.00	200
18.	101-शहरी विकास विभाग	26.00	22.70	87
रक्षा सेवाएं राजस्व (दत्तमत)				
19.	25-रक्षा आयुध फैक्ट्रियॉ (दत्तमत)	1709.27	1363.57	80
राजस्व (प्रभारित)				
20.	24-वायु सेना (प्रभारित)	3.70	50.40	1362
21.	25-रक्षा आयुध फैक्ट्रियॉ (प्रभारित)	5.20	3.20	62

बड़े अनुपूरक दर्शाते हैं कि मंत्रालयों/विभागों ने यथार्थवादी आधार पर व्यय के अनुमान तैयार नहीं किए थे तथा यथार्थवादी बजटीय अनुमान सुनिश्चित करने

हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा संवीक्षा तथा पूर्व-बजट बैठकें करने का तंत्र वांछित रूप से प्रभावी नहीं था।

लोक लेखा समिति ने अपने 92वें प्रतिवेदन (15वीं लोकसभा 2013-14) में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 हेतु अनुपूरक अनुदानों की बड़ी राशि प्राप्त करने के बावजूद दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित व्यय से अधिक किए गए व्यय को नियमित करते हुए, पाया कि वित्त मंत्रालय का बजटीय प्रावधान के साथ व्यय के वृहत संगति को सुनिश्चित करने के लिए साधनों पर सर्वोत्तम अंतराष्ट्रीय अभ्यासों के अध्ययन की शुरुआत करनी चाहिए। राजस्व-वर्ष के दौरान मूल बजट के अतिरिक्त तीन अनुपूरकों का चलन बजटीय प्रावधानों की शुद्धता को कम करती है। बहुधा अभ्यास में ज्ञात व्ययों को मुख्य बजट में अनुवर्ती अनुपूरकों द्वारा करने के लिए दबा दिया जाता है। अनुपूरक बजट सामान्यत: अपरिहार्य लोकहित के लिए किए गए व्यय के अप्रत्याशित मदों अथवा योजनाओं के लिए होना चाहिए। अन्य राजस्व संघीय मॉडलों के आधार पर वित्त मंत्रालय को साधनों एवं एक ऐसे ढॉचे का विकास करना चाहिए जो विनियोग खर्चों पर संसद की पहुँच एवं देख-रेख को सुनिश्चित करते हुए बजटीय प्रावधानों की शुद्धता को बनाए रखे।

सिविल मंत्रालयों/विभागों के अन्तर्गत प्राप्त मूल तथा अनुपूरक अनुदानों तथा वर्ष 2005-06 से आगे के मूल प्रावधानों के प्रति अनुपूरक प्रावधानों की प्रतिशतता की स्थिति **अनुबंध 3.9** में दी गई है।

3.11 अनावश्यक नकद अनुपूरक प्रावधान (अनुदानवार)

आठ अनुदानों/विनियोगों में, जिनके ब्यौरे निम्न **तालिका 3.9** में दिए गए हैं, 2013-14 के दौरान ₹722.48 करोड़ के कुल नकद अनुपूरक प्रावधान अधिक व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त किए गए थे परन्तु तीन अनुदानों में अंतिम व्यय, मूल प्रावधानों से भी कम हुआ था। अत: प्राप्त किया गया अप्रयुक्त नकद अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था जो त्रुटिपूर्ण बजटीकरण का सूचक था।

'नकद अनुपूरक' प्राप्त करने के बजाय, मंत्रालय/विभाग को, वर्ष के अंत में बचतों से बचने के लिए अनुदान के भीतर 'टोकन' या 'तकनीकी अनुपूरक' प्राप्त करके उपलब्ध बचतों का उपयोग करने की संभावना को तलाशना चाहिए।

तालिका 3.9: अनावश्यक नकद अनुपूरक अनुदान बचतों का कारण बनी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	मूल प्रावधान	प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान	नकद अनुपूरक	संवितरण	बचत
सिविल अनुदान						
1.	10-कोयला मंत्रालय (राजस्व दत्तमत)	497.70	100.01	100.00	568.45	29.26
2.	11-वाणिज्य विभाग (राजस्व दत्तमत)	4383.77	58.08	4.00	4312.47	129.38
3.	19-संस्कृति मंत्रालय (राजस्व दत्तमत)	2023.00	102.06	2.00	1959.89	165.17
4.	34-वित्तीय सेवाएं विभाग (राजस्व दत्तमत)	7468.99	4000.00	500.00	10722.45	746.54
5.	51-भारी उद्योग विभाग (पूंजीगत दत्तमत)	567.56	420.10	44.16	829.08	158.58
6.	88-जहाजरानी मंत्रालय (राजस्व दत्तमत)	1392.28	299.36	41.35	1491.04	200.60
7.	91-सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (राजस्व दत्तमत)	4935.53	13.83	5.97	4839.77	109.59
8.	102- लोक निर्माण कार्य (पूंजीगत दत्तमत)	558.25	25.03	25.00	572.14	11.14
कुल		**21827.08**	**5018.47**	**722.48**	**25295.29**	**1550.26**

वित्त मंत्रालय को ऐसे मामलों की समीक्षा करके इस संबंध में सभी मंत्रालयों तथा विभागों को उपयुक्त दिशा निर्देश जारी करने पर विचार करना चाहिए।

3.12 लघु/उपशीर्षों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग (₹5 करोड़ से अधिक)

लेखाओं की जांच से प्रकट हुआ कि सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक तथा रक्षा सेवाओं के 14 अनुदानों/विनियोगों के 21 मामलों में कुल ₹613.95 करोड़ का पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण था, हालांकि लघु/उपशीर्षों, जिसमें पुनर्विनियोग द्वारा संवर्द्धन किया गया था, के अंतर्गत मूल प्रावधान, पर्याप्तता से अधिक था। अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग के परिणामस्वरूप शीर्षों के अंतर्गत बचत, इन शीर्षों में पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी। वे 21 मामले, जिनमें ₹5 करोड़ तथा अधिक के अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग किए गए थे, **अनुबंध 3.10** में दिए गए हैं।

3.13 लघु/उपशीर्षों से अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग (₹5 करोड़ से अधिक)

उसी तरह, लेखाओं की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि सिविल मंत्रालयों/विभागों,डाक और रक्षा सेवाओं के तीन अनुदानों/विनियोगों के छ: मामलों में कुल ₹264.99 करोड़ की निधियों का अन्य शीर्षों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग किया गया था हालांकि इन छ: लघु/उपशीर्षों के प्रत्येक में अंतिम संवितरण, पुनर्विनियोग से पहले भी, मूल प्रावधान से अधिक था। इन शीर्षों के प्रत्येक में पुनर्विनियोग के बाद उपलब्ध प्रावधान से आधिक्य पुनर्विनियोजित राशि से अधिक था। ऐसे ₹5 करोड़ तथा अधिक के अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग के विवरण **अनुबंध 3.11** में दिए गए हैं।

3.14 उपशीर्षों के अंतर्गत प्राप्त अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करते समय, मंत्रालय/विभागों ने संसद को, विविध योजनाओं/क्रियाकलापों के अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों हेतु बड़ी अतिरिक्त मांग सूचित की थी लेकिन अन्ततः वे न केवल संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान या उसका एक भाग बल्कि संपूर्ण बजट प्रावधान खर्च करने में असमर्थ थे। सात अनुदानों/विनियोगों के सात लघु/उपशीर्षों, जिनमें मूल बजट प्रावधान के भाग सहित संपूर्ण अनुपूरक अनुदान, अव्ययित रहे, के विवरण **अनुबंध 3.12** में दिए गए हैं।

3.15 संपूर्ण प्रावधान की बचत (उपशीर्ष-वार)

47 अनुदानों/विनियोगों के 133 उप शीर्षों में, संसद द्वारा प्राधिकृत कुल ₹93,447.67 करोड़ का संपूर्ण प्रावधान (₹10 करोड़ तथा अधिक) मंत्रालयों/विभागों द्वारा खर्च नहीं किया जा सका और अप्रयुक्त रहा। उक्त ₹56000 करोड़ की समस्त बचत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अंशदान देने: ₹21,000 करोड़ सामाजिक तथा अवसंरचना विकास पूंजी निधि (₹7,000 करोड़) तथा राष्ट्रीय निवेश निधि (₹14,000 करोड़) में लोक लेखे में अंतरण से संबंधित थी।

संपूर्ण प्रावधान की बचत होना इस तथ्य का सूचक है कि अनुमान परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त संवीक्षा करने के बाद नहीं बनाए गए थे। प्रमुख योजनाएं जो संपूर्ण प्रावधान के उपयोग न होने के कारण आगे नहीं बढ़ पायी अथवा प्रभावित हुई, निम्न हैं:-

- विनियोग - ब्याज भुगतान: बैंक में धनराशि के जमा बाजार स्थिरकारी करण योजना पर दिया गया ब्याज/छूट (₹1,630.38 करोड़);
- भारी उद्योग विभाग-राष्ट्रीय स्वचालित परीक्षण तथा अ. एवं वि. अवसंरचना परियोजना (₹341.94 करोड़);

- ग्रामीण विकास विभाग: 'मनरेगा श्रमिकों (₹200 करोड़) को राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना (रा.सु.बी.यो.) के अंतर्गत लाना;
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय: 'आम आदमी को समाहित करने के लिए अनुसंधान निधि (₹200 करोड़)
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय: 'अनुसूचित जाति के कल्याण-आर्थिक विकास' (₹100 करोड़);
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से तथा मुख्य भू-भाग बीच समुद्र के अन्दर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना' (₹153 करोड़);
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय: 'कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास (का.म.छा.) (₹200.01 करोड़); तथा
- पुलिस (गृह मंत्रालय): 'आधुनिकीकरण हेतु दिल्ली पुलिस को सहायता' (₹100.00 करोड़)।

उप शीर्षों जिनमें ₹10 करोड़ तथा इससे अधिक का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, के विवरण **अनुबंध 3.13** में दिए गए हैं।

3.16 एक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की बचत

विनियोग लेखाओं की संवीक्षा ने प्रकट किया कि कुछ अनुदानों तथा विनियोगों के अंतर्गत एक उप-शीर्ष में ₹100 करोड़ या अधिक की बचतें थी जो कि मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली संबंधित योजनाओं के खराब बजटीकरण या निष्पादन में कमी या दोनों को इंगित करती हैं। मंत्रालय/विभाग द्वारा न केवल अनुमानों तथा वास्तविकताओं के बीच बड़े पैमाने पर विचलनों को कम करने, बल्कि कम संसाधनों को लाभकारी ढंग से उपयोग करने हेतु अपनी बजटीय प्रक्रिया को अधिक वास्तविक बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इन मंत्रालयों/विभागों को बजटीय अनुमान की व्यवस्था और/अथवा अपने कार्यक्रम प्रबंधन की दक्षता की समीक्षा करनी चाहिए। **अनुबंध 3.14,** एक उप-शीर्ष के अंतर्गत बजट

प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक की तथा ₹100 करोड़ या अधिक की 166 ऐसी बड़ी बचतों का ब्यौरा संबंधित मंत्रालय/विभागों द्वारा दिए गए कारणों सहित प्रदर्शित करता है।

निम्नलिखित कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत बड़ी बचतें हुई:-

- **विनियोग- ऋण का पुनर्भुगतान:** भारत सरकार के नकद शेष में अर्थोपाय अग्रिमों का कम उपयोग होने तथा ओवर ड्राफ्ट के कारण 'अर्थोपाय अग्रिमों' (₹5,00,000 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति) के अंतर्गत ₹2,57,575 करोड़ का अधिशेष रहा।
- **राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण**: ₹8,332 करोड़- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा अन्य जल संसाधन कार्यक्रम के अंतर्गत (₹12,962 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति) जल संसाधन मंत्रालय से कम प्रस्तावों की प्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमानों पर प्रावधान में कमी के कारण: ₹6,441 करोड़ 'जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन' के अंतर्गत (₹14,000 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति) राज्य सरकार से उपयोग प्रमाणपत्रों तथा सुधार कार्यसूची की प्राप्ति न होने के कारण बचतें रहीं।
- **राजस्व विभाग:** राज्य सरकारों से सी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के प्रति कम दावों की प्राप्ति होने के कारण राज्य सरकार को सी.एस.टी. समाप्त करने से राजस्व हानि शीर्ष के अंतर्गत (₹9,300 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति) ₹7,359.49 करोड़ की बचत थी।
- **ग्रामीण विकास विभाग:** ₹6,524.69 करोड़ की बचत 'जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों आदि को सहायता' (₹11,221.69 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति) शीर्ष के अंतर्गत तथा ₹3,584.83 करोड़ की बचत 'ई.ए.पी. संघटक' के अंतर्गत (₹4,266 करोड़ के बजटीय प्रावधान के प्रति) - राज्य सरकारों के पास पड़े पिछले वर्ष के अव्ययित शेषों की उपलब्धता, कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्तावों की

प्राप्ति और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान पर प्रावधान में कमी करने के कारण हुई।

- **उर्वरक विभाग-** ₹4,805.54 करोड़ - 'यूरिया के आयात' (₹20,158.84 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध) के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमतों के कम होने तथा यूरिया का कम मात्रा में आयात होने के कारण।
- **विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग:** ₹4,440.76 करोड़ 'प्रारंभिक शिक्षा कोष में निधियों के अंतरण' के अंतर्गत (₹24,429 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति) शिक्षा उप कर का कम संग्रहण होने के कारण;
- **कृषि एवं सहकारिता विभाग**: ₹3,054.43 करोड़ की बचतें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत (₹10,054.46 करोड़ के बजटीय प्रावधान के प्रति) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा पिछले वर्षों के अव्ययित शेषों की उपलब्धता के कारण हुईं।
- **पंचायती राज मंत्रालय:** ₹2,399.30 करोड़ की बचत - पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान के अंतर्गत (₹4,216.50 करोड़ के बजटीय प्रावधान के प्रति) व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमानों पर प्रवाधान में कमी करने के कारण हुई।

3.17 निरंतर बचत (उपशीर्ष-वार)

विनियोग लेखाओं की विस्तृत जॉच से पता चला कि तीन वर्षों की अवधि में, वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान 18 अनुदानों तथा विनियोगों के अन्तर्गत 23 उप-शीर्षों के अन्तर्गत निरन्तर बचतें पाई गई हैं, जो मंत्रालय/ विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही संबंधित योजना के संबंध में खराब बजटीकरण या निष्पादन में कमी या दोनों को दर्शाती है। 23 उपशीर्षों के अनुदानवार ब्यौरे **अनुबंध 3.15** में दिए गए हैं।

3.18 मार्च के दौरान तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में अंधाधुंध व्यय

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 56(3) के अनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में अंधाधुंध व्यय वित्तीय औचित्य का

उल्लंघन माना जाएगा तथा इससे बचना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने सितम्बर 2007 में मार्च तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय को बजट अनुमानों के क्रमश: 15 प्रतिशत तथा 33 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए थे।

कुछ मंत्रालयों/विभागों ने व्यय सीमाओं के बारे में वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा जिसके उत्तर में वित्त मंत्रालय ने दोहराया (जनवरी 2013) कि इन सीमाओं का प्रतिबन्ध संशोधित अनुमान सीमाओं को योजनावार तथा एक संपूर्ण विषय के रूप में मांग-वार अंतिम तिमाही/माह में लागू किया जाए। लेखापरीक्षा द्वारा मंत्रालयों/विभागों से वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु व्यय की प्रवृत्ति से संबंधित सूचना मांगी गई थी।

मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर **तालिका 3.10** में दिए गए मामलों में यह पाया गया है कि कुछ मंत्रालयों/ विभागों द्वारा संवितरण का मुख्य भाग 2014 के मार्च माह/वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया था जिससे नियमों के प्रावधानों तथा प्रचलित निर्देशों का उल्लंघन होता था।

तालिका 3.10: मार्च 2014 और/अथवा 2013-14 की अन्तिम तिमाही के दौरान अन्धाधुंध व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदानों का विवरण	बजट अनुमान (संशोधित अनुमान)	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता #	अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता#	मंत्रालय/विभाग द्वारा भेजे गए कारण
सिविल							
1.	9-नागरिक उड्डयन मंत्रालय	5882.22 (6985.40)	1181.43	20 (17)	1199.98	--	वित्त मंत्रालय ने तीसरे अनुपूरक अनुदान के माध्यम से योजनागत के अंतर्गत ₹1000.00 करोड़ तथा योजनेत्तर के अंतर्गत ₹103.12 करोड़ का अतिरिक्त बजट दिया। अतिरिक्त बजट के वास्तविक उपयोग हेतु अधिसूचना वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.03.2014 को जारी की गई थी। तदनुसार मार्च में व्यय की सीमा को 15 प्रतिशत तक तथा अंतिम तिमाही में 33 प्रतिशत तक बनाए नहीं रखा जा सका।
2.	10-कोयला मंत्रालय	547.70 (2319.00)	318.71	58 (14)	850.73	155 (37)	अनुपूरक अनुदानों की देर से प्राप्ति होने के कारण व्यय वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में 33 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से बढ़ गया।
3.	12-औद्योगिक नीति और प्रोत्साहन विभाग	1716.29 (1355.77)	350.76	20 (26)	511.78	30 (38)	वित्त मंत्रालय ने दिल्ली - मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (दि.मु.औ.कॉ) परियोजनाओं हेतु फरवरी माह 2014 में ₹303.80 करोड़ आबंटित किए तथा व्यय मार्च 2014 के दौरान किया गया।
4.	45- विनिवेश विभाग	63.24 (30.00)	12.71	20 (42)	14.57	23 (49)	विभाग ने बताया कि विज्ञापन तथा प्रचार नया शीर्ष के प्रति ₹4.64 करोड़ की राशि समायोजित की गई तथा ₹1.97 करोड़ को मार्च माह 2014 में समायोजन में दर्ज किया गया था।

क्र.सं.	अनुदानों का विवरण	बजट अनुमान (संशोधित अनुमान)	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता #	अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता#	मंत्रालय/विभाग द्वारा भेजे गए कारण
5.	51- भारी उद्योग विभाग	1028.97 (1542.04)	500.80	49 (32)	684.83	67 (44)	निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन को फरवरी 2014 में ₹182.43 करोड़ तथा हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन तिथि को केवल मार्च 2014 में ₹47.23 करोड़ के सहायता अनुदान जारी किए जा सके। स्वैच्छिक सेवनिवृति योजना/ स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (स्व.से.यो/स्बै.पृ.यो.) आदि के कार्यान्वयन हेतु ₹116.86 करोड़ तथा एच एम टी लिमि. को ₹27.06 करोड़ के कर्जों के एकमुश्त प्रावधान के संबंध में वित्त मंत्रालय ने अंतिम तिमाही तथा मार्च 2014 के लिए व्यय की सीमा में ढील दी थी।
6.	54-मंत्रिमंडल	403.00 (375.00)	29.10	--	229.04	57 (61)	प्र.म. के वायुयान के अनुरक्षण के प्रति एयर इंडिया से दावे की प्राप्ति के आधार पर ₹183.30 करोड़ की एक बार निर्मुक्ति करने के कारण अंतिम तिमाही में अधिक व्यय किया गया था।
7.	70-विदेशी भारतीय मामले मंत्रालय	115.79 (97.88)	18.82	16 (19)	28.12	--	प्रवासी भारतीय दिवस मनाने, जागरूकता एवं मीडिया प्रचार करने, भारतीयों की विदेशी नागरिकता (भा.वि.ना) प्रवासी बच्चा छात्रवृत्ति कार्यक्रम (प्र.ब.छा.का.) आदि के प्रति किया गया व्यय का बड़ा भाग अंतिम तिमाही में दर्ज किया गया था।

क्र.सं.	अनुदानों का विवरण	बजट अनुमान (संशोधित अनुमान)	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता #	अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता#	मंत्रालय/विभाग द्वारा भेजे गए कारण
8.	74-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	65188.41 (85566.13)	10482.07	16 (12)	30025.62	46 (35)	तेल विपणन कंपनियों को उनके घरेलु एल.पी.जी. तथा मिट्टी के तेल (पी.डी.एफ.) संचालन में वसूलियों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान, बजट शीर्ष के अंतर्गत, एल.पी.जी. योजना की आर्थिक सहायता के प्रत्यक्ष अंतरण हेतु ओ.एम.सी. को भुगतान तथा एल.पी.जी. योजना की आर्थिक सहायता के प्रत्यक्ष अंतरण हेतु परियोजना प्रबंधन व्यय के लिए ओ.एम.सी. को भुगतान वित्त मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत किया गया था। वित्त मंत्रालय द्वारा छूट भी दी गई थी।
9.	88-जहाजरानी मंत्रालय	2050.67 (2092.03)	562.69	27 (27)	628.50	--	प्र.ले.का. ने बताया कि मार्च माह 2014 में ₹153.03 करोड़ तथा ₹146.33 करोड़ के अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए गए तथा ₹151.21 करोड़ तथा ₹146.33 करोड़ मार्च 2014 में संबंधित शीर्षों में दर्ज किए गए थे।
रक्षा सेवाएं							
10.	23-रक्षा सेवाएं (नौसेना)	12394.43 (13363.94)	2013.73	16 (15)	4525.41	37 (34)	कारण प्रतीक्षित (मार्च 2015)

 # कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित प्रतिशत दर्शाता है।

-- निर्धारित सीमा के अंदर व्यय

नोट: कॉलम में दी गई प्रतिशतता अनुबंध 1.2 के साथ मेल नहीं खा सकती है क्योंकि इन प्रतिशतताओं को बजट अनुमानों के संबंध में परिकलित किया गया है। (संशोधित अनुमानों के अनुसार)। दूसरी ओर, अनुबंध 1.2 में दी गई प्रतिशतताएं, कुल व्यय से संबंधित प्रतिशतताएं हैं।

चूंकि विभिन्न संगठनों को मार्च में जारी की गई निधियॉ वर्ष के दौरान रचनात्मक रूप से खर्च नहीं की जा सकती, जो उसी माह के अंतिम दिन पर समाप्त होती हैं। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना असंभव है कि क्या ये निधियां उसी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त की गई जिसके लिए प्राधिकृत की गई थीं।

3.19 रक्षा सेवाएं

3.19.1 निरंतर बचतें

रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं की जांच में छः अनुदानों के प्रभारित/दत्तमत खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान बचतों की निरन्तर प्रवृत्ति (₹5 करोड़ से अधिक) देखी गई जिसका विवरण तालिका 3.11 में दिया गया है।

तालिका 3.11: वर्ष 2011-14 के दौरान निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या उप मुख्य/लघु शीर्ष	2011-12	2012-13	2013-14
22 - रक्षा सेवाएं -थल सेना (मुख्य शीर्ष 2076)				
1.	110 - भंडार (दत्तमत)	451.90	1197.52	750.98
2.	113 - एन.सी.सी. (दत्तमत)	244.63	286.33	16.44
3.	800 - अन्य व्यय (दत्तमत)	246.90	490.67	462.22
23 - रक्षा सेवाएं -नौ सेना (मुख्य शीर्ष 2077)				
4.	104 - नागरिकों के वेतन एवं भत्ते (प्रभारित)	7.18	2.00	10.31
5.	104 - नागरिकों के वेतन एवं भत्ते (दत्तमत)	658.17	295.87	17.37
6.	105 - परिवहन (प्रभारित)	81.94	19.51	42.82
24 - रक्षा सेवाएं-वायु सेना (मुख्य शीर्ष - 2078)				
7.	800 - अन्य व्यय (दत्तमत)	52.06	118.49	130.81
25 - रक्षा आयुध कारखाने (मुख्य शीर्ष - 2079)				
8.	001 - निर्देशन एवं प्रशासन(दत्तमत)	4.41	6.09	8.56
9.	004 -अनुसंधान एवं विकास (दत्तमत)	4.29	21.96	27.25
10.	053 - अनुरक्षण-मशीनरी एवं उपकरण (दत्तमत)	6.22	2.69	7.33
11.	054 - निर्माण कार्य (दत्तमत)	33.42	125.01	24.96
12.	105 - परिवहन (दत्तमत)	0.02	34.99	31.65
13.	110 - भंडार (दत्तमत)	246.03	781.41	1130.47
26 -रक्षा सेवाएं- अनुसंधान एवं विकास (मुख्य शीर्ष - 2080)				
14.	004 - अनुसंधान/अनुसंधान एवं विकास (दत्तमत)	132.09	632.89	85.28
15.	105 - परिवहन (दत्तमत)	12.19	26.74	51.04
27 -रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (मुख्य शीर्ष- 4076)				
01 - थल सेना				
16.	050 -भूमि (प्रभारित)	17.26	16.35	17.18
17.	050 - भूमि (दत्तमत)	131.31	14.89	26.89

18.	101 -विमान एवं वायु इंजन (दत्तमत)	686.66	745.58	317.65
19.	103 -अन्य उपकरण (दत्तमत)	3895.78	1591.85	2033.47
20.	105 - सैन्य फार्म (दत्तमत)	2.17	6.64	9.18
21.	107 - भूतपूर्व- सैनिक अंशदान स्वास्थ्य योजना (दत्तमत)	34.04	33.17	19.10
22.	113 - राष्ट्रीय कैडेट कोर (दत्तमत)	22.35	49.31	4.82
23.	202 -निर्माण कार्य(दत्तमत)	656.88	1350.22	477.92
02 - नौसेना				
24.	102 -भारी एवं मध्यम वाहन (दत्तमत)	12.88	12.55	48.37
25.	202 - निर्माण कार्य (दत्तमत)	34.82	77.31	125.60
26.	205 - नौसैनिक डाकयार्ड (दत्तमत)	72.51	287.66	1378.84
03 - वायु सेना				
27.	050 - भूमि (प्रभारित)	4.78	7.67	9.58
28.	050 -भूमि (दत्तमत)	17.45	70.22	46.21

अनुदानों के उपर्युक्त शीर्षों में भारी बचतों की निरन्तर प्रवृत्ति, निधियों की आवश्यकता से अधिक अनुमान लगाने या आपूर्ति प्राप्तियों एवं परियोजनाओं हेतु खराब योजना, अपर्याप्त निविदा प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमी तथा निरंतर बचतों से बचने हेतु प्रभावी उपचारी उपायों को प्रारंभ करने की विफलता की संकेतक हैं।

3.19.2 रक्षा सेवा अनुदानों में बचतों का अभ्यर्पण

अनुदान अथवा विनियोग में बचतों का पूर्वानुमान होने पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना अभ्यर्पित करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त बचतों को सम्भावित भावी आधिक्यों हेतु भी आरक्षित नहीं किया जाना चाहिए। वर्ष 2013-14 के दौरान दो अनुदानों के प्रभारित खण्डों के अंतर्गत ₹23.81 करोड़ की बचत के प्रति ₹13.87 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया था। एक अनुदान के दत्तमत खण्ड के अंतर्गत ₹7,592.40 करोड़ के बचत के प्रति ₹7,854.78 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया था। इस प्रकार, दत्तमत खण्ड में एक अनुदान के अंतर्गत ₹7,854.78 करोड़ तथा प्रभारित खण्ड के दो अनुदानों के अंतर्गत ₹13.87 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित किए गए थे जैसा कि **तालिका 3.12** में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 3.12: बचतें एवं अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुदान/ विनियोग	बचत		वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित की गई राशि		अभ्यर्पित न की गई राशि (व्यपगत)	
	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत
22-थल सेना	50.23	879.63	--	--	50.23	879.63
23-नौसेना	12.09	--	--	--	12.09	--
24-वायु सेना	9.73	--	--	--	9.73	--
26-अनुसंधान एवं विकास	0.54	25.86	0.15	--	0.39	25.86
27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	23.27	7592.40	13.72	7854.78	9.55	--
कुल	**95.86**	**8497.89**	**13.87**	**7854.78**	**81.99**	**905.49**

अनुदान सं. 27- पूंजीगत सेवाओं (दत्तमत) पर पूंजीगत परिव्यय के मामले में रक्षा मंत्रालय ने ₹7,592.40 करोड़ की उपलब्ध बचतों के प्रति ₹7,854.78 करोड़ अभ्यर्पित किए। यह मंत्रालय के त्रुटिपूर्ण बजटीय नियंत्रण तंत्र को दर्शाता है।

स्वीकृति प्राप्त किए बिना विभिन्न निकायों/प्राधिकरणों को वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के अंतर्गत प्रावधान के संवर्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान के ₹110.71 करोड़ का कुल व्यय किया गया था, जिसके फलस्वरूप न.से./से.न.सा. की सीमाओं का उल्लंघन हुआ। नीचे दी गई तालिका उन शीर्षों का ब्यौरे देती है जिनमें संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना विभिन्न अनुदानों/ विनियोगों के अंतर्गत संवर्धन किया गया था।.

तालिका 4.4: उद्देश्य शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के प्रावधान का संवर्धन

क्र.सं.	लेखा-शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य. *	राशि
		(₹करोड़ में)					
अनुदान सं. 04 परमाणु ऊर्जा विभाग							
1.	3401.00.800.06.04.31 परमाणु ऊर्जा शिक्षा समिति	2.25	--	--	2.25	3.25	1.00
2.	3401.00.800.06.05.31 परमाण ऊर्जा शिक्षा समिति	9.20	--	--	9.20	10.90	1.70
अनुदान सं. 20 रक्षा मंत्रालय (सिविल)							
3.	2052.00.092.03.01.31 रक्षा संपदा संगठन (कोड़ 094/83)	174.05	--	51.64	225.69	233.00	7.31
अनुदान सं. 26 रक्षा (अनुसंधान एवं विकास)							
4.	वैमानिक अनुसंधान एवं विकास बोर्ड (कोड़ 852/02)	0.80	-	-	0.80	21.58	20.78
5.	नौसेना अनुसंधान बोर्ड (कोड़ 852/03)	1.43	-	-	1.43	6.00	4.57
6.	आयुध अनुसंधान बोर्ड (कोड़ 852/04)	0.22	-	-	0.22	1.71	1.49
7.	जीवन विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (कोड 852/05)	1.08	-	-	1.08	2.62	1.54
8.	बाह्य अनुसंधान एवं बौद्धिक संपदा अधिकार (कोड 852/06)	2.30	-	-	2.30	60.00	57.70

क्र.सं.	लेखा-शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य. *	राशि
		(₹करोड़ में)					
मंत्रालय ने बताया (नवम्बर **2014**) कि सहायता अनुदान हेतु कुल आबंटन को रक्षा सेवा अनुमान खंड ।। में दर्शाया गया है और केवल गैर सरकारी निकायों से संबंधित हिस्से को अनुबंध 'ड' में दर्शाया गया है। अनुबंध 'ड' में दर्शाए गए आबंटनों को विभिन्न रक्षा अनुसंधान बोर्डों के पास उपलब्ध सहायता अनुदान हेतु कुल आबंटन समझना गलत होगा। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रक्षा सेवा अनुमानों का केवल अनुबंध 'ड' संसद द्वारा संस्वीकृत है और रक्षा सेवा अनुमान खंड-।। के अंतर्गत विवरण जिसमें अलग सूचना दी गई है, वह संसद द्वारा संस्वीकृत नहीं है।						
अनुदान सं. 60- उच्चतर शिक्षा विभाग							
9.	3601.04.189.02.01.31 राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (रा.उ.शि.अ.)	-	52.64	-	52.64	65.57	12.93
10.	3601.04.789.43.02.31 रा.उ.शि.अ.	-	11.55	-	11.55	12.69	1.14
11.	3601.04.796.09.02.31 रा.उ.शि.अ.	-	5.81	-	5.81	6.34	0.53
उच्चतर शिक्षा विभाग ने बताया (जनवरी 2015) कि राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को किए गए अंतरण न.से./न.से.सा. की सीमाओं से छूट प्राप्त हैं बशर्ते दिनांक 25 मई 2006 के वित्त मंत्रालय के का.ज्ञा. के अनुसार योजना नई नहीं है तथा कथित शीर्ष लेखा के अंतर्गत प्रावधान का संवर्धन वित्त मंत्रालय की संस्वीकृति के साथ पुनर्विनियोग के माध्यम से किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रा.उ.शि.अ. योजना को वर्ष 2013 में शुरू किया गया था (विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार) और 2012-13 के लिए डी.डी.जी. में दर्शाया नहीं गया था। अत:, निधियों में किसी भी प्रकार के संवर्धन को संसद की पूर्वस्वीकृति के साथ किया जाना चाहिए था।						
अनुदान सं. 61- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय							
12.	2220.01.105.01.01.31 फिल्म प्रभाग	0.03	-	-	0.03	0.05	0.02
	योग						**110.71**

* ब.अ.= बजट अनुदान, उ.पू.= मु.शी. *2552/4552/6552,* के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान, अ.प्रा.= अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा उम्प के अनुसार)

4.4.2 उद्देश्य शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के प्रावधान का संवर्धन

नई सेवा के नए साधन से संबंधित मामलों का निर्धारण करने में ध्यान दिए जाने वाली वित्तीय सीमाओं के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा मई 2006 में जारी निर्देशों के अनुसार, सभी मामलों में भारत की समेकित निधि से किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को उद्देश्य शीर्ष 'सहायता अनुदान' को पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधानों में संवर्धन केवल संसद की पूर्व संस्वीकृति से ही किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन अनुदानों के पांच मामलों में कुल ₹171.99 करोड़ की निधियां मौजूदा प्रावधानों के उल्लंघन में संसद की पूर्व-स्वीकृति लिये बगैर उद्देश्य शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के लिए संवर्धित की गई थी जिसने सेवा के नए साधन को सीमाओं को आकर्षित किया।

तालिका 4.5: उद्देश्य शीर्ष 'पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के प्रति प्रावधान की वृद्धि

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.व्य.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹करोड़ में)					
अनुदान सं. 04-परमाणु ऊर्जा विभाग							
1.	3401.00.004.15.08.35 प्लाज्मा अनुसंधान हेतु संस्थान गांधीनगर	475.00	--	--	475.00	498.00	23.00
अनुदान सं. 60-उच्चतर शिक्षा विभाग							
2.	3601.04.189.02.01.35 रा.उ.शि.अ.	-	22.56	-	22.56	137.76	115.20
3.	3601.04.789.43.02.35 रा.उ.शि.अ.	-	4.95	-	4.95	26.66	21.71
4.	3601.04.796.09.02.35 रा.उ.शि.अ.	-	2.49	-	2.49	13.34	10.85
उच्चतर शिक्षा विभाग ने बताया (जनवरी 2015) कि यदि दिनांक 25 मई 2006 के वित्त मंत्रालय के का.ज्ञा. के अनुसार योजना नई नहीं है तो राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को किए गए अंतरण तथा कथित लेखा शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान में संवर्धन वित्त मंत्रालय की अनुमति सहित पुनर्विनियोग के माध्यम से किया गया हो तो वह न.यो./से.न.सा. की सीमा से बाहर है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2013 में रा.उ.शि.अ. योजना की शुरूआत की गई थी (विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार) तथा 2012-13 हेतु डी.डी.जी. में भी योजना को दर्शाया नहीं गया था। इस प्रकार, निधियों में किसी प्रकार का संवर्धन संसद की पूर्व स्वीकृति के साथ किया जाना चाहिए था।						
अनुदान सं.89-सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय							
5.	2225.01.789.09.00.35 अ.जा. के लिए विशेष घटक योजना- लड़कियों का छात्रावास	8.00	1.00	7.00	16.00	17.23	1.23

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.व्य.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹करोड़ में)					
सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि मुख्य शीर्ष-2552 (उत्तर पूर्वी क्षेत्र) जिस संबंध में मंत्रालय को पूरी शक्तियां हैं, उससे ₹1.23 करोड़ की अधिक राशि का पुनर्विनियोग किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पुनर्विनियोग उसी क्षेत्र अर्थात "सामान्य" अ.आ. हेतु विशेष घटक योजना तथा आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत उसी योजना के लिए संबंधित कार्यात्मक शीर्ष के लिए मुख्य शीर्ष-2552 से कर सकते हैं जिसके लिए कार्यात्मक शीर्ष के साथ गैर-कार्यात्मक (अर्थात मुख्य शीर्ष 2552) के अंतर्गत संसद से विशिषट प्रावधानों को प्राप्त किया जाता है।							
	योग						**171.99**

* ब.अ.= बजट अनुदान, उ.पू.= मु.शी. *2552/4552/6552,* के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विास हेतु प्रावधान अ.प्रा.= अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा उम्प के अनुसार)

4.4.3 विषय शीर्ष '36- सहायता अनुदान-वेतन' के प्रावधान का संवर्धन

वित्त मंत्रालय ने दिनांक 7 जून 2011 के अपने का.ज्ञा. के माध्यम से वेतनों के भुगतान हेतु सहायता अनुदान पर व्यय को विशेष रूप से दर्शाने के उद्देश्य से 01 अप्रैल 2011 से प्रभावी एक नया उद्देश्य शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' की शुरूआत की थी। मंत्रालय ने, दिनांक 21 मई 2012 के अपने का.ज्ञा. के माध्यम से आगे स्पष्ट किया कि विषय शीर्ष '36- सहायता अनुदान-वेतन' के अंतर्गत प्रावधान में संवर्धन करने के लिए अनुदान हेतु अनुपूरक मांगों के माध्यम से संसद की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो अनुदानों के दो मामलों में कुल ₹1.37 करोड़ की निधियों के वर्तमान प्रावधान के उल्लंघन में संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना विषय शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' हेतु संवर्धित की गई थी जिसने न.से./से.न.सा. की सीमाओं को आकर्षित किया।

तालिका 4.6: विषय शीर्ष 'सहायता अनुदान वेतन' के प्रति प्रावधान की वृद्धि

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.	कु.व्य.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.32- विदेश मंत्रालय							
1.	2061.00.800.20.00.36 भारतीय विश्व मामले परिषद	1.24	-	-	1.24	1.31	0.07
विदेश मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2015) कि वेतन होने के कारण अतिरिक्त व्यय अनिवार्य है। पुनर्विनियोग को प्रभावी नहीं किया जा सका था क्योंकि संसद की स्वीकृति को प्राप्त नहीं किया जा सकता था।							

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.	कु.व्य.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं. 99- दमन एवं दीव							
2.	उच्चतर शिक्षा विभाग 2202.02.110.06.00.36 निजी विद्यालयों को सहायता अनुदान	7.00	-	-	7.00	8.30	1.30
	योग						**1.37**

* ब.अ.= बजट अनुदान उ.पू. = मु.शी. *2552/4552/6552,* के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान जैसा कि अ.वि.मां. में दर्शाया गया, अ.प्रा. = अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)

4.4.4 विषय शीर्ष '33-आर्थिक सहायता' के प्रावधान का संवर्धन

मई 2006 में, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, पुनर्विनियोग के माध्यम से विषय शीर्ष आर्थिक सहायता के अंतर्गत उपलब्ध विनियोग में प्रावधान के संवर्धन हेतु, यदि अतिरिक्तता, संसद द्वारा पहले ही दत्तमत्त मौजूदा विनियोग के 10 प्रतिशत अथवा ₹10 करोड़, जो भी कम है, से अधिक है तो संसद की पूर्वस्वीकृति अपेक्षित है।

विनियोग लेखाओं के साथ ई-लेखा डाटा की संवीक्षा ने प्रकट किया कि औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग (औ.नी.उ.वि.) से संबंधित अनुदान सं. 12 में तीन मामलें में संसद की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना विषय शीर्ष '33-आर्थिक सहायता' के अंतर्गत प्रावधान के संवर्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कुल ₹149.99 करोड़ की नीधियॉ व्यय की गई थीं जिन्होंने नई सेवा/सेवा के नए उपकरण की सीमाओं को आकर्षित किया। **तालिका 4.7** उप-शीर्षो का ब्यौरा देती हैं जहॉ संसद की पूर्व-स्वीकृति के बिना संवर्धन किया गया था जिसने न.से./से.न.सा. की सीमाओं को आकर्षित किया।.

तालिका 4.7: विषय शीर्ष आर्थिक सहायता के प्रावधान की वृद्धि

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं. 12-औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग (औ.नी.उ.वि.)							
1.	2885.02.101.04.00.33 केन्द्रीय ब्याज आर्थिक सहायता योजना	-	-	-	-	17.88	17.88
2.	2885.02.101.10.00.33 पूँजीगत निवेश आर्थिक सहायता	-	-	-	-	131.65	131.65
3.	2885.02.101.05.00.33 उत्तर पूर्व हेतु व्यापक बीमा योजना	-	-	-	-	0.46	0.46
नोट: यद्यपि उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 2552.00.238.07.00.33 पैकेज के अंतर्गत ₹149.99 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन बजट प्रभाग के दिनांक 14 सितम्बर 2005 के ज्ञा.का. सं. एफ.2(66)-बी(सी.डी.एन.)/2001 की शर्तों के अनुसार अपेक्षित रूप में गैर कार्यात्मक शीर्ष के अंतर्गत योजना-वार ब्यौरा प्रदान नहीं किया गया था।						
	योग						**149.99**

* ब.अ.= बजट अनुदान उ.पू. = मु.शी. *2552/4552/6552,* के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान जैसा कि अ.वि.मां. में दर्शाया गया, अ.प्रा. = अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)

औ.नी.सं.वि. बताया (जुलाई 2014) कि उत्तर पूर्व औद्योगिक निवेश एवं संवर्धन नीति (उ.पू.औ.नि.सं.नी.) के अंतर्गत आर्थिक सहायताओं हेतु एक-मुश्त प्रावधान के लिए मांग के अनुसार उ.पू.औ.नि.सं.नी. की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिना किसी ब्यौरे के गैर-कार्यात्मक शीर्ष 2552.00.238.07.00.33 में किया गया था जो वर्ष के दौरान परिपक्व होता।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि औ.नी.सं.वि. ने अतीत में वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान डी.डी.जी. में स्पष्ट रूप से कार्यात्मक शीर्ष में गैर-कार्यात्मक शीर्ष के अंतर्गत योजना-वार ब्यौरा प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त विषय शीर्ष आर्थिक सहायताएँ के अंतर्गत बढ़ोतरी में संसद की पूर्व स्वीकृति की योजनावार विघटन का प्रकटीकरण आवश्यकता थी।

इस विषय को नि.म.ले.प. के 2014 के प्रतिवेदन सं.1 में भी दिखाया गया था, जहाँ आर्थिक सहायता के एकमुश्त प्रावधान को दो योजनाओं में वितरित किया गया था, फिर भी वित्तीय वर्ष 2013-14 में उसी को तीन योजनाओं में वितरित किया गया था।

औ. नी.सं.वि. ने (नवम्बर 2014) में भी बताया कि उसने उ.पू.औ.सं.नी. के अंतर्गत विभिन्न घटकों के लिए पृथक रूप से निधियों के आबंटन का निर्णय लिया था जैसे-वित्तीय वर्ष 2015-16 से आगे पूंजी, ब्याज एवं भविष्य में बीमा, अधिमान्यत: आबंटित बजट के 70:20:10 के अनुपात में।

4.4.5 विषय शीर्ष 'मुख्य निर्माण कार्य' तथा 'मशीनरी एवं उपकरण' के प्रति प्रावधान का संवर्धन

वित्त मंत्रालय ने नयी सेवा/सेवा के नए साधन से संबंधित वित्तीय सीमाओं पर दिशा निर्देश से संबंधित दिनांक 25 मई 2006 के का.ज्ञा.के संदर्भ में स्पष्ट किया (21 मई 2012 तथा 5 अक्तूबर 2012) के विषयशीर्ष '52-मशीनरी तथा उपकरण' एवं '53-मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत संवर्धन पर न.स./से.न.सा. के मामलों के संबंध में ₹2.5 करोड़ से अधिक अथवा पहले से दत्तमत्त विनियोग के 10 प्रतिशत से अधिक जो भी कम हो, की निधियों के संवर्धन से संबंधित सभी मामलों में संसद की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगी, चाहे संवर्धन नए निर्माण कार्यों के लिए हो या मौजूदा निर्माणों के लिए।

विनियोग लेखे की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि निम्न 60 मामलों में कुल ₹4,863.57 करोड़ की 11 अनुदान निधियों का विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान संसद की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना संवर्धन किया था जिससे नयी सेवा/सेवा के नये साधनों की सीमाएं आकर्षित हुई जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है।

तालिका 4.8: विषय शीर्ष 'मुख्य निर्माण-कार्य' तथा 'मशीनरी एवं उपकरण' के प्रावधान की वृद्धि

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं. 04-परमाणु ऊर्जा विभाग							
1.	4861.01.208.74.00.53 एच.डब्ल्यू.पी. के परिचालन में प्रणाली उन्नयन एवं एजिंग प्रबंधन	18.21	-	3.82	22.03	24.53	2.50
2.	4861.60.105.12.00.53 कलपक्कम में अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा हेतु सहायता प्रणाली	0.35	-	-	0.35	0.41	0.06
3.	4861.60.202.44.00.53 अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं में संवर्धन	2.40	-	0.28	2.68	2.97	0.29

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
4.	4861.60.203.24.00.53 अवसंरचना सुविधाओं में संवर्धन कल्पक्कम	2.58	-	-	2.58	3.30	0.72
5.	4861.60.204.01.24.53 विकिरण एवं आईसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड	2.00	-	-	2.00	2.41	0.41
6.	5401.00.206.54.00.53 प्रविष्टि उपकरणों के साथ इंडस-2 में निष्पादन सुधार तथा विभिन्न उप प्रणाली का उन्नयन	0.10	-	0.05	0.15	0.45	0.30
7.	5401.00.206.67.00.53 उच्च ऊर्जा प्रोटोन लाइनेक आधारित स्पेलेशन न्यूट्रोन स्रोत हेतु अ.एवं वि. गतिविधियां	0.10	-	0.10	0.20	0.43	0.23
8.	4861.60.203.47.00.52 कलपक्कम में 2 एम.जी.डी.आर. ओ. अलवणीकरण संयंत्र	14.50	-	-	14.50	17.51	3.01
9.	5401.00.201.01.02.52 रिएक्टर विकास कार्यक्रम	0.50	-	0.30	0.80	1.20	0.40
10.	5401.00.201.92.00.52 अ. एवं वि. सुविधाएं	11.92	-	-	11.92	15.96	4.04
11.	5401.00.400.03.12.52 ए.एम.डी.-प्रयोगशालाएं एवं अन्य योजना नीतियां	1.05	-	-	1.05	1.55	0.50
अनुदान सं.09-नागरिक उड्डयन मंत्रालय							
12.	5053.80.001.01.01.53 महानिदेशक नागरिक उड्डयन	7.00	-	-	7.00	11.76	4.76
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2015) कि यह एक निरंतर चलने वाली परियोजना है, परंतु बजटीय प्रावधान में वृद्धि करने पर मई 2012 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण को भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया है।							
अनुदान सं.27- रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय							
13.	जल सेना-वायुयान एवं एयरो इंजन	6708.71	-	-	6708.71	7745.95	1037.24
14.	वायु सेना-वायुयान एवं एयरो इंजन	25539.59	-	-	25539.59	29069.00	3529.41
15.	वायु सेना-भारी एवं मध्यम वाहन	2.82	-	-	2.82	58.81	55.99

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2014) कि लघु शीर्ष 101- वायुयान एवं एयरो-इंजन के अंतर्गत मूल आवंटन अपरिवर्तीत रहा एवं कोई वृद्धि नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, ये लघु शीर्ष 25 मई 2006 के वित्त मंत्रालय में उल्लिखित शीर्षों की सूची के अंतर्गत नहीं आते जिससे संसद की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। मंत्रालय का यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2013-14 के रक्षा सेवा अनुमानों के अंतर्गत थलसेना, नौसेना एवं वायु सेना के लिए 'हवाई जहाजों एवं एयरो इंजन' के लिए अलग बजट लाइन है तथा वृद्धि के लिए वित्तीय सीमा प्रत्येक बजट लाइन के लिए पृथक रूप से लागू होता है। इसके अतिरिक्त 'वायु-यान एवं एयरो इंजन' एवं भारी एवं मध्यम वाहन के अंतर्गत सभी खरीददारी 'मशीनरी एवं उपकरण' की श्रेणी के अंतर्गत आती है, इस प्रकार की वित्तीय सीमाओं की वृद्धि वित्त मंत्रालय के 25 मई 2006 के का.ज्ञा.के विहित है जो समान रूप से रक्षा सेवाओं के लिए लागू होता है, सुरक्षा की दृष्टि से विचारणीय है। इस प्रकार, ₹4,622.64 करोड़ का व्यय प्राधिकृत प्रावधानों के बाहर किया गया जिसके लिए संसद की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी।						
अनुदान सं. 53-गृह मंत्रालय							
16.	4059.80.201.03.00.53 मानव अधिकार आयोग	0.50	-	-	0.50	0.64	0.14
मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2014) कि अनुदान की उसी धारा के अंतर्गत उपलब्ध बचतों के आधार पर पुनर्विनियोग के माध्यम से ₹0.14 करोड़ की राशि का संवर्धन किया गया था तथा यह अनुमेय राशि के भीतर है। संवर्धन को सक्षम प्राधिकरण की स्वीकृति के साथ किया गया था तथा इसे अनुदानों हेतु अनुपूरक मांग के तीसरे एवं अंतिम बैच में संसद को सूचित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्त मंत्रालय का.ज्ञा. 25 मई 2006 तथा बाद में उस पर जारी किए गए स्पष्टीकरणों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विषय शीर्ष 'मुख्य कार्य/मशीनरी एवं उपकरण' ₹2.5 करोड़ से अधिक के था पहले से वोट किए गए विनियोग के 10 प्रतिशत से अधिक, जो भी कम हो, के अंतर्गत प्रावधान में संवर्धन हेतु संसद की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है।						
अनुदान सं.55- पुलिस							
17.	4055.00.212.10.02.52 दिल्ली पुलिस-नवीनतम तकनीक का अधिष्ठापन एवं क्षमता निर्माण	1.00	-	-	1.00	3.49	2.49
18.	4055.00.205.01.00.53 औद्योगिक सुरक्षा बल- कार्यालय भवन	60.98	-	-	60.98	63.74	2.76
19.	4055.00.205.02.00.53 औद्योगिक सुरक्षा बल- आवासीय भवन	34.12	-	-	34.12	37.04	2.92
20.	4055.00.212.09.01.53 दिल्ली पुलिस -यातायात एवं दिल्ली पुलिस के संचार संजाल का आधुनिकीकरण	4.00	-	-	4.00	4.96	0.96
21.	4055.00.201.02.00.53 आवासीय भवन	144.93	-	2.50	147.43	159.30	11.87
22.	4055.00.203.01.04.52 महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल	26.62	-	-	26.62	142.86	116.24

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
23.	4055.00.214.01.03.53 सीमा प्रबंधन - भारत - बंग्लादेश सीमा कार्य	250.00	-	-	250.00	260.58	10.58
24.	4055.00.201.01.00.53 कार्यालय भवन	644.77	-	-	644.77	649.65	4.88
प्रधान लेखा कार्यालय, गृह मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2014) कि एक मामले में टोकन अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया था, ब.अ.प्रावधान से अधिक के अतिरिक्त व्यय हेतु प्राधिकरण की अति आवश्यकता को देखते हुए सी.सु.ब. को जारी किया गया था तथा निधियों के पुनर्विनियोग हेतु प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष के अंत तक अपनी स्वीकृति के बारे में नहीं बताया था। अन्य सभी मामलों में, बुकिंग बाह्य अभिकरणों द्वारा की गई है।						
अनुदान सं. 90-अंतरिक्ष विभाग							
25.	5252.00.203.03.00.52 इनसेट 4/जी-सेट उपग्रह	10.42	-	-	10.42	26.15	15.73
26.	5402.00.101.31.00.52 नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (ने.उ.प्र.)	30.88	-	-	30.88	42.53	11.65
27.	5402.00.283.07.00.53 केंद्रीय प्रबंधन	4.52	-	-	4.52	7.01	2.49
28.	3402.00.101.01.00.52 विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (वि.सा.अं.के.)	5.00	-	-	5.00	6.78	1.78
29.	5402.00.101.20.00.52 ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान- जारी (पी.एल.एस.वी.सी.) परियोजना	7.00	-	-	7.00	8.25	1.25
30.	3402.00.101.02.00.52 इसरो अक्रिय प्रणाली इकाई	0.50	-	-	0.50	1.45	0.95
31.	5252.00.203.03.00.53 इनसेट- 4 /जी सैट उपग्रह	0.26	-	-	0.26	0.99	0.73
32.	5402.00.103.05.00.52 वायुमंडलीय विज्ञान कार्यक्रम	1.00	-	-	1.00	1.62	0.62
33.	5402.00.102.06.00.53 आपदा प्रबंधन सहायता	0.83	-	-	0.83	1.37	0.54
34.	3402.00.101.25.00.52 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र-एस.एच.ए.आर.	0.13	-	-	0.13	0.37	0.24
35.	5402.00.101.35.00.52 मानवयुक्त मिशन पहल/मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम	0.25	-	-	0.25	0.42	0.17

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अंतरिक्ष विभाग ने बताया (दिसम्बर 2014) कि दिनांक 21 मई 2012 के वित्त मंत्रालय के का.ज्ञा. में विषय शीर्ष 'मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत निधियों के संवर्धन के बारे में नहीं बताया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दिनांक 25 मई 2006 के का.ज्ञा. तथा 21 मई 2012 एवं 5 अक्तूबर 2012 के बाद के स्पष्टीकरणों में स्पष्ट किया गया था कि 'नए कार्यों में' भूमि, भवन और/या मशीनरी शामिल हैं। विभाग ने यह भी बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित विषय शीर्ष 'मुख्य कार्य' के अंतर्गत संवर्धन सहीं नहीं था क्योंकि वह ₹2.5 करोड़ से अधिक की सीमा से ऊपर नहीं था। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उपरोक्त संदर्भित वित्त मंत्रालय के का.ज्ञा. एवं उसपर बाद में जारी किए गए स्पष्टीकरणों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि विषय शीर्ष 'मुख्य कार्य'/'मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत ₹2.5 करोड़ से अधिक अथवा पहले से वोट किए गए विनियोग के 10 प्रतिशत से अधिक, जो भी कम हो, के प्रावधान के संवर्धन हेतु संसद की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। परन्तु उपरोक्त मामलों में, संसदीय संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।						
अनुदान सं. 96- अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह							
36.	गृह मंत्रालय 4055.00.208.06.00.52 -- तटीय गार्ड सुरक्षा निगरानी योजना	0.48	-	-	0.48	0.67	0.19
37.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 5054.04.337.02.01.53 - ग्रामीण सड़क	7.00	-	-	7.00	9.45	2.45
38.	शहरी विकास मंत्रालय 4059.80.051.04.00.53-- सामान्य प्रशासन	11.15	-	-	11.15	13.54	2.39
39.	4216.01.106.05.00.53 – सामान्य पूल आवास- भवन	11.41	-	-	11.41	13.92	2.51
40.	4217.60.051.01.00.53 - पोर्ट ब्लेयर क्षेत्र में नान-रोड साइड ड्रेन का निर्माण	1.00	-	-	1.00	1.73	0.73
41.	4225.02.800.01.00.53-- भवन	0.13	-	-	0.13	1.07	0.94
42.	4801.06.800.01.00.53-- भवन	0.50	-	-	0.50	1.98	1.48
अनुदान सं. 98-दादरा एवं नागर हवेली							
43.	गृह मंत्रालय 4055.00.207.01.00.53 जिला पुलिस	1.00	-	-	1.00	3.15	2.15
44.	4055.00.208.01.00.53 भारतीय रिजर्व बटालियन	0.51	-	-	0.51	1.61	1.10
45.	4055.00.211.01.00.53 पुलिस आवास-भवन	0.51	-	-	0.51	1.01	0.50
46.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 4406.01.070.06.00.53 संचार एवं भवन निर्माण	3.01	-	-	3.01	5.02	2.01

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
47.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय 4851.00.101.02.00.53 नई औद्योगिक संपदाओं का विकास	1.50	-	-	1.50	2.28	0.78
48.	शहरी विकास मंत्रालय 4216.01.106.05.00.53- सामान्य पूल आवास-भवन	1.30	-	-	1.30	2.79	1.49
दादर नागर हवेली के सं.शा.क्षे. प्रशासन ने बताया (फरवरी 2015) कि अन्य मुख्य शीर्षों के अंतर्गत उपलब्ध बचतों से इन शीर्षों के अंतर्गत वृद्धि की गई थी वही विषय 'मुख्य कार्य' था। इसके अतिरिक्त बताया गया कि वित्त मंत्रालय के का.ज्ञा. दिनांक 25 मई 2006 के अनुसार 'नई सेवा/सेवा के नए साधन' के लिए विनियोग की प्राथमिक इकाई के लिए संदर्भ में वित्तीय सीमा का विनिश्चय होगा इसके अतिरिक्त उक्त निधियों की वृद्धि नए कार्यों के लिए नहीं थी बल्कि ब.अ. में शामिल पहले से चल रहे कार्यों के लिए थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यय के प्रत्येक मद के लिए पृथक बजट लाइन था एवं प्रत्येक मद के लिए अनुमति पृथक रूप से संसद की स्वीकृति ली गई थी। वित्त मंत्रालय के का.ज्ञा. दिनांक 25 मई 2006 एवं अनुवर्ती स्पष्टीकरण दिनांक 21 मई 2012 के अनुरूप वित्तीय सीमा दोनों नए कार्यों एवं चल रहे कार्यों के लिए लागू थी।						
अनुदान सं. 99-दमन एवं दीव							
49.	कृषि मंत्रालय 4401.00.800.12.00.53 भवन	0.70	-	-	0.70	1.20	0.50
50.	पर्यटन मंत्रालय 5452.01.103.01.00.52 पर्यटक परिवहन- दमन एवं दीव	0.20	-	-	0.20	0.27	0.07
51.	5452.01.103.01.00.53 पर्यटक परिवहन - दमन एवं दीव	7.18	-	-	7.18	8.20	1.02
52.	शहरी विकास मंत्रालय 4210.03.796.02.00.53 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत भवन का निर्माण	0.02	-	-	0.02	0.27	0.25
53.	4215.01.800.01.00.53 अन्य मदें	3.74	-	-	3.74	5.74	2.00
54.	4801.05.095.01.00.53 भवन- दमन एवं दीव	1.90	-	-	1.90	3.90	2.00
55.	4058.00.103.04.00.53 सरकारी प्रैस- निर्माण	0.05	-	-	0.05	0.08	0.03
56.	4059.80.052.02.00.52- क्रय	0.21	-	-	0.21	0.33	0.12
57.	जल संसाधन मंत्रालय 4711.02.103.01.00.53 समुद्री दीवारों का निर्माण	0.80	-	-	0.80	3.30	2.50
अनुदान सं. 101- शहरी विकास विभाग							
58.	4216.01.700.07.03.53 गृह मामले - भवन	0.30	-	-	0.30	0.45	0.15

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
शहरी विकास मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2014) कि उसने शीर्ष 'मुख्य कार्य' के अंतर्गत प्रावधान का संवर्धन नहीं किया था। इस प्रकार, वर्ष 2013-14 के दौरान अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों के माध्यम से संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना इस विषय शीर्ष के अंतर्गत अधिक व्यय किया गया था।							
अनुदान सं. 102- सार्वजनिक कार्य							
59.	4059.80.051.07.01.53 'लेखापरीक्षा भवन'	75.00	-	-	75.00	77.86	2.86
60.	4059.80.051.10.01.53 'वित्त (राजस्व) भवन'	130.00	-	-	130.00	134.50	4.50
शहरी विकास मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2014) कि कार्य जिनके लिए व्यय किया गया था, वह पुराने एवं वर्तमान में चल रहे कार्य थे तथा नए कार्य नहीं थे। मंत्रालय का उत्तर वित्त मंत्रालय के दिनांक 21 मई 2012 के स्पष्टीकरण के अनुसार नहीं था, जिसमें बताया गया था कि चल रहे कार्यों पर भी वित्तीय सीमा लागू होती है।							
	योग						**4863.57**

* ब.अ.= बजट अनुदान उ.पू. = मु.शी. *2552/4552/6552,* के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान अ.प्रा. = अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)

4.5 प्रभारित व्यय का दत्तमत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

भारत के संविधान का अनुच्छेद 112(3)(च) में यह व्यादेश देता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण अथवा किसी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री को पूर्ण करने के लिए आवश्यक राशि को भारत की समेकित निधि पर प्रभारित किया जाएगा।

निम्नलिखित दो मामलों में, ₹124.26 करोड़ की राशि के प्रभार की प्रकृति व्यय को गलत रूप से वर्गीकृत किया गया था तथा संवैधानिक निर्देशों के उल्लंघन में 2013-14 के लिए विनियोग लेखे में प्रभारित व्यय के प्रति दत्तमत व्यय के रूप में बुक कर लिया गया।

तालिका 4.9: दत्तमत व्यय के रूप में प्रभारित व्यय का गलत वर्गीकरण

क्र.सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	मंत्रालय का उत्तर
दत्तमत व्यय के रूप में प्रभारित व्यय का गलत वर्गीकरण				
1.	56-गृ.मं. के अन्य व्यय	1.21	माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ऐजवाल बेंच के आदेशों के अनुसरण में सुरक्षाबलों द्वारा अपनी भूमि के कब्जे हेतु भूमि मालिकों को किराए का मुआवजे के भुगतान हेतु मिजोरम सरकार को अनुदान जारी किए गए थे। व्यय को राजस्व प्रभारित भाग की बजाय राजस्व दत्तमत के अंतर्गत गलत रूप से बुक किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2014) कि जब अनुपूरक अनुदान समाप्त हो चुके थे तथा पुनर्विनियोग से मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त निधियां थीं तब राज्य सरकार से न्यायालय के आदेश प्राप्त किए गए थे। इसने आगे बताया कि ऐसी अत्यावश्यक तथा अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसे निर्गम स्वीकार किए जाते थे।
2.	97- चण्डीगढ़	123.05	माननीय जिला न्यायालय/उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ के निर्णय के कारण भूमि मालिकों को वर्धित मुआवजे के भुगतान के प्रति व्यय को पूंजीगत प्रभारित भाग की बजाय पूंजीगत दत्तमत भाग के अंतर्गत बुक किया गया था तथा गलत प्रावधान प्राप्त किया गया था	उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2015)।
	कुल	**124.26**		

4.6 पूंजी लेखे के बजाय राजस्व लेखे के अंतर्गत तथा प्रतिक्रम में व्यय का गलत वर्गीकरण

भारत के संविधान का अनुच्छेद 112(2) अनुबंधित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरणियां, अन्य व्यय से राजस्व लेखे पर व्यय को अलग रखेंगी। तदनुसार राजस्व लेखे एवं पूंजीगत लेखे पर व्यय का वर्गीकरण करने हेतु सिद्धान्तों की अनुपालना की जानी चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 हेतु नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं.1 में राजस्व प्रकृति के व्यय के गलत वर्गीकरण के मामले पूंजीगत व्यय के रूप में तथा प्रतिक्रम में इंगित किए गए थे। फिर भी कुछ मंत्रालयों/विभागों ने गलत संसदीय प्राधिकरण प्राप्त करना जारी रखा जो अंतिम व्यय को दर्ज करने

में गलत वर्गीकरण का कारण बना जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

4.6.1 पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8, विषय वर्ग छः पूंजीगत परिसंपत्तियों एवं अन्य पूंजीगत व्यय का अधिग्रहण जहाँ विषय शीर्ष यथा 51 से 56 तथा 60 से संबंधित है, को वर्गीकृत करता है। ये विषय शीर्ष[1] पूंजीगत प्रवृत्ति के व्यय की बुकिंग से संबंधित है, और इसलिए केवल पूंजीगत मुख्य शीर्ष के अंतर्गत ही उपयोग किया जाना चाहिए।

वर्ष 2013-14 हेतु ई-लेखा डाटा सहित शीर्ष-वार विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उन मामलों को प्रकट किया जिनमें इन विषय शीर्षों का राजस्व मुख्य शीर्षों के साथ उपयोग किया गया था जैसा नीचे तालिका में दर्शाया गया है, यदि यह व्यय पूंजीगत परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण तथा अन्य पूंजीगत व्यय के प्रति किए जाते, इसका परिणाम पूंजीगत व्यय को ₹1,297.08 करोड़ तक कम बताए जाने में होता।

तालिका 4.10: पूंजीगत प्रकृति के व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

क्र. सं.	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
1.	1-कृषि एवं सहकारिता विभाग	2401	51	0.01	विभाग ने बताया (दिसम्बर 2014) कि वि.व. 2014-15 से पूंजीगत भाग के अंतर्गत विषय शीर्षों '51-मोटरवाहन' तथा '52-मशीनरी एवं उपकरण' हेतु प्रावधान किया गया है।
2.		2401	52	0.31	
3.		2435	52	0.02	
4.	14- दूरसंचार विभाग	3275	51	0.11	विभाग ने बताया (सितम्बर 2014) कि मशीनरी उपकरण

[1] विषय शीर्षों के विवरण एवं वर्णन का संदर्भ **अनुबंध 4.1** में है।

क्र. सं.	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
5.			52	1.40	एवं मोटर वाहन की टूट-फूट से संबंधित व्यय को पूर्व अभ्यास के अनुसार निधियों की बुकिंग/प्रावधान किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा संचालित विषय शीर्ष, टूट-फूट पर बुकिंग व्यय करने के लिए नहीं है।
6.	16- उपभोक्ता मामले विभाग	3425	52	0.02	विभाग ने बताया (दिसम्बर 2014) कि वर्ष 2014-15 से विषय शीर्ष के अंतर्गत मशीनरी एवं उपकरण के अनुरक्षण की प्रकृति के व्यय की बुकिंग को बंद कर दिया गया है।
7.		3475	52	33.43	
8.	20- रक्षा मंत्रालय	2037 (कोड 041/14)	52	58.03	महानियंत्रक रक्षा लेखे (म.नि.र.ले.) ने बताया (दिसम्बर 2014) कि विषयशीर्ष (2037.00. 102.06.01.52) को हटाने का मामला वि.व. 2015-16 से शुरू किया गया है।
9.		2075 (कोड 098/61)	53	6.79	म.नि.र.ले. ने बताया (दिसम्बर 2014) कि कैंटीन स्टोर्स विभाग कार्यों एवं पूंजीगत व्यय अर्थात 2075.00108.01.01.27-लघु कार्य, 2075.00.108.01-01.53-मुख्य कार्य 4075.00.107.03.00.53- भूमि एवं भवन पर पूंजीगत परिव्यय-मुख्य कार्य एवं 4216.02.800.01.01.53 निर्माण हेतु पूंजीगत परिव्यय-लघु कार्य हेतु लेखे के चार शीर्षों को संचालित कर रहा था। विभिन्न कार्यों के अंतर्गत व्यय की बुकिंग को इन लेखों के शीर्षों में संकलित किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पूंजीगत वर्ग के विषय शीर्ष-'53' को राजस्व मुख्य शीर्षों के साथ संचालित नहीं किया जाना चाहिए।

क्र. सं.	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
10.	28- उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	2052	52	0.01	मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2014) कि मुद्दा पहले से ही उठाया गया है तथा आवश्यक सुधार किए गए हैं।
11.	33- आर्थिक मामले विभाग	3054	53	1102.45	विभाग ने बताया (अक्तूबर 2014) कि विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत 2014-15 हेतु बजट अनुमान लगाए गए थे।
12.	44- अप्रत्यक्ष कर	2037	52	14.23	वित्त मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2015) कि वर्ष 2014-15 हेतु अनुदानों के लिए विस्तृत मांगों में चित्रण में सुधार के लिए पहले ही कार्रवाई की गई है।
13.		2038	52	0.32	
14.	47- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210	51	0.01	विभाग ने बताया (जनवरी 2015) कि राजस्व भाग में डी.डी.ओ. ने असावधानी से आहरण चैक द्वारा व्यय को बुक किया गया था तथा भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को न दोहराने के लिए उचित ध्यान रखा जाएगा।
15.		2210/ 2211	52	0.96	
16.	55- पुलिस	2055	52	0.48	प्रधान लेखा कार्यालय, गृह मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2014) कि व्यय को गलती से इस शीर्ष के अंतर्गत बुक कर लिया गया था तथा विलम्बित स्तर पर इस गलती को नोट किया गया था। अतः, सुधार नहीं किया जा सका था। इसके अतिरिक्त यह भी बताया (अक्तूबर 2014) गया कि राजस्व प्रभाग में मुख्यशीर्ष 2055 के अंतर्गत विषय शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' का उपयोग बंद कर दिया गया है।

क्र. सं.	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
17.	62- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	2230	52	2.24	मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि विगत कई वर्षों से गलत वर्गीकरण सामने आ रहा था। हालांकि, योजना को शीघ्र ही बंद कर दिया जाएगा।
18.	90-अंतरिक्ष विभाग	3252	52	0.21	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए, विभाग ने बताया (सितम्बर 2014/दिसम्बर 2014) कि उसने 'व्यय की बुकिंग के सारांश' के मुद्दे के लिए एक समिति को गठित किया था।
19.		3402	52	18.50	
20.	91- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	3454	52	0.05	मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2014 एवं जनवरी 2015) कि व्यय की सही बुकिंग हेतु सभी प्रभागों को पहले से ही निवेदन किया गया था।
21.	104-जल संसाधन मंत्रालय	2701	51/52/53	22.80	उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2015)।
22.		2702	51/52/53	29.40	
23.		2711	51/52	5.01	
24.		3075	52	0.29	
	कुल			**1297.08**	

व्यय आंकड़े स्रोत: ई-लेखा डाटा डम्प/समेकित सार

4.6.2 राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली,1978 (डी.एफ.पी.आर.) का नियम 8, आब्जेक्ट क्लास 6 व 7 के अंतर्गत आने वाले विषय शीर्षों के अतिरिक्त अन्य विषय शीर्षों को राजस्व के रूप में वर्गीकृत करता है। तदानुसार, इन विषय शीर्षों को सामान्यत: पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अनुरूप नहीं होना चाहिए।

वर्ष 2013-14 के लिए शीर्ष-वार विनियोग लेखों व ई-लेखा डाटा की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ऐसे कई मामले प्रकाश में आए जहॉ राजस्व प्रकृति के विषय शीर्षों को गलत प्रकार से पूंजीगत मुख्य शीर्षों के साथ परिचालित किया गया था। यदि यह व्यय पूंजीगत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण एवं अन्य पूंजीगत मदों पर नहीं किया गया तो इस गलत वर्गीकरण का परिणाम संघ सरकार के राजस्व

व्यय को ₹1,253.55 करोड़ तक कम दर्शाए जाने में हुआ जैसा कि **तालिका 4.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.11: **राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण**

क्र. सं.	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
1.	04- परमाणु ऊर्जा विभाग	4861	27	56.17	विभाग ने बताया (जनवरी 2015) कि खारापानी (शीर्ष 4861.01) भारत सरकार की परिसंपत्ति होने के कारण, खारे पानी के उत्पादन में होने वाले सभी खर्चे पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे। जहॉ तक परमाणु खनिज प्रभाग (शीर्ष 4861.02) का संबंध है, पूंजीगत कार्य के अंतर्गत मुख्य रूप से सर्वेक्षण करना तथा अस्थाई अवसंरचना प्रदान करके पूर्वेक्षण काम करना था और इसलिए यह 'लघु कार्यों' के अंतर्गत संचालित हुआ था। उत्तर को वि.रा.प्र.नि. के नियम 8 के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसके अनुसार श्रेणी 6 को छोड़कर संबंधित विषय शीर्ष को राजस्व के रूप में वर्गीकृत किया जाना है। विषय शीर्ष '27-लघु कार्य' को श्रेणी-3 में रखा गया है अत: इसलिए इसे पूंजीगत प्रभाग के अंतर्गत बुक नहीं किया जा सकता है।
2.	33-आर्थिक मामलों का विभाग	5465	32	250.00	विभाग ने बताया (अक्तूबर 2014) कि इस मुद्दे को बजट प्रभाग के साथ परामर्श करके सुलझाया जाएगा तथा निर्णय को अलग से सूचित किया जाएगा।
3.		5475	50	0.02	विभाग ने बताया (अक्तूबर 2014) कि विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत व्यय की बुकिंग से संबंधित मुद्दे की सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रकोष्ठ एवं बजट प्रभाग के साथ अलग से जांच की जाएगी।

क्र. सं.	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
4.	53- गृह मंत्रालय	4216	27	3.62	मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2014) कि वित्त मंत्रालय की सलाह के साथ मुख्य शीर्ष "2070" के अंतर्गत राजस्व प्रभाग में दो नए लेखा शीर्ष अर्थात 'लघु कार्य' एवं 'कार्यालय व्यय' को शुरू करके अब कथित गलत वर्गीकरण में सुधार कर लिया गया है।
5.	55- पुलिस	4055	50	838.80	प्रधान लेखा कार्यालय, गृह मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2014) कि अनुदान के पूंजीगत प्रभाग के अंतर्गत श्रेणी 1 से 5 के विषय शीर्ष के उपयोग पर कोई रोक नहीं है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डी.एफ.पी.आर. का नियम 8, श्रेणी 6 एवं 7 के अलावा अन्य विषय शीर्षों को राजस्व प्रकृति के रूप में वर्गीकृत करता है। तदनुसार, अन्य विषय शीर्ष सामान्य रूप से पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अनुरूप नहीं होता है।
6.	88- पोत परिवहन मंत्रालय	5051	50	0.36	उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2015)।
7.		5052	50	0.41	
8.		5051	01/06/ 11/13 20/26	7.00	मंत्रालय के लेखा कार्यालय के प्रधान मुख्य नियंत्रक ने बताया (सितम्बर 2014) कि मुद्दे की जांच मंत्रालय द्वारा की गई थी तथा स्टाफ पर किए गए व्यय को राजस्व शीर्ष पर प्रभारित करने के लिए आवश्यक प्रावधान वर्ष 2014 -15 हेतु अनुदानों के लिए विस्तृत मांग में शीर्ष 3051 के अंतर्गत किया गया था।
9.	94- पर्यटन मंत्रालय	5452	28	2.00	पर्यटन मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2014) कि वह शीर्ष "पेशेवर सेवा" के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन सलाहकार पर व्यय की बुकिंग पर व्यय के मुद्दे को किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग के साथ जरूर उठाएगा।
10.	96- अंडमान एवं	4059	28	0.05	उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2015)।
11.		4401	21	5.48	

क्र. सं.	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
12.	निकोबार	4406	50	0.38	
13.		4801	50	0.55	
14.		4801	21	76.70	
15.		4801	43	0.63	
16.		5052	50	1.66	
17.		5452	50	3.38	
18.	104- जल संसाधन मंत्रालय	5075	01/03/ 06/11/ 13/20/ 43/50	6.34	उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2015)।
	कुल योग			**1253.55**	

4.6.3 ₹450 करोड़ की राशि का पूंजी प्रभाग में व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण पर व्यय को गलत दर्ज किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 79 के साथ पठित सरकारी लेखांकन नियमावली, 1990 का नियम 31, अनुबंधित करता है कि स्थायी अथवा अल्पकालिक प्रकृति की ठोस परिसंपत्तियों के सृजन हेतु किया गया किसी प्रकार का व्यय पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। सृजित संपित्त का स्वामित्व भी इसके सृजन पर हुए व्यय तथा अनुदान के पूंजीगत प्रभाग में वर्गीकृत किए जाने की अर्हता प्राप्त करने के लिए सरकार के पास रहेगा।

इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 48 में संदर्भित परिशिष्ट 3 का पैरा 4 अनुबंधित करता है कि बजट में कोई एक मुश्त प्रावधान नहीं किया जाएगा सिवाय उसके जहां आकस्मिक परिस्थिति से निपटने हेतु तुरंत उपाय प्रदान किए जाने हैं अथवा ऐसी परियोजना/योजना जिस पर प्रारंम्भिक व्ययों को पूरा करने हेतु एवं वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किए जाने हेतु मूल में स्वीकार किया गया है। वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली (वि.श.प्र.नि.) का नियम 8 भी अनुबंधित करता है कि विषय शीर्ष '42- एक मुश्त प्रावधान' का उपयोग, योजनाओं, जिसके प्रावधान ₹10 लाख से अधिक न हों, के संबंध में व्यय को दर्ज करने हेतु किया जाना चाहिए।

वर्ष 2013-14 हेतु अनुदान सं. 33- आर्थिक कार्य विभाग के विनियोग लेखे के साथ समेकित सार एवं अनुदानों हेतु विस्तृत मांग की संवीक्षा ने उद्घटित किया कि व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (व्य.अं.वि.) के रूप में अवसंरचना परियोजनाओं

के लिए दी गयी सहायता को दर्शाने वाले ₹450 करोड़ के व्यय को अनुदान के पूंजीगत प्रभाग में दर्ज किया गया था। चूंकि अवसंरचना के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (व्य.अ.वि.) के रूप में सहायता अनुदान स्वरूप, एक समय या आस्थगित, सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली के माध्यम से उन्हें व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने की दृष्टि से शुरू की गयी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ऐसे व्यय को विषय शीर्ष '42-एक मुश्त प्रावधान' के प्रति शीर्ष 5475- अन्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 800-अन्य व्यय, 12-अवसंरचना विकास व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण हेतु सहायता के तहत दर्ज करना ऊपर उल्लेखित नियमावली के विपरीत था। इस व्यय को अनुदान के राजस्व प्रभाग के तहत दर्ज किया जाना चाहिए था।

इसके अतिरिक्त, विषय शीर्ष '42-एक मुश्त प्रावधान' के तहत व्यय हेतु प्राप्त ₹678 करोड़ का प्रावधान मौजूदा निर्देशों के उल्लंघन में था, जो अनुबंधित करते हैं कि एक मुश्त प्रावधान ₹10 लाख से अधिक न हो। अन्य सभी मामलों में व्यय के अन्य विषयों के अनुसार विवरण दिया जाना चाहिए। मुद्दे को म.नि.ले.प. के 2013 एवं 2014 के प्रतिवेदन सं.1 में भी इंगित किया गया था, लेकिन उचित शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान को प्राप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे।

विभाग ने बताया (अक्तूबर 2014) कि यह वास्तविक रूप में क्लासिक पूंजीगत व्यय था; जहां पूंजीगत व्यय हेतु परिसंपत्ति सृजन होता यदि परियोजना व्यवहार्य होती, कंसेसियनर द्वारा वित्त पोषित होती, उसका पूंजीगत व्यय होता जिसे अनुदान के रूप में कंसेसियनर को दिया जाता। उसने आगे बताया कि सा.वि.नि. के साथ सरकार लेखांकन नियमावली यह परिकल्पित करता है कि स्थायी या आंतरिक प्रकृति की ठोस परिसंपत्ति के सृजन हेतु किए गए पूंजीगत व्यय को पूंजीगत परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। सृजित परिसम्पत्ति का स्वामित्व सरकार के पास होगा जो सृजन पर किया गया व्यय योग्य होगा एवं अनुदान के पूंजीगत प्रभाग में वर्गीकृत किया जाएगा।

विभाग को संघ एवं राज्य के लेखे के मुख्य एवं लघु शीर्षों जहां मद अर्थात व्यवहार्यता अन्तराल निधिकरण को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है की सूची की समीक्षा करने के लिए श्री सी.आर. सुन्दरमूर्ती की अध्यक्षता के

अंतर्गत समिति की अनुशंसाओं के प्रकाश में अपने उत्तर पर पुनर्विचार करना चाहिए। हालांकि, यह प्रतिवेदन कार्यान्वयन हेतु सरकार के विचाराधीन है।

4.6.4 गलत वर्गीकरण के अन्य मामले

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 79 अनुबंधित करता है कि अनुरक्षण, मरम्मत, रख-रखाव तथा कार्य चालन व्ययों पर प्रभार, जो परिसंपत्तियों को क्रियात्मक स्थिति में अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, और संगठन के दिन प्रति दिन परिचालन हेतु स्थापना एवं प्रशासनिक व्ययों सहित, किये गये सभी अन्य व्यय को भी, राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

वर्ष 2013-14 के लिए शीर्षवार विनियोग लेखे के साथ-साथ ई-लेखा डाटा की लेखा परीक्षा संवीक्षा ने ऐसे कई मामले उद्घटित किये जहॉ राजस्व प्रकृति का व्यय, पूंजीगत व्यय के रूप में अथवा इसके प्रतिक्रम में वर्गीकृत किया गया था जो राजस्व व्यय के अधिक बताए जाने/कम बताए जाने तथा ₹1,263.24 करोड़ तक संघ सरकार के राजस्व घाटे पर भी प्रभाव होने में परिणत हुआ जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.12: अनुदान के विभिन्न प्रभागों के बीच गलत वर्गीकरण

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियॉ	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
	पूंजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण			
1.	11– वाणिज्य विभाग	108.50	विभाग ने फु.डि.वि.सं. (पटना, हैदराबाद एवं मध्य प्रदेश में गुना में) की नई शाखाओं की स्थापना तथा फु.डि.वि.सं. प्रशिक्षण केन्द्र (छिंदवारा) में विस्तार एवं उन्नयन हेतु फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (फु.डि.वि.सं.) को ₹108.50 करोड़ की राशि जारी की थी। इस राशि को अनुदान के राजस्व प्रभाग में विषय शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत बुकिंग करने की बजाय विषय शीर्ष 'मुख्य कार्य' (5453.80.800.10.01.53) के अंतर्गत अनुदान के पूंजीगत प्रभाग के लेखे में बुक किया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2015)।
2.		1.00	विभाग ने ₹1.00 करोड़ की राशि फु.डि.वि.सं. के कैंपस नेटवर्किंग केन्द्र (फु.डि.वि.सं.-कै.ने.के.) तथा चमड़े की उच्च गुणवत्ता केन्द्र इत्यादि की स्थापना हेतु जारी की, जिसे वस्तुएं राजस्व भाग में '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत बुकिंग की बजाए विषय शीर्ष 'मुख्य कार्य' (5453.80.800.10.02. 53) के अंतर्गत अनुदान के पूंजीगत प्रभाग के लेखे में बुक की गई थी।	उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2015)।
3.	14- दूरसंचार विभाग	211.51	विभाग ने वा.से.ने. (वायु सेना नेटवर्क) का भुगतान हेतु बैंडविडथ किराए पर लेने वाले प्रभारों के लिए बी.एस. एन. एल. को ₹211.51 करोड़ की राशि का भुगतान किया था तथा इसे गलत रूप से राजस्व मुख्य शीर्ष-3275 के अंतर्गत '28-पेशेवर सेवाएं' के विषय शीर्ष की बजाए पूंजीगत मुख्य शीर्ष-5275 के अंतर्गत विषय शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत गलत रूप से बुक किया गया था।	विभाग ने (फरवरी 2015) में बताया कि वित्त मंत्रालयने पूंजी से राजस्व में निधि के पुनर्विनियोग के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था क्योंकि सा.वि.नि. में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा पर्यवेक्षण द्वारा उठाये गये गलत वर्गीकरण से संबंधित उत्तर नहीं है।

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियॉ	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
4.	33- आर्थिक मामलों का विभाग (आ.मा.वि.)	1.34	विषय शीर्ष '54-निवेश' (5466.00. 205.02.00.54) के अंतर्गत अनुदान के पूंजीगत प्रभाग में अफ्रीकी विकास निधि को भारत सरकार द्वारा किए गए अंशदान को दर्शाने वाला व्यय बुक किया गया था। व्यय की प्रकृति अंशदान होने के कारण, इसे विषय शीर्ष '32-योगदान' के प्रति अनुदान के राजस्व प्रभाग के अंतर्गत उचित रूप से वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इस मुद्दे को 2014 के म.नि.ले.प. के प्रतिवेदन सं.1 में भी इंगित किया गया था।	विभाग ने बताया (अक्तूबर 2014) कि राजस्व प्रभाग के अंतर्गत विषय शीर्ष '54' के अंतर्गत व्यय की बुकिंग से संबंधित मामले का अलग से बह् पार्श्व संस्थान प्रभाग (ब.पा.) एवं बजट प्रभाग के साथ जांच की जाएगी। लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि विषय शीर्ष- '54' के अंतर्गत न करके राजस्व प्रभाग में विषय शीर्ष-'32' के अंतर्गत करना था।
5.		1000.00	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (रा.कौ.वि.नि.) की 'राष्ट्रीय कौशल प्रमाणीकरण एवं मौद्रिक पुरस्कार योजना' में किए गए व्यय को अनुदान (5465.01.190.24.03.54) के पूंजीगत प्रभाग में लेखे में बुक किया गया था। विभिन्न कौशलों के विकास हेतु देश के युवा को प्रेरित कर प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए रा.कौ.वि.नि. को यह निधियां प्रदान की गई थीं ताकि उनकी रोजगार क्षमता तथा उत्पादकता को बढ़ावा दिया जा सके और न कि रा.कौ.वि.नि. की पूंजी में वृद्धि के लिए। विषय शीर्ष '32-योगदान' के प्रति अनुदान के राजस्व प्रभाग के अंतर्गत इस व्यय को उचित रूप से वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।	विभाग ने बताया (अक्तूबर 2014) कि डी.डी.जी. 2014-15 में अनुदान के राजस्व प्रभाग के अंतर्गत 'राष्ट्रीय कौशल प्रमाणीकरण एवं मौद्रिक पुरस्कार योजना' के लिए प्रावधान किया गया है।

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियॉ	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
6.	85- विज्ञान एवं तकनीक विभाग	0.21	विभाग ने इमारत के अनुरक्षण के प्रति ₹0.21 करोड़ का व्यय किया था जिसे अनुदान के राजस्व प्रभाग में विषय शीर्ष '27-लघु कार्य' के अंतर्गत बुक करने की बजाय विषय शीर्ष '53-मुख्य कार्य' के अंतर्गत पूंजीगत प्रभाग में गलत तरीके से बुक किया गया था।	विभाग ने बताया (दिसम्बर 2014) कि किसी भी विशिष्ट कोड शीर्ष (मुख्य/लघु) के अंतर्गत बजट के उपयोग को लेखा नियंत्रक/आई.एफ.डी. की सहमति से किया जा सकता है। लेखा नियंत्रक द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, 2014-15 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दे को सुधार लिया गया था।
7.		0.13	विभाग ने कम्प्यूटर टेबल, कम ऊँचाई के चेम्बर, कम ऊँचाई की अलमारी के प्रति ₹0.13 करोड़ का व्यय किया था तथा इसे अनुदान के राजस्व प्रभाग में विषय शीर्ष '13-कार्यालय प्रभार' के अंतर्गत बुक करने की बजाय इसे पूंजीगत प्रभाग में विषय शीर्ष '53-मुख्य कार्य' के अंतर्गत बुक किया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2015)।
8.	88- पोत परिवहन मंत्रालय	55.98	मंत्रालय ने नये परिसर के निर्माण एवं विकास के लिए एक केन्द्रीय संस्थान, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (चेन्नई) को ₹55.98 करोड़ की राशि संवितरित की थी जिसे अनुदान के राजस्व प्रभाग में विषय शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत वर्गीकृत करने की बजाय विषय शीर्ष '53- मुख्य कार्य' में पूंजीगत प्रभाग में बुक कर दिए गए थे।	मंत्रालय के लेखा कार्यालय के प्रधान मुख्य नियंत्रक ने बताया (सितम्बर 2014) कि मंत्रालय में मुद्दे की जांच की जा रही थी तथा राजस्व मुख्य शीर्ष '3052' के अंतर्गत विषय शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के प्रति 2014-15 हेतु अनुदानों के लिए विस्तृत मांगों में उचित प्रावधान किए गए थे।
9.	90- अंतरिक्ष विभाग	1.66	विभाग ने दूरसंचार विभाग को उनकी रिमोट सैंसिंग तकनीक के लिए लाइसेंस शुल्क एवं रॉयलटी के प्रति ₹1.66 करोड़ का व्यय किया था जिसे अनुदान के राजस्व प्रभाग के अंतर्गत विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' की बजाय विषय शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय' तथा पूंजीगत प्रभाग में '52-मशीनरी एवं उपकरण' में गलत रूप से दर्ज किया गया था।	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, विभाग ने बताया (सितम्बर/दिसम्बर 2014) कि उसने 'व्यय की बुकिंग पर

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियॉ	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
10.		0.23	विभाग ने एस-बैंड उच्च शक्ति एम्पलीफायर के अनुरक्षण प्रभारों के प्रति ₹0.23 करोड़ का व्यय किया था जिसे अनुदान के राजस्व प्रभाग में विषय शीर्ष '27- लघु कार्यों' की बजाय पूंजीगत प्रभाग में विषय शीर्ष '52- मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था।	सारांश' मुद्दे के लिए एक समिति का गठन किया था।
11.		8.89	विभाग ने विद्युत प्रभारों के प्रति ₹8.89 करोड़ का व्यय किया था जिसे अनुदान के राजस्व प्रभाग में विषय शीर्ष '13- कार्यालय व्यय' की बजाय पूंजीगत प्रभाग में विषय शीर्ष '60- अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	
12.		0.63	विभाग ने एन.ए.आर.एल. (एक स्वायत्त निकाय) को वायुमंडलीय विज्ञान परियोजना (वा.वि.प.) के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान पर ₹0.63 करोड़ का व्यय किया था जिसे अनुदान के राजस्व प्रभाग में विषय-शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' की बजाय पूंजीगत प्रभाग में विषय शीर्ष- '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया है।	विभाग ने बताया (दिसम्बर 2014) कि ए.एस.पी. कार्यक्रम के विभिन्न इकाइयों/स्वायत्त निकायों द्वारा कार्यान्वित किया गया है। इसलिए, इस परियोजना के अंतर्गत एन.ए.आर.एल. (इसके अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय) को पूंजीगत उपकरण के प्रापण के लिए जारी निधियों को अन्य पूंजीगत व्यय के अंतर्गत दर्ज किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि किसी परियोजना/कार्यक्रम/योजना के अंतर्गत पूंजीगत उपकरण के प्रापण हेतु किसी बाहर के अभिकरण को सरकारी विभाग द्वारा जारी निधियों को विषय शीर्ष '35- पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत दर्ज किया जाना आवश्यक है।

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियॉ	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
13.		80.77	विभाग ने नासा द्वारा प्रदत्त 'संविदात्मक उपग्रह ट्रैकिंग सेवाओं' के प्रति ₹80.77 करोड़ का व्यय किया था जिसे अनुदान के राजस्व प्रभाग में विषय शीर्ष '30- अन्य संविदात्मक सेवाओं' की बजाय पूंजीगत प्रभाग में विषय शीर्ष-'60- अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए विभाग ने बताया (सितम्बर/दिसम्बर 2014) कि उसने 'व्यय की बुकिंग पर सारांश' के मुद्दे हेतु एक समिति का गठन किया है।
राजस्व प्रभाग की ₹1,470.85 करोड़ तक की न्यूनोक्ति				
	राजस्व व्यय के रूप में पूंजीगत व्यय का गलत वर्गीकरण			
1.	85- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	1.03	विभाग ने राष्ट्रीय मध्यम परास मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एन.सी.एम. आर.डब्ल्यू.एफ.) के निर्माण हेतु नोएडा, यू.पी. में प्रापण की गई भूमि पट्टा विलेख के निष्पादन हेतु शुल्क के प्रति ₹1.03 करोड़ का व्यय किया था जिसे अनुसंधान के पूंजीगत प्रभाग में विषय शीर्ष '53-मुख्य कार्य' की बजाय विषय शीर्ष '14- किराया, दरों एवं करों' के अंतर्गत राजस्व प्रभाग में गलत रूप से दर्ज किया गया था।	विभाग ने बताया (दिसम्बर 2014) कि किराया करों के लिए भुगतान किया गया था तथा पट्टे के विस्तार से संबंधित राशि को नोएडा के सक्षम प्राधिकरण द्वारा माफ कर दिया गया था। इसलिए, किराया एवं दरों तथा पट्टे पर दी गई भूमि से संबंधित नोएडा प्राधिकरण द्वारा बढ़ाई गई राशि होते हुए भुगतान उचित रूप से किया गया था। संस्वीकृति में उल्लिखित उद्येश्य 'पट्टे हेतु' तथा और इसलिए उत्तर वास्वत में गलत है। इसके साथ, किया गया व्यय पूंजीगत प्रवृत्ति का था क्योंकि तब तक इमारत का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ था।

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियॉ	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
2.	90- अंतरिक्ष विभाग	198.14	अंतरिक्ष विभाग ने दिनांक 16 अप्रैल 2007 के अपने आदेश में स्पष्ट किया कि एक वर्ष से अधिक के सेवाकाल (ऐसे उपग्रहों के लिए प्रक्षेपण सेवाओं समेत) वाले उपग्रहों के मामले में 'आपूर्तियों एवं सामग्री' तथा 'अन्य प्रभारों' पर हुआ व्यय 'अन्य पूंजीगत व्यय' के रूप में वर्गीकरण योग्य है। हालांकि, ₹198.14 करोड़ के व्यय को वर्तमान के आदेशों के अनुसार पूंजीगत प्रभाग में '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत सही तरीके से दर्ज किया जाना चाहिए, परंतु इसे राजस्व प्रभाग में विषय शीर्ष '21-आपूर्ति एवं सामग्री' तथा '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, विभाग ने बताया (सितम्बर/दिसम्बर 2014) कि 'व्यय को बुकिंग पर सारांश' के मुद्दे हेतु एक समिति को गठित किया था।
3.		8.44	उपकरण के अधिग्रहण (तीन मामले[2]) को पूंजीगत प्रभाग में विषय शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' की बजाय विषय शीर्ष '21-आपूर्ति एवं सामग्री' के अंतर्गत राजस्व प्रभाग में वर्गीकृत किया गया था।	
₹ 207.61 करोड़ तक का राजस्व व्यय का अधिकथन				
	समग्र प्रभाव: ₹ 1,263.24 करोड़ तक राजस्व व्यय को कम बताया गया था।			

इस प्रकार का गलत वर्गीकरण जवाबदेही को अप्रभावी कर देता है, और लेखांकन में पारदर्शिता, पूर्णता, समग्रता, स्थिरता तथा तुलनीयता प्राप्त करने के मूल उद्देश्य को विफल कर देता है और इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये दोबारा न हो के लिए त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है।

गलत वर्गीकरण का प्रभाव:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112(2) में विनिर्दिष्ट वर्गीकरण के सिद्धांतों का अनुपालन करने में मंत्रालयों/विभागों द्वारा विचलन का प्रभाव सरकार के राजस्व घाटे के न्यूनोक्ति अथवा अधिकथन पर होता है।

[2] 3402.00.101.01.00.21, 3402.00.800.01.00.21, 3402.00.101.33.00.21

राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में तथा प्रतिक्रम में गलत तरीके से वर्गीकरण का प्रभाव पूंजीगत व्यय के ₹3,174.40 करोड़ तक अधिकथन एवं पूंजीगत व्यय के ₹1,504.69 करोड़ के पूंजीगत व्यय न्यूनोक्ति में हुआ। सरकारी व्यय पर समग्र प्रभाव ₹1,669.71 करोड़ के पूंजीगत व्यय के अधिकथन में हुआ। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ₹1,669.71 करोड़ के बराबर राशि के राजस्व घाटे के अधिकथन में हुआ।

4.7 अनुदान/विनियोग के एक ही प्रभाग के भीतर गलत वर्गीकरण के अन्य मामले

4.7.1 भारतीय लोक लेखे की बजाय भारत की समेकित निधि के माध्यम से गलत लेन-देन पारित होना

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 (1) एवं (2) प्रावधान करता है कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार द्वारा राजकोषीय बिल जारी कर उगाहे गये सभी ऋणों अथवा अर्थोपाय अग्रिमों और उस सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त की गई समस्त धनराशि एक समेकित निधि का गठन करेगी जिसे 'भारत की समेकित निधि' कहा जाएगा। इसके अलावा, उस सरकार की सामान्य प्राप्तियां एवं व्यय जो कि समेकित निधि से संबंधित हैं, कुछ अन्य अंतर सरकारी लेखे में प्रविष्ट किए जाते हैं जिसके संबंध में सरकार बैंकर/अंतरणकर्ता के रूप में कार्य करता है। अत: प्राप्त किए गए सार्वजनिक धन को लोक लेखे में रखा जाता है, तथा वहीं से संबंधित संवितरण भी किए जाते हैं।

कोयला मंत्रालय की वर्ष 2013-14 से संबंधित अनुदान सं.10 के संबंध में विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि कोल इण्डिया लिमिटेड (को.इ.लि.) द्वारा उनकी ओर से कोयले से समृद्ध क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु मंत्रालय के पास ₹761 करोड़ जमा किया गया था। कोयला समृद्ध क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु भारत की समेकित निधि से पूंजीगत शीर्ष 4803.00.800.01.00.54 में ₹761 करोड़ का व्यय किया था तथा व्यय को को.इ.लि. से प्राप्तियों के साथ पूरा किया गया था। चूंकि कोयला समृद्ध क्षेत्रों को को.इ.लि. द्वारा किए गए विशिष्ट जमा के प्रति प्राप्त किया गया था इसलिए लेन-देनों को भारत की समेकित निधि के माध्यम से

पारित नहीं किया जाना चाहिए था। इस मुद्दे को 2013 एवं 2014 के म.नि.ले.प. के प्रतिवेदन सं.1 में भी इंगित किया गया था।

वित्त वर्ष 2013-14 के लिए कोयला मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2014) कि भारत की समेकित निधि की बजाय लोक लेखे में व्यय की बुकिंग हेतु साधन प्रक्रियाधीन है।

उसी प्रकार, वर्ष 2013-14 हेतु विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदान सं.76 की संवीक्षा से पता चला कि राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम (रा.ता.वि.नि.) द्वारा उनकी ओर से कोयले से समृद्ध क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु मंत्रालय को ₹301.45 करोड़ की राशि जमा की थी जिसे लोक लेखे के माध्यम से जमा कार्य के रूप में अन्तरण को पारित करने की बजाय भारत की समेकित निधि से किए गए पूंजीगत व्यय की कटौती के रूप में माना जा रहा था।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि रा.ता.वि.नि. द्वारा प्रदत्त निधियों के प्रति व्यय किया गया था तथा वह कोयला मंत्रालय द्वारा रा.ता.वि.नि. को आवंटित कोयला खंड के संबंध में प्राप्त भूमि हेतु कोयला समृद्ध क्षेत्रों (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 17 के अंतर्गत भूमि विस्थापितों को प्रतिपूर्ति के भुगतान से संबंधित था, इसलिए भा.स.नि. से किसी प्रकार के निवल निर्गम के बिना विद्युत मंत्रालय के अनुदानों हेतु मांग के माध्यम से उपरोक्त व्यय किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अंतरण भारत के संविधान के वर्तमान प्रावधान के अनुरूप नहीं था, जो कि भारत के लोक लेखे के माध्यम से ऐसे लेनदेन की प्रक्रिया हेतु प्रदान करता है।

4.7.2 विषय शीर्ष 'सहायता अनुदान वेतन' का परिचालन न होना

व्यय विभाग वित्त मंत्रालय, ने 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी '36-सहायता अनुदान-वेतन' नए एक शीर्ष का प्रारंभ वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम 1978 के नियम 8 के नीचे विषय श्रेणी-4 के अंतर्गत विषय शीर्षों की सूची में किया।

वर्ष 2013-14 के लिए विनियोग लेखे की संवीक्षा ने उद्घटित किया कि इन विषय शीर्षों को निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों में परिचालित नहीं किया गया था, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 4.13: विषय शीर्ष 'सहायता-अनुदान वेतन' का परिचालन न होना'

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति एवं मंत्रालय/विभाग के उत्तर
1.	12- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	राष्ट्रीय उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक परिषद (रा.उ.प्र.प.) दिनॉक 6 अक्तूबर 2004 की अधिसूचना के माध्यम से औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। (रा.उ.प्र.प.) के स्थापना व्ययों को विषय शीर्ष 01- वेतन, 03-समयोपरि भत्ता, 06- चिकित्सा उपचार, 13-कार्यालय व्यय, आदि के प्रति किए गए ₹2.40 करोड़ के व्यय को अनुदान के राजस्व वर्ग में उप-शीर्ष 2852.80.800.19-राष्ट्रीय उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक परिषद के अंतर्गत दर्ज किया गया था। वेतन के संबंध में आवंटन/व्यय को विषय शीर्ष '36-सहायता अनुदान वेतन' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। औ.नी.प्रो.वि. ने सा.वि.नि. के नियम 206 के प्रावधान को संदर्भित करते हुए बताया (सितम्बर 2014) कि रा.उ.प्र.प. अभी तक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं थी और इसलिए बजटीय प्रावधान को सहायता अनुदान के अंतर्गत प्रदान नहीं किया गया है। लेखापरीक्षा टिप्पणियों को देखते हुए रा.उ.प्र.प. को स्वयं को शीघ्रतिशीघ्र सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत करवाने का निर्देश दिया गया है। औ.नी.प्रो.वि. ने बताया (नवम्बर 2014) कि अगले वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु विषय शीर्ष '36-सहायता अनुदान वेतन' के अंतर्गत परिषद को बजटीय आवंटन प्रदान किया जाएगा।
2.	14- दूरसंचार विभाग	विभाग ने टेलिमेटिक्स (सी-डॉट) के विकास हेतु केन्द्र को ₹224.25 करोड़ की राशि जारी की थी। प्राप्त किए गए कुल अनुदान में से, सी-डॉट द्वारा वेतन एवं बोनस के रूप में ₹126.44 करोड़ की राशि संवितरित की गई थी। हालांकि, ₹224.25 करोड़ की संपूर्ण राशि को विभाग द्वारा विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' और '36-सहायता अनुदान-वेतन' में विभाजित करने की बजाय 'सहायता अनुदान-सामान्य' रूप में दर्ज की गई थी। विभाग ने बताया (फरवरी 2015) कि सी-डॉट द्वारा भुगतान किए गए वेतनों हेतु व्यय को समायोजित करने के लिए वर्ष 2015-16 हेतु डी.डी.जी. में एक नया विषय शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' खोला गया है।

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति एवं मंत्रालय/विभाग के उत्तर
3.	15-इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	विभाग ने मीडिया लैब एशिया जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनी है के राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस प्रभाग (रा.ई.ग.प्र.) में क्षमता निर्माण प्रबंधन प्रकोष्ठ हेतु ₹20.31 करोड़ के अनुदान जारी किए थे। इसमें से, रा.ई.ग.प्र. द्वारा वेतनों, मानदेय, साक्षात्कार व्यय आदि के भुगतान के प्रति ₹13.29 करोड़ का उपयोग किया गया था। तथापि, विभाग द्वारा ₹20.31 करोड़ की संपूर्ण राशि को विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' एवं '36-सहायता अनुदान-वेतन' में विभाजित करने की बजाय सहायता अनुदान के रूप में दर्ज किया गया था। विभाग ने बताया (दिसम्बर 2014) कि विषय शीर्ष '36-सहायता अनुदान वेतन' के विवरण के अनुसार, इस शीर्ष के अंतर्गत वेतनों के भुगतान हेतु सहायता अनुदान के रूप में जारी राशियां शामिल होंगी। यह भी बताया गया कि विभाग ने क्षमता निर्माण योजनाओं के कार्यान्वयन मुख्य रूप से राज्य ई-गर्वनेंस मिशन दलों (ई.ग.मि.द.) के कार्य हेतु रा.ई.ग.प्र. की ₹20.31 करोड़ का सहायता अनुदान जारी किया था तथा रा.ई.ग.प्र. द्वारा क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ के कार्यान्वयन एवं इस प्रकोष्ठ को आवंटित किए जाने वाले कार्यों के लिए आगे इन निधियों का उपयोग किया गया था। इस प्रकार, जारी की गई निधियां वेतनों के भुगतान हेतु नहीं थी। तथापि, अनुदान का बहुत बड़ा हिस्सा वेतनों के भुगतान हेतु खर्च किया गया था इस प्रकार, व्यय के उचित प्रमाणन हेतु विषय शीर्ष '36-सहायता-अनुदान-वेतन' का संचालन आवश्यक है।
4.	18- कार्पोरेट मामला मंत्रालय	मंत्रालय ने वेतन के रूप में भारतीय कॉर्पोरेट मामला संस्थान (भा.कॉ.मा.सं.) को ₹2.37 करोड़ की अनुदान जारी किया था तथा इसे विषय शीर्ष '36-सहायता अनुदान वेतन' की बजाय लेखा शीर्ष 3475.00.800.79.00.31 'सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। उसी प्रकार, वेतनों के भुगतान हेतु भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (भा.प्र.आ.) को ₹15.66 करोड़ का अनुदान जारी किया गया था तथा इसे '36-सहायता अनुदान-वेतन' की बजाय लेखा शीर्ष 3451.00.090.05.06.31 'सहायता अनुदान-सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2014) कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से भा.कॉ.मा.सं. एवं भा.प्र.आ. के लिए एक नया विषय शीर्ष 'सहायता अनुदान वेतन' को सृजित किया गया है तथा वेतन हेतु अनुदान इस शीर्ष में जारी किए जा रहे हैं।

4.7.3 अनुदान के एक ही प्रभाग के अंतर्गत विषय शीर्षों में गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8 व्यय के वर्गीकरण के उद्देश्य हेतु विवरणों/परिभाषाओं के साथ विनियोग की मानक प्राथमिकता इकाई का निर्धारण करता है। इसके अंतर्गत दर्ज किए जाने वाले कुछ विषय शीर्ष और व्यय के विवरण **अनुबंध-4.1** में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 23 अनुदानों/विनियोगों में 48 मामलों में कुल ₹3,873.43 करोड़ की निधियों को विनियोजन की इन प्राथमिक इकाईयों अर्थात विषय शीर्षों में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था, जिनका **तालिका 4.14** में विवरण दिया गया है।

तालिका 4.14: अनुदान के उसी वर्ग में विषय शीर्षों के अंतर्गत गलत वर्गीकरण

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
1.	04-परमाणु ऊर्जा विभाग	1.07	3401/50	विभाग ने विश्वविघालयों, अनुसंधान संस्थानों, संस्थानों एवं गैर-सरकारी संस्थानों की दी गई सहायता पर किए गए ₹1.07 करोड़ के व्यय को विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' की बजाय गलत रूप से विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया था।	विभाग ने बताया (जनवरी 2015) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को नोट कर लिया गया था तथा ब.अ. 2014-15 से इसका अनुपालन किया जाएगा।
2.		8.98	3401/34	विभाग ने विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, संस्थाओं एवं गैर-सरकारी संस्थानों के लिए दी गई सहायता पर ₹8.98 करोड़ का व्यय किया था तथा इस राशि को विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' की बजाए विषय शीर्ष '34-छात्रवृति/वजीफा' के अतंर्गत दर्ज किया गया था।	
3.	07-उर्वरक विभाग	0.77	2852/50	बाह्य स्रोत कार्मिकों तथा परामर्शदाताओं को कार्यरत करने पर भुगतान हेतु ₹0.77 करोड़ का व्यय किया गया था जिसे विषय शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवाओं' की बजाय विषय शीर्ष 50-'अन्य प्रभारों' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	विभाग ने बताया (नवम्बर 2014) कि लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण को नोट कर लिया गया है तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बाह्य स्रोत कार्मिकों एवं परामर्शदाताओं को कार्यरत करने पर किए जाने वाले भुगतान को वित्तीय वर्ष 2015-16 से '28-व्यावसायिक सेवाओं' के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।
4.	10- कोयला मंत्रालय	7.00	2230/32	कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के प्रशासनिक प्रभारों पर ₹7.00 करोड़ तथा अनुसंधान एवं विकास, अन्वेषण, पर्यावरणीय उपायों एवं कम नियंत्रण,	मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2014) कि विषय शीर्ष 'योगदान' के अंतर्गत व्यय की बुकिंग से संबधित मामला नि.म.ले.प. के विचाराधीन

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
5.		260.20	2803/32	विस्तृत ड्रिलिंग उद्देश्यों पर ₹260.20 करोड़ का व्यय किया गया था तथा गलत रूप से विषय शीर्ष '32-योगदान' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इस व्यय को कोयला एवं लिम्नाइट क्षेत्र के प्रति विशिष्ट सहायता होते हुए संबंधित प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत सही तरीके से वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इस मामले को 2014 के नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं. 1 में भी इंगित किया गया था।	है।
6.	11- वाणिज्य विभाग	38.37	3453/31	कोलकत्ता परिसर के निर्माण पर हुए व्यय करने के लिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (भा.वि.व्या.सं.) को ₹38.37 करोड़ का सहायता अनुदान जारी किया गया था तथा इसे विषय शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपतियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत व्यय के रूप में वर्गीकृत करने की बजाय विषय शीर्ष "31-सहायता अनुदान-सामान्य" लेखे में दर्ज किया गया था।	विभाग के प्रधानलेखा कार्यालय ने बताया (सितम्बर 2014) कि प्रशासनिक विभाग के परामर्श के साथ 2015-16 के अनुदानों हेतु विस्तृत मांगों में लेखे के सही विषय शीर्ष में दर्शाया जाएगा।

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
7.	12-औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग	1.76	2070/50	बाह्य विशेषज्ञों के लिए परामर्शी शुल्क पर ₹0.22 करोड़ तथा डाटाकॉम उपयोग प्रभारों, बी.एस.एन.एल. की पट्टे पर दी गई लाइनों के किराए के प्रभारों पर ₹1.54 करोड़ के व्यय को विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत लेखे में गलत तरीके से दर्ज किया गया था। इन मामलों में परामर्शी शुल्क पर व्यय हेतु '28 व्यावसायिक सेवाओं' तथा डाटाकॉम उपयोग प्रभार, बी.एस.एन.एल आदि की पट्टे पर दी गई लाइनों पर हुए किराए प्रभार आदि पर हुए व्यय हेतु '13-कार्यालय व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।	औ.नी.प्रो.वि. ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर में बताया (सितम्बर 2014) कि केवल 'अन्य प्रभार' विषय शीर्ष 2070.00.117.01.04.50 उपलब्ध था तथा 'अन्य' सृजित नहीं थे। तब से वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु विषय शीर्ष 'कार्यालय व्यय' 'व्यावसायिक सेवाएं' सृजित किया गया था और इसलिए उन्हीं विसंगतियों को दोहराया नही जाएगा।
8.	13-डाक (डाक सेवाएं) विभाग	12.51	3201/50	विभाग ने पोस्ट कार्ड एवं लिफाफों की उत्पादन लागत आई.पी.ओ. के मुद्रण तथा वाहन एवं टिकटों के भाड़ा प्रभारों तथा डाक स्टेशनरी की लागत के भुगतान के प्रति ₹12.51 करोड़ का व्यय किया था जिसे विषय शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवाओं' की बजाय विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किए गए थे।	
9.		1.22	3201/13	विभाग ने प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु ₹1.22 करोड़ का व्यय किया जिसे विषय शीर्ष '26-विज्ञान एवं प्रचार' की बजाय विषय शीर्ष '13-कार्यालय व्यय' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था।	
10.		0.13	3201/50	विभाग ने डाक-टिकट संग्रहण के प्रोत्साहन हेतु संगोष्ठी एवं कार्यशालाओं के आयोजन पर ₹0.13 करोड़ का व्यय किया जिसे विषय शीर्ष '20- अन्य प्रशासनिक प्रभार' की बजाय विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया है।	

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
11.		1.22	3201/50	विभाग ने विज्ञापन एवं प्रचार पर हुए ₹1.22 करोड़ के व्यय को विषय शीर्ष '26-विज्ञापन एवं प्रचार' की बजाय विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था।	विभाग ने बताया (जनवरी 2015) कि अभ्युक्तियों को भावी मार्गदर्शन एवं अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।
12.		0.70	3201/20	विभाग ने राष्ट्रीय डाक-टिकट संग्रहण संग्राहलय/डाक-टिकट संग्रहण ब्यूरो/डाक टिकट संग्रहण काउंटर के उन्नयन एवं अनुरक्षण पर किए गए ₹0.70 करोड़ के व्यय को विषय शीर्ष '27-लघु कार्य' की बजाय विषय शीर्ष '20-अन्य प्रशासनिक व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	
13.		0.46	3201/50	विभाग ने मनोरंजन क्लबों के लिए अनुदान पर ₹0.46 करोड़ का व्यय किया जो विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' की बजाय विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभारों' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया।	
14.		19.74	3201/50	विभाग ने केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (के.स.स्व.यो.) के प्रति ₹19.74 करोड़ का व्यय किया जिसे विषय शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवा' की बजाय विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभारों' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया।	
15.		2.73	3201/50	विभाग ने विशेष स्मारक डाक टिकटों के मुद्रण पर ₹2.73 करोड़ का व्यय किया जिसे विषय शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवा' की बजाय विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभारों' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
16.	14-दूरसंचार विभाग	0.19	3451/32	विभाग ने दूरसंचार कल्याण निधि में ₹0.19 करोड़ राशि का अनुदान जारी किया और उसको विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' की बजाय '32-अंशदान' के अंतर्गत दर्ज किया।	विभाग ने बताया (फरवरी 2015) के वर्ष 2014-15 के लिए डी डी जी में लेखा शीर्ष 3451.00.091.07.01.31- सहयता अनुदान-सामान्य के अंतर्गत पहले से ही ब.अ./सं.अ. 2014-15 के प्रावधान बना लिए गए है।
17.		2163.45	3275/50	विभाग ने बी एस एन एल, बी बी एन एल तथा अन्य दूर संचार सेवा प्रदाता (दू.से.प्र.) को आर्थिक सहायता दावों के निपटान के रूप में ₹2163.45 करोड़ राशि के व्यय को विषय शीर्ष '33-आर्थिक सहायता' की बजाय विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभारों' के अंतर्गत दर्ज किया।	विभाग ने बताया (फरवरी 2015) कि वर्ष 2015-16 के लिए डी डी जी में लेखा शीर्ष 3275.00.103.01.00 के अंतर्गत एक नया विषय शीर्ष '33-आर्थिक सहायता' खोला गया है।
18.		0.12	3451/50	विभाग ने विस्तृत अनुदान मांग तथा वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन हेतु भारत सरकार के मुद्रणालय आई एस पी (नासिक) तथा प्राइवेट पैसा को भुगतान के रूप में ₹0.12 करोड़ के व्यय को विषय शीर्ष '16-प्रकाशन' की बजाय विषयशीर्ष '50-अन्य प्रभारों' के अंतर्गत दर्ज किया।	विभाग ने बताया (फरवरी 2015) कि वर्ष 2015-16 के लिए डी डी जी में लेखाशीर्ष 3451.00.091.08.04 तथा 3451.00.91.08.05 के अंतर्गत एक नया विषय शीर्ष '16-प्रकाशन' खोला गया है।
19.	15-इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1.09	2852/50	विभाग ने वर्ष 2013-14 के लिए मै.गार्टनर इंडिया रिसर्च तथा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड को अंशदान के रूप में ₹96.77 लाख तथा ई एस सी ए पी/एपी सी आई सी टी (यूनिसकेप के क्षेत्रीय संस्थान) को भारत के अंशदान के प्रति किए गए ₹12.52 लाख के व्यय को विषय शीर्ष '32- अंशदान' की बजाय विषय शीर्ष '50- अन्य प्रभारो' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	विभाग ने बताया (दिसम्बर 2014) वर्ष 2014-15 के लिए डी डी जी में लेखा परीक्षा की सिफारिश का पालन कर लिया गया था तथा अंतर्राष्ट्रीय एंजेसियों की सेवाएं लेने के लिए सदस्यता शुल्क को वि.व 2014-15 के दौरान विषय शीर्ष '32- अंशदान' के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
20.	18- कॉरपोरेट मामले मंत्रालय	36.78	3451/50	मंत्रालय ने विषय शीर्ष-50-अन्य प्रभारों के अंतर्गत आधुनिकीकरण, कम्प्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग पर ₹36.78 करोड़ का व्यय दर्ज किया। सेवा सुपुर्दगी परियोजना जिसके अंतर्गत सेवा प्रदाता को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्किंग आदि तथा दी गई सेवा के लिए अग्रिम निवेश करना अपेक्षित है, के संघटकों की गतिविधियों में से एक थी। व्यय को विषय शीर्ष-13-कार्यालय खर्चे तथा 28-व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत पृथक करके वर्गीकृत करना चाहिए था।	मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2014) कि विषय शीर्ष '28-व्यवसायिक सेवाओं' के अंतर्गत खर्चे दर्ज करने में आवश्यक संशोधन वर्ष 2015-16 से किए जाएगें। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मदों पर व्यय को भी '13- कार्यालय व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। मंत्रालय ने बल दिया (अक्टूबर 2014) कि ई.गवर्नेंस के मिशन मोड परियोजना जिसके द्वारा सेवा प्रदाता को बी.ओ.टी (निर्माण-संचालन-हस्तांतरण) मॉडल में सेवाएं प्रदान करने के लिए बजट शीर्ष आधुनिकीकरण कम्प्यूटीकरण, तथा नेटवर्किंग बनाया गया था। परियोजना के लिए आधिप्राप्त कोई हार्ड वेयर उस सेवा स्मारक की सम्पत्ति रही। केवल जनवरी 2013 में परियोजना के समाप्ति चक्र में परिसम्पत्तियों को मंत्रालय द्वारा नए सेवा स्मारक को अगले छः वर्षों के लिए उपयोग करने हेतु ले लिया गया था। वास्तव में नए सेवा प्रदाता की अधिकतर हार्डवेयर को तकनीकी रूप से अप्रचलित होने के कारण बदलने की आशा है। मंत्रालय का तर्क विषय शीर्ष 13-कार्यालय व्यय के अंतर्गत हार्डवेयर मदों पर व्यय करने को वर्गीकृत करने के लिए इसको प्रतिबाधित नहीं करता। चूँकि विषय शीर्ष 28-व्यावसायिक सेवाओं की परिभाषा वर्तमान नियमों के अनुसार सुस्पष्ट है तथा इसमें इन मदों पर किया गया व्यय शामिल नहीं होता है।

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
21.	28-उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	3.00	3601/28	मंत्रालय ने मुख्य शीर्ष 3601-राज्य सरकार को अंतरण के अंतर्गत ₹3.00 करोड़ के अनुदान जारी किए जिसको अनुदान हेतु निमित विषय शीर्ष की बजाय विषय शीर्ष 28-व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत गलत दर्ज किया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित है(फरवरी 2015)
22.	33-आर्थिक कार्य विभाग	12.50	3475/31	एन.सी.ए.ई.आर परिसर के निर्माण के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (रा.प्रा.आ.अ.प.) को ₹12.50 करोड़ का अनुदान संवितरित किया गया जिसको पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु विषय शीर्ष 35 की बजाय विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान- सामान्य' के अन्तर्गत राजस्व भाग के अंतर्गत लेखे में दर्ज किया गया था।	विभाग ने बताया (अक्टूबर 2014) कि व्यय, कर्जों को सहायता अनुदान में परिवर्तन करने के कारण था तथा राशि को 2013-14 के दौरान विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान- सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। सामान्य तथा अनुदान का उद्देश्य संगठन से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति, जो वर्ष में अक्सर देर से होती है, के पश्चात् ही स्पष्ट होता है। तथापि भविष्य में विषय शीर्ष-'35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' को पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु संचालित किया जाएगा। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है (जनवरी 2015)।

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
23.	47-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	16.00	2210/32	मंत्रालय ने गरीब रोगियों को सहायता देने के लिए विभिन्न सरकारी अस्पतालो को राष्ट्रीय आरोग्य निधि के प्रति ₹16.00 करोड़ का व्यय दर्ज किया जिसको विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' की बजाय विषय शीर्ष '32-अंशदान' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि व्यय का वर्गाकरण योजना की प्रकृति जिसके अंतर्गत गरीब लोगो की गंभीर बीमारियों को ध्यान में रखते हुए राशि दी गई थी, पर विचार करते हुए उपयुक्त होना प्रतीत होता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय सहायता को उपयुक्त रूप से सहायता अनुदान के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। विषय शीर्ष 32-अंशदान को भारत सरकार द्वारा सदस्यता शुल्क अथवा अन्यथा के रूप में दिए गए अंशदान को दर्ज करने के लिए अधिक उपयुक्त रूप से प्रयोग करना होता है।
24.	54-मंत्रिमंडल	183.30	2013/12	वायुयान के अनुरक्षण पर किया गया ₹183.30 करोड़ का व्यय गलत रूप से विषय शीर्ष '12-विदेशी यात्रा व्यय' (वि.या.व्य.) के अंतर्गत दर्ज किया गया था। चूँकि व्यय की प्रकृति वायुयान के अनुरक्षण की है, वह 12-वि.या.व्य. के अंतर्गत पंजीकृत होने का पात्र नहीं है तथा इसका सही शीर्ष-50-अन्य प्रभार प्रतीत होता है। इसको नि.म.ले.प. के 2014 के प्रतिवेदन सं. 1 में भी इंगित किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि सही विषय शीर्ष अर्थात '50-अन्य प्रभार' को वर्ष 2014-15 में डी डी जी में समाविष्ट किया गया था।

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
25.	55- पुलिस	731.94	3601/31	60 विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु ₹731.94 करोड़ की राशि विषय शीर्ष '35-पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' की बजाय विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान-सामान्य के अंतर्गत संस्वीकृत की गई थी जिसके ब्यौरे **अनुबंध 4.2** में दिए गए है।	गृह मंत्रालय के प्रधानलेखा कार्यालय ने बताया (अक्टूबर 2014) कि बजट अनुभाग के पास विभिन्न राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों को दिए जा रहे अनुदानों के अंतिम अभीष्ट उद्देश्यों पर कोई सूचना उपलब्ध नही होती। तथापि संबधित प्रभागों के साथ मामला उठाया गया था।
26.	57-सं.रा.क्षे. सरकारों को अंतरण	255.67	3602/31	गृह मंत्रालय ने जवाहर लाल नेहरू शहरी ग्रामीण मिशन (ज.ने.श.ग्रा.मि)/शहरी गरीब लोगो को मूलभूत सेवाएं (श.ग.मू.से.) देने की योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं जैसे सीवर परिशोधन संयंत्र ट्रंक सीवर का पुनर्वास, झुग्गी-बस्तियों के पुनर्वास पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के कार्यान्वयन हेतु सं.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को ₹255.67 करोड़ की निधियां/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी की। समस्त राशि विषय शीर्ष '35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान' की बजाय विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान- सामान्य' के अंतर्गत दर्ज की गई थी।	मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2014) कि अभ्युक्ति को अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया था।
27.	58-आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	2.38	2215/31	मिजोरम में नाथियल में झुग्गी क्षेत्र विकास के निर्माण हेतु राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (रा.भ.नि.नि.) नई दिल्ली को जारी किए गए ₹2.38 करोड़ के व्यय को विषय शीर्ष '35-पूँजीगत परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान' की बजाय विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान- सामान्य' में गलत दर्ज किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि अभ्युक्ति को अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया था तथा ऐसे खर्चों को विषय शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान' के अनुसार वर्गीकरण का सुझाव दिया गया था। इसका वर्ष 2015-16 के डी.डी.जी. में स्पष्टत: उल्लेख किया जाएगा।

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
28.		22.58	2216/31	त्रिपुरा में शहरी गरीबों के लिए आवास योजना तथा निष्कासित फेरीवालों के पुनर्वास हेतु शॉपिंग सेन्टर तथा असम में विक्रेताओं के पुनर्वास हेतु बाजार परिसर के निर्माण हेतु राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (रा.भ.नि.नि.) नई दिल्ली को जारी किया गया ₹22.58 करोड़ का व्यय विषय शीर्ष '35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' की बजाय विषय शीर्ष '31- सहायता अनुदान- सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया है।	
29.	66-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय (सू.ल.एवं म.उ.म.)	10.78	2851/20	खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (खा.एवं ग्रा.उ.आ.) को यातायात व्ययों तथा आकस्मिक व्ययों के भुगतान को पूरा करने हेतु जारी ₹10.78 करोड़ के सहायता अनुदान को, अनुदान के राजस्व खंड में विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान' के अंतर्गत वर्गीकृत करने की बजाए विषय शीर्ष '20-अन्य प्रशासनिक व्यय' के अंतर्गत लेखों में बुक कर दिया गया।	मंत्रालय ने बताया (सितम्बर/नवम्बर 2014) कि विषय शीर्ष '20-अन्य प्रशासनिक व्यय' के अंतर्गत यात्रा तथा आकस्मिकता हेतु बजट प्रावधान को 2014-15 के अनुपूरक अनुदान के प्रथम बैच में विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान' स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
30.		0.56	2851/50	सू.ल.एवं म.उ. विकास संस्थान के जरिए योग्यता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु ₹0.56 करोड़ के व्यय को विषय शीर्ष '20-अन्य प्रशासनिक व्यय' के अंतर्गत व्यय के वर्गीकरण की बजाए विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत लेखों में बुक किया गया।	मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2014) कि बी.ई. 2014-15 विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) ने 'अन्य प्रभार' के स्थान पर 'अन्य प्रशासनिक व्यय' के अंतर्गत निधियों का आवंटन किया।

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
31.		4.42	2851/32	मंत्रालय ने अंतराष्ट्रीय सहकारी स्कीम (अ.स.स्कीम) के अंतर्गत ₹4.42 करोड़ की राशि जारी की तथा उसे विषय शीर्ष '32-अंशदान' के अंतर्गत बुक किया। चूंकि स्कीम की गतिविधियों में भारतीय सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उपक्रमों की तकनीकी प्रोन्नति के नये क्षेत्रों की खोज के लिए अन्य देशों को भेजे गए मू.ल.म.उ. के व्यावसायिक प्रतिनिधि मंडलों की प्रतिनियुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनिकों, व्यापार मेले, सेमिनार तथा सम्मेलन सम्मिलित हैं। यह व्यय सही तौर से विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।	मंत्रालय ने बताया (मार्च 2015) कि '32-अंशदान' की बजाए विषय क्षेत्र '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के अंतर्गत आई.सी.स्कीम से संबंधित व्यय की बुकिग के लिए लेखा अनुभाग से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा था।
32.	70- प्रवासीय भारतीय कार्य मंत्रालय	3.58	2061/50	मंत्रालय ने इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन (आई.डी.एफ.) तथा ओवरसीस इंडियन फेसिलिएशन सैंटर (ओ.आई.एफ.सी.) के लिए अनुदान के रूप में ₹3.58 करोड़ का व्यय किया जिसे अनुदानों के लिए बने विषय शीर्षों की बजाए गलती से विषय शीर्ष '50 अन्य प्रभार' में बुक कर दिया।	मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2014) कि आई.डी.एफ. तथा ओ.आई.एफ.सी. को जारी निधियॉ, प्रचालन व्यय थीं तथा मंत्रालय के विकास कार्यक्रमों/गतिविधियों को चलाने के लिए थीं तथा विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान' एवं '36- सहायता अनुदान - वेतन' के अंतर्गत आई.डी.एफ. तथा ओ.आई.एफ.सी. से संबंधित अनुदानों/निधियों की बुकिंग हेतु नये शीर्ष खोलने के प्रस्ताव किया गया था।

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
33.	74- पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1.00	3451/28	अंतराष्ट्रीय ऊर्जा फोरम सचिवालय, सऊदी अरेबिया को भारतीय सदस्यता शुल्क का भुगतान करने के लिए ₹1.00 करोड़ के व्यय को विषय शीर्ष '32-अशदान' की बजाए गलती से '28-व्यावसायिक सेवाएं' के अंतर्गत लेखों में बुक कर दिया गया। इस मामले केा वर्ष 2014 के नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं. 1 में भी इंगित किया गया। 2013-14 के दौरान संस्वीकृत व्यय को प्रारंभ में विषय शीर्ष '32-अशदान' के अंतर्गत व्यय को डेबिट करने हेतु जारी किया गया था। तथापि, मंत्रालय द्वारा जारी धन को टोकन अनुपूरक की गैर-प्राप्ति के कारण संचालित नहीं किया जा सका। संस्वीकृति आदेश का एक शुद्धि-पत्र, विषय शीर्ष '28-व्यवसायिक सेवाएं' में व्यय को डेबिट करने हेतु 31 मार्च 2014 को जारी किया गया। इस प्रकार ₹1.00 करोड़ के व्यय को गलती से विषय शीर्ष '28-व्यवसायिक सेवाएं' में वर्गीकृत किया गया।	मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2014) कि प्रावधान 2014-15 में विषय शीर्ष '32-अंशदान' के अंतर्गत बनाया गया है।
34.	85-विज्ञान एवं तकनीकी विभाग	1.32	3425/31	विभाग ने तकनीकी विकास बोर्ड (एक स्वायत्त निकाय) की ₹13.50 करोड़ की राशि के अनुदान दिए जिसमें ₹0.11 करोड़ स्थायी कर्मचारियों के वेतन के लिए और ₹1.21 करोड़ अन्य कर्मचारियों के वेतन के लिए था जिन्हें पृथक करके क्रमश: विषय शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन', तथा '28-व्यवसायिक सेवाएं' के अनुदान' की बजाए गलती से विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' में बुक कर दिया गया।	

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
35.	90- अंतरिक्ष विभाग	0.38	5402/60	पी.ए.ओ. आई.एस.आर.ओ. मुख्यालय द्वारा प्राप्त पूंजीगत उपस्कर (ऑटोमेटिड वैदर स्टेशन की स्थापना) तथा पी.ए.ओ.-आईएस.टी.आर.ए.सी. द्वारा प्राप्त मशीनरी एवं उपकरण क्रमश: ₹14 लाख तथा ₹24 लाख की राशि को बिषय शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' की बजाए गलती से विषय शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय' में बुक कर दिया गया।	विभाग ने कहा (दिसम्बर 2014), इसने व्यय की बुकिग पर निर्देशिका जारी करने के लिए एक समिति बनाई थी।
36.		1.40	3402/21	विभाग ने ₹1.40 करोड़ की राशि को विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत बुक किया जिसे बाद में स्थानांतरण प्रविष्टि सं. 6359 (26 मार्च 2014) द्वारा (आई.सी.एफ. लेखे) के तहत विषय शीर्ष '21-आपूर्ति एवं सामग्री' में स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत पर्याप्त बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं था।	
37.		0.49	3402/50	विभाग ने आई.पी.आर. परामर्श सेवाओं पर ₹0.49 करोड़ का व्यय किया जिसे विषय शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवाओं' की बजाए गलती से विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' में बुक कर दिया।	
38.		0.12	3402/50	विभाग ने वार्षिक अनुरक्षण प्रभारों (वा.अनु.प्र.) पर ₹0.12 करोड़ का व्यय किया जिसे विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' की बजाए गलती से विषय शीर्ष '27-लघु कार्य' में बुक कर दिया।	

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
39.		1.70	3402/50	विभाग ने सैंटर फोर स्पेस एंड टेक्नोंलोजी एजुकेशन इन एशिया एंड पैसिफिक (सी.एस.एस.टी.ई.ए.पी.) को दिए अंशदान पर ₹1.70 करोड़ का व्यय किया जिसे विषय शीर्ष '32-अंशदान' की बजाए गलती से विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' में बुक कर दिया।	
40.		5.05	3402/50	विभाग ने सार्क मीटरोलोजिकल रिसर्च सैंटर (एस.एम.आ.सी.), ढाका को दिए गए अंशदान पर ₹5.05 करोड़ का व्यय किया जिसे विषय शीर्ष '32-अंशदान' की बजाए गलती से विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत बुक कर दिया।	
41.		0.94	3402/50	विभाग ने संविदात्मक सेवाओं पर ₹0.94 करोड़ का व्यय किया जिसे विषय शीर्ष '30-अन्य संविदात्मक सेवाओं' की बजाए गलती से विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत बुक कर दिया।	विभाग ने कहा (दिसम्बर 2014), इसने 'व्यय की बुकिंग पर संक्षेप' को जारी करने के लिए एक समिति बनाई थी।
42.		5.38	3402/ 13,20, 27 तथा 50	विभाग ने पी.ए.ओ.- बीएस.एस.सी. (सी) आई.एस. ए.सी. (सी) आई.एस.आर.ओ. मुख्या तथा आई.एस.टी.आर.ए.सी. को दी सहायता पर ₹5.38 करोड़ का व्यय किया जिसे विषय शीर्ष 33-आर्थिक सहायता की बजाए गलती से विभिन्न विषय शीर्षों के अंतर्गत बुक कर दिया।	
43.		18.01	3402/ 27, 50	विभाग ने 'संविदात्मक सैटेलाइट ट्रैनिंग सेवाओं पर' ₹18.01 करोड़ का व्यय किया; जिसमें से से ₹16.65 करोड़ तथा ₹1.36 करोड़ को विषय शीर्ष '30-अन्य संविदात्मक सेवाओं' की बजाए गलती से क्रमश: विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' तथा '27-लघु कार्य' में बुक कर दिया।	

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
44.		3.13	3402/50	विभाग ने फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी (पी.आर.एल.) अहमदाबाद (एक स्वायत्त निकाय) के अनुदान पर ₹3.13 करोड़ का व्यय किया जिसे गलती से, अनुदानों के लिए बने विषय शीर्षों की बजाए विषय शीर्ष- '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत बुक किया गया।	विभाग ने कहा (दिसम्बर 2014) इसरों भूमंडल जैवमंडल परियोजना (आई.जी.बी.पी.) अपने अंतर्गत आने वाली विभिन्न इकाईयों/स्वायत्त निकायों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। अत: इस परियोजना के अंतर्गत अपने स्वायत्त निकायों को जारी निधियों को सहायता अनुदान के रूप में समझा जा सकता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सरकारी विभाग द्वारा किसी स्वायत्त निकाय अथवा किसी बाह्य एजेंसी को परियोजना/कार्यक्रम/स्कीम के लिए जारी निधियों को अनुदानों के लिए बने विषय शीर्षों के अंतर्गत बुक करना अपेक्षित है।
45.		2.91	3402/50	विभाग ने विभिन्न केन्द्रीय स्वायत्त निकायों, प्राधिकारियों संस्थानों के अनुदानों पर ₹2.91 करोड़ का व्यय किया जिसे गलती से अनुदानों के लिए बने विषय शीर्षों की बजाए विषय शीर्ष- '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत बुक किया गया।	विभाग ने कहा (दिसम्बर 2014), इसने 'व्यय की बुकिग पर निर्देशिका' हेतु एक समिति बनाई थी।

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
46.		5.30	3402/50	विभाग ने एटमॉसफिरिक साइंस प्रौजेक्ट (ए.सा.प्रौ.) के अंतर्गत नेशनल एटमोस्फटिक रिसर्च लैबेरेटरी (ने.ए.रि.लै.) तथा सेमी-कंडक्टर लैबोरेटरी (से.कं.ले.) (दोनों स्वायत्त निकाय) को दिए अनुदानों पर क्रमश: ₹4.30 करोड़ तथा ₹1.00 करोड़ का व्यय किया जिन्हें गलती से अनुदानों के लिए बने विषय शीर्षों की बजाए विषय शीर्ष -'50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत बुक किया गया।	विभाग ने कहा (दिसम्बर 2014) ए.सा.प्रौ.को इसके अंतर्गत विभिन्न इकाईयों/स्वायत्त निकायों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसलिए इन प्रौजेक्ट के अंतर्गत स्वायत्त निकायों को जारी निधियों को सहायता अनुदान नहीं समझा जा सकता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सरकारी विभागों द्वारा किसी स्वायत्त निकाय अथवा किसी बाह्य एजेंसी को परियोजना/कार्यक्रम/स्कीम के लिए जारी निधियों को अनुदानों के लिए बने विषय शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध करना अपेक्षित है।
47.	93-वस्त्र मंत्रालय	17.87	2852/31	राय बरेली, उत्तर प्रदेश के एन.आई.एफ.टी. केन्द्र पर प्रशिक्षण केन्द्र तथा आवासीय होस्टल के निर्माण हेतु मैसर्स आई.टी.आई.लि. को जारी राशि को विषय शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत व्यय के वर्गीकरण की बजाए गलती से विषय शीर्ष '31-सामान्य सहायता अनुदान' में लेखाबद्ध कर दिया गया।	मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2014) कि मामले को संबंधित प्रशासनिक डिविजन से उठाया जा रहा था।

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
48.	102- सार्वजनिक निर्माण कार्य	3.23	2059/53	गणतंत्र दिवस समारोह के प्रबंधनों पर तथा उन कार्यों की मदों पर किया गया व्यय जिसने परिणामस्वरूप स्थायी प्रकृति की परिसंपत्ति का सृजन नहीं किया था, विषय शीर्ष '53 मुख्य कार्य' के अंतर्गत लेखों में दर्ज किए गए थे। इस मामले में वर्गीकरण के लिए उचित विषय शीर्ष अनुदान के राजस्व खण्ड में '27-लघु कार्य' होना चाहिए था।	मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2014) कि मुख्य शीर्ष 2059.01.051.01. 00.53 के अंतर्गत प्रावधान प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान अस्थायी ढांचे के लिए किया गया था। ये ढांचे समारोह की समाप्ति पर हटा दिए गए जाते हैं तथा कोई परिसंपत्ति नहीं बनाते हैं। जैसा कि मंत्रालय के उत्तर से स्पष्ट है कि अस्थायी निर्माण पर किया गया खर्च के प्रावधान को विषय शीर्ष '27- लघु कार्य' के अंतर्गत प्राप्त किया जाना चाहिए एवं व्यय के तदनुसार दर्ज किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विषय शीर्ष '53- दीर्घ कार्य' को अनुदान के राजस्व अनुभाग के तहत संचालित नहीं किया जाना चाहिए, यह विषय वर्ग 6 (पूँजीगत परिसंपत्तियों एवं अन्य पूँजीगत व्यय की प्राप्ति) की प्रकृति का है।
	कुल	**3873.43**			

4.7.4 'अन्य देशों को दी जा रही सहायता को दर्ज करने हेतु वस्तु शीर्ष 'अंशदान' का प्रचालन

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली (वि.श.प्र.नि.), 1978 का नियम 8, व्यय के सही वर्गीकरण के उद्देश्य से विवरण/परिभाषाओं सहित विनियोग की मानक प्राथमिक इकाईयों को निर्धारित करता हैं। किसी भी निकाय/प्राधिकरण को दिये गये सहायता अनुदान को वस्तु शीर्षों '31- सहायता अनुदान-सामान्य', '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान', '36-सहायता अनुदान-वेतन' के

अंतर्गत वगीकृत किये जाते हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय निकायों की सदस्यता पर हुए व्यय इत्यादि का वर्गीकरण '32-अंशदान' के अंतर्गत किया जाता है।

वर्ष 2013-14 के लिए विनियोग लेखे एवं विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदान सं. 32 की अनुदानों के लिए विस्तृत मांगों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि नि.म.ले.प. के वित्त-वर्ष 2008-09, 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 हेतु संघ सरकार लेखों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताये जाने के बावजूद 15 मामलों में ₹3,640.04 करोड़ का व्यय, जिसका विवरण **तालिका 4.15** में दिया गया है, गलत रूप से दर्ज कर विनियोग की प्राथमिकता इकाई पर विषय वस्तु शीर्ष '32-अंशदान' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। चूंकि व्यय की प्रकृति विदेश सरकारों को सामान्य/विशिष्ट प्रयोजन हेतु अनुदानों की थी, सही प्रक्रिया अनुसार इसे अनुदानों के लिए बने वस्तु शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया जाना था।

तालिका 4.15: 2013-14 के दौरान विदेश सरकारों को प्रदत्त अनुदानों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्गीकरण	विवरण	व्यय
1.	3605.00.101.07.01.32	दक्षिण एव दक्षिण पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता	6.86
2.	3605.00.101.09.00.32	बंग्लादेश को सहायता	604.66
3.	3605.00.101.10.02.32	भूटान को सहायता (पुनतसंगछू-I एच.ई.पी.)	617.67
4.	3605.00.101.10.03.32	भूटान को सहायता (मांगदेछू एच.ई.पी.)	250.77
5.	3605.00.101.10.04.32	भूटान को सहायता (पुनतसंगछू-II एच.ई.पी.)	251.00
6.	3605.00.101.11.00.32	नेपाल को सहायता	381.37
7.	3605.00.101.12.00.32	श्रीलंका को सहायता	420.80
8.	3605.00.101.13.00.32	मालदीव को सहायता	9.67
9.	3605.00.101.14.00.32	म्यांमार को सहायता	164.86
10.	3605.00.101.15.00.32	अन्य विकासशील देशों को सहायता	61.28
11.	3605.00.101.16.00.32	आपदा राहत को सहायता	14.58
12.	3605.00.101.20.00.32	अफ्रीकी देशों को सहायता	251.92
13.	3605.00.101.25.00.32	यूरेशियाई देशों को सहायता	14.30
14.	3605.00.101.32.00.32	लैटिन अमरीकी देशों को सहायता	4.99
15.	3605.00.101.33.00.32	अफगानिस्तान को सहायता	585.31
		कुल	**3640.04**

मंत्रालय ने नि.म.ले.प. के संघ सरकार लेखे पर वर्ष 2011-12 के प्रतिवेदन सं.1 के पैरा 4.19 के उत्तर में बताया कि मुख्य शीर्ष 3605 में जिन वस्तु शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान प्राप्त किये गये, वे वही थे जो 2010-11 में मौजूद थे।

वि.श.प्र.नि. के अनुसार विषय शीर्ष 'अंशदान', 'अंतर्राष्ट्रीय निकायों की सदस्यता पर व्यय को सम्मिलित करने' के रूप में परिभाषित किया गया है। यह कोई व्यापक परिभाषा न होकर केवल एक समावेशी परिभाषा है। सा.वि.नि. के नियम 206 के अनुसार एक सामान्य सिद्धांत के रूप तौर पर सहायता-अनुदान किसी व्यक्ति अथवा सार्वजनिक निकाय अथवा ऐसे संस्थान को दिया जा सकता है जिसका विशिष्ट वैधानिक अस्तित्व हो। अत: वि.श.प्र.नि. के अंतर्गत ऐसा करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियों को कार्यान्वित करने वाले स्वायत्त संगठनों, स्वैच्छिक संगठन अथवा गैर-सरकारी संगठन, शैक्षिणिक अथवा अन्य संस्थानों को छात्रों के वजीफे एवं छात्रवृत्तियों के माध्यम से, शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय स्वशासी संगठनों, सहकारी समितियों एवं तथा सरकारी कर्मचारियों द्वारा आमोद-प्रमोद के साधनों के तौर पर आपस में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित समितियों अथवा क्लबों को छात्रवृत्ति सहित सहायता अनुदान संस्वीकृत किया जा सकता है। परिभाषा के अनुसार, विदेशी सरकारों को परियोजनाओं के निष्पादन के माध्यम से प्रदान की गयी सहायता वस्तु शीर्ष 'सहायता-अनुदान सामान्य' के अंतर्गत शामिल नहीं है।

मंत्रालय का तर्क कि विदेशी सरकार को प्रदत्त सहायता सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 (सा.वि.नि.) के नियम 206 के अनुसार वस्तु शीर्ष 'सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत शामिल नहीं है, इसलिये ठीक नहीं है कि सा.वि.नि. के नियम 211(2) के अनुसार एक 'विदेशी राज्य' किसी भी अनुदान तथा/ अथवा ऋण हेतु पात्र है। अत: विदेश मंत्रालय द्वारा कार्य 'अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग' तथा कार्यक्रम 'अन्य देशों के साथ सहयोग' के तहत योजना 'विदेशी सरकारों को सहायता अनुदान' के अंतर्गत विदेशी सरकारों को प्रदान किये जाने वाली सहायता दान हेतु बजटीय प्रावधान को विनियोग की उपयुक्त प्राथमिक इकाई के अंतर्गत प्राप्त कर तथा व्यय को तदनुसार लेखाओं में दर्ज किया जाना चाहिए था।

मंत्रालय ने 2013 के प्रतिवेदन सं.1 के पैरा 4.19 के संबंध में दिये अपने पहले के उत्तर को दोहराते हुए आगे बताया (अप्रैल 2014) कि यदि लेखापरीक्षा

अभ्युक्ति को स्वीकार किया जाये तो सहायता अनुदान शीर्षों के अंतर्गत किसी भी संवर्धन हेतु पूर्व संसदीय स्वीकृति अपेक्षित होगी जो एक व्यावहारिक हल नहीं होगा। मंत्रालय ने अप्रैल 2014 में प्रस्तुत अपने उत्तर को पुन: (अक्तूबर 2014) दोहराया।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विदेशी सरकार को दी गयी सहायता को 'सहायता अनुदान' के रूप में ही वर्गीकृत किया जाना चाहिए। 'सहायता अनुदान' के प्रावधान में कोई अपेक्षित संवर्धन प्रचलित नियमों/निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए।

4.7.5 'विशेष केन्द्रीय सहायता' का लेखे के गलत लघु शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को राज्य जन जाति उप-योजना के अनुपूरक के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता (वि.के.स.) प्रदान किया जाता है। जहॉ 'जनजातीय क्षेत्र उप योजना' हेतु आवंटित निधियों को लेखे के विशिष्ट लघु शीर्ष अर्थात '796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना' के अंतर्गत दर्ज किया जाना अपेक्षित है, को लेखों के मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची के सामान्य निर्देशों के अनुसार 'जनजाति उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता' को दर्ज करने हेतु एक पृथक लघु शीर्ष कोड अर्थात 794, चिन्हित किया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹1200 करोड़ की राशि के कुल प्रावधान में से जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा ₹1050 करोड़ की राशि वर्ष 2013-14 में 'जनजातीय उप योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता' के रूप में जारी की गयी थी एवं इस व्यय को अनुदान सं. 95-जनजातीय कार्य मंत्रालय में लेखा के लघु शीर्ष '796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। उपरोक्त प्रावधान तथा बुकिंग लघु शीर्ष '794 जनजातीय उप-योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता' के अंतर्गत किये जाने चाहिए थे जैसाकि प्रचलित अनुदेशों में निर्धारित था।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए संघ सरकार लेखों पर नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं. 1 के पैरा 4.7.5 में भी इस विषय को उठाया गया था।

मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2014) कि अभ्युक्ति को नोट कर लिया गया है तथा लघु शीर्ष '794-जनजातीय उप-योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता' को वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान हेतु विस्तृत मांग में शामिल करने हेतु मामला उठाया जाएगा।

4.7.6 लेखे के गलत लघु शीर्ष के अन्तर्गत बुकिंग

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 72 के अनुसार सरकारी लेन देनों के वर्गीकरण का सामान्य नियम के अनुसार सरकार के क्रियाकलापों, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों से अधिक निकट संबंध होने चाहिए, न कि उस विभाग विशेष से जहाँ व्यय हुआ था। लेखे के मुख्य शीर्ष आमतौर पर सरकार के कार्यों के सदृश होते हैं जबकि लघु शीर्षों से कार्यों के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु किये जा रहे कार्यक्रमों की पहचान होती है।

(i) वर्ष 2013-14 हेतु दूर संचार विभाग की अनुदान सं. 14 के विनियोग लेखे की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि ₹23.11 करोड़ की राशि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान के रूप में दी गई थी तथा उक्त राशि को लघु शीर्ष '798-अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' की बजाए त्रुटि पूर्वक लघु शीर्ष '800- अन्य व्यय' में दर्ज किया गया था।

विभाग ने कहा (फरवरी 2015) कि वर्ष 2014-15 के लिए डी.डी.जी. में लघु शीर्ष '798-अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' खोला जा चुका है तथा बी.ई. 2014-15 हेतु प्रावधान कर लिए गये हैं।

(ii) इसके अतिरिक्त, दूर संचार विभाग की अनुदान सं. 14 में ₹485.88 करोड़ का व्यय, दूर संचार अभियांत्रिक केन्द्र (दू.सं.अ.के.) निदेशालय, सैंटर फॉर डेवलपमैंट ऑफ टैलीमैटिक्स (सी-डॉट) तथा टेलीकॉम एनफोर्समेंट रिसोर्स एवं मॉनीटरिग (टर्म) सैल इत्यादि पर किया जो दूरसंचार विभाग के संलग्न कार्यालय नहीं थे परंतु व्यय को लघु शीर्ष '091-सलंग्न कार्यालय' के अंतर्गत दर्ज किया गया।

लेखों के मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची में सम्मिलित टिप्पणी के अनुसार, लघु शीर्ष '091-सलंग्न कार्यलय' का उपयोग भारत सरकार के संलग्न कार्यालयों पर व्यय दर्ज करने हेतु किया जाता है।

विभाग ने कहा (सितम्बर 2014) कि उचित लेखा शीर्ष खोलने की प्रक्रिया नियंत्रक महालेखा कार्यालय के समक्ष विचाराधीन थी। विभाग ने, आगे बताया (फरवरी 2015) कि विभाग के खातों को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया था जिससे वर्ष 2013-14 के खातों में गलत वर्गीकरण को सुधार पाना संभव नहीं था।

4.8 अंतरिक्ष विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण संस्वीकृति आदेश

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 48 के साथ पठित परिशिष्ट-3 तथा 4 में किसी संगठन द्वारा व्यय के अनुमान तैयार करने के संबंध में वस्तु शीर्ष स्तर तक पूर्ण लेखा वर्गीकरण सहित विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 25 (1) के अनुसार व्यय की सभी संस्वीकृतियों में संबंधित अनुदान या विनियोग जहॉ से इस प्रकार का व्यय किया जाना है, में किये गये प्रावधानों के विवरण दर्शाए जाएंगे।

वर्ष 2013-14 के लिए अनुदान सं. 90-अंतरिक्ष विभाग के विस्तृत अनुदान मांगों में वस्तु शीर्ष स्तर तक पूरे लेखा वर्गीकरण के साथ व्यय प्राक्कलन शामिल किए गए जिसमें राजस्व एवं पूंजीगत खंड के अंतर्गत पृथक रूप से योजनागत तथा गैर-योजनागत व्यय दर्शाये गये थे।

परन्तु विभाग द्वारा जारी संस्वीकृति आदेशों की संवीक्षा से पता चला कि इनमें संपूर्ण वर्गीकरण जहॉ से राशि डेबिट की जानी चाहिए को दर्शाते हुए सही लेखा शीर्षों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया। इसकी बजाए, विभाग द्वारा जारी सभी संस्वीकृति आदेशों में केवल उप-शीर्ष स्तर (अर्थात वर्गीकरण का चौथा स्तर) तक वर्गीकरण दर्शाया गया था। नमूना जांच में देखे गये संस्वीकृति आदेशों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

तालिका 4.16: नमूना जाँच में देखे गए वित्तीय संस्वीकृति आदेशों के ब्यौरे

क्र. सं.	संस्वीकृत सं.व. तिथि	परियोजना का नाम (लेखा शीर्ष)	संस्वीकृत प्राधिकारी	राशि (₹ करोड़ में)
1.	सी.19011/3/2013-सै.3 दिनांक 10 अक्तूबर 2013	सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र, श्री हरिकोटा में द्वीतीय वाहन एसेम्बली भवन की लक्ष्यपूर्ति 3402.00.101.25	मंत्रीमंडल सचिवालय	363.95
2.	सी.19011/3/2012-सै.3 दिनांक 17 जुलाई 2013	जी.एस.ए.टी.-16 संचार उपग्रह एवं प्रक्षेपण सेवा 3252.00.053.13/14, 5252.00.203.09/10	मंत्रीमंडल सचिवालय	865.50
3.	सी .19011/2/2012-सै.3 दिनांक 17 जुलाई 2013	जी.एस.ए.टी.-15 संचार उपग्रह एवं प्रक्षेपण सेवा 3252.00.053.11/12, 252.00.203.07/08	मंत्रीमंडल सचिवालय	859.50
4.	सी.19013/48/2012-सै.3 दिनांक 12 अगस्त 2013	भविष्य अंतरिक्ष आधारित चौकसी (एस.बी.एस.) कार्यक्रम	मंत्रीमंडल सचिवालय	4640.86
कुल				**6729.81**

यह भी देखा गया कि क्र.सं. 4 के संस्वीकृत आदेश में लेखा शीर्ष जिसमें राशि डेबिट की जानी थी, का लेखा वर्गीकरण कहीं पर उल्लिखित नहीं था।

संपूर्ण लेखा वर्गीकरण के अभाव में विभाग द्वारा जारी संस्वीकृति आदेश त्रुटिपूर्ण थे तथा उनमें व्यय की उचित बुकिंग और वर्गीकरण से संबंधित स्पष्ट निर्देश नही दिए गए थे।

इस मामले पर वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के लिए नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1 में भी टिप्पणी की गई थीं, लेकिन विभाग द्वारा कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं की गई।

विभाग ने अपने पूर्व उत्तर को दोहराते हुए पुन: कहा (सितम्बर 2014/जनवरी 2015) कि परियोजना के संस्वीकृति आदेश चौथे स्तर तक ही जारी किए गए क्योंकि समस्त परियोजना व्यय को लम्बी अवधि के लिए एक सम्पूर्ण योजना के रूप में माना जाता है, तथा प्रारम्भिक स्तर पर आवंटन की किन्हीं वस्तु शीर्षों के प्रति पहचान कर पाना संभव नहीं होता, इसलिए संस्वीकृति आदेशों को उपशीर्ष स्तर तक जारी किया गया था।

विभाग का उत्तर सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 में निर्दिष्ट प्रावधानों के विरूद्ध है। संसद अनुदानों हेतु विस्तृत मांगों में वर्गीकरण के वस्तु शीर्ष स्तर तक व्यय के सकल प्रावधानों/आकलनों का अनुमोदन करती है। अत: व्यय करने के लिये जारी संस्वीकृति आदेशों में संबंधित अनुदान अथवा विनियोग, जहॉ से व्यय

की पूर्ति की जानी है, से संबंधित वस्तु शीर्ष स्तर के वर्गीकरण को दिखाया जाना चाहिए जैसा उपरोक्त प्रावधानों में निर्दिष्ट है।

4.9 एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करने के माध्यम से अप्राधिकृत संवर्धन

सरकार द्वारा केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रदान करने हेतु मध्यस्थता योजना के रूप में क्रमश: अनुसूचित जनजातियों हेतु विशेष संघटक योजना तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु जनजातीय उप-योजना प्रारम्भ की गई थी। ऐसी योजनाएं इन विशेष समूहों को उनकी संबंधित जनसंख्या के आकार के अनुपात में सभी संबंधित विकास क्षेत्रों से निधियों की गारंटी प्रदान करके लाभ सुनिश्चित करने के लिए है। इन दोनों उप योजनाओं का मूल उद्देश्य अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में, दोनों भौतिक तथा वित्तीय प्रकार से, परिव्यय के प्रवाह तथा सामान्य क्षेत्रों से लाभों को दिशा देना है। वित्तीय वर्ष 2011-12 से योजनागत आवंटन के एक भाग के रूप में अनुसूचित जाति उप योजना (अ.जा.उ.यो.) तथा जनजातीय उप योजना (ज.उ.यो.) हेतु आवंटनों को तैयार करने हेतु पहल की गई थी। सरकार ने समार्पित मुख्य शीर्ष 'अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक (कोड 789)' तथा 'जनजातीय उपयोजना (कोड 796)' को प्रारम्भ करके ऐसे आवंटनों को दर्ज करने हेतु एक उपयुक्त लेखांकन क्रियाविधि स्थापित की थी। तद्नुसार, केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों की अनुदानों की विस्तृत मांगों में एक योजनागत योजना के अंतर्गत 'सामान्य योजना', अनुसूचित जातियों हेतु विशेष संघटक तथा 'जनजातीय क्षेत्र उप योजना' हेतु अलग बजट सीमाओं सहित प्रथम रूप से प्रावधान प्राप्त किए गए हैं। 'अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक' तथा 'जनजातीय क्षेत्र उप-योजना' के अंतर्गत किए गए प्रावधान को, अ.जा.उ.यो. तथा ज.उ.यो. के अंतर्गत अन्य योजनाओं में उसी शीर्ष को छोडकर, पुनर्विनियोजित किया जाना अनुमत नहीं है जिससे विपथन की किसी भी संभावना से बचा जाता है।

सा.वि.नि. 2005 के नियम 48 के नीचे परिशिष्ट-3 के पैरा 4 (जिसमें बजट बनाने के लिये अनुदेश समाहित हैं) में प्रावधान है कि जहां एक योजना/

परियोजना पर प्राथमिक खर्चों की पूर्ति हेतु या आकस्मिक स्थितियों की पूर्ति हेतु तत्कालीन मापदण्डों का प्रावधान किया जाता है, के अतिरिक्त, बजट में एक मुश्त प्रावधान नहीं किये जायेंगे, जो वित्तीय वर्ष में चालू करने हेतु, सैद्धान्तिक तौर पर स्वीकृत किए जा चुके हैं।

वर्ष 2013-14 हेतु अवासीय एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान सं. 58 के विनियोग लेखे के साथ-2 समेकित सारांश की संवीक्षा से पता चला कि सितम्बर 2013 में आर्थिक कार्य मंत्रीमंडल समीति (सीसीईए) ने 'राजीव रिन योजना (रा.रि.यो.)' परियोजना को पारित किया। मंत्रालय ने विषय शीर्ष "33 आर्थिक सहायता" के अन्तर्गत, अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचतों में से, सामान्य घटक, अनुसूचित जाति तथा आदिवासी क्षेत्र उपयोजना हेतु विशेष घटक योजना के अंतर्गत राशि विशिष्ट घटक-वार ब्यौरा दिए बिना रा.रि.यो. योजना हेतु, ₹50 करोड़ का एक टोकन स्वरूप पूरक प्रवाधान प्राप्त किया (दिसम्बर 2013)।

राशि को अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत, सामान्य घटक, विशिष्ट घटक योजना के तहत विशिष्ट घटक वार ब्यौरा दिए बिना ₹50 करोड़ के एकमुश्त पूरक को संसद का राशि विशिष्ट पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना, योजना के तीन घटको में संविभाजित किया गया था। क्योंकि, बजट खंड का ज्ञापन दिनांक 25 मई 2006 के अनुसार, आर्थिक सहायता पर किये गये व्यय के कारण, व्यय नई सेवा/सेवा के नये साधन की सीमाओं को आकर्षित करता है, संसद के राशि विशिष्ट पूर्व अनुमोदन अनिवार्य रूप से तीनों योजनाओं हेतु आवश्यक थे परन्तु इसे प्राप्त नही किया गया था। किये गये व्यय के विवरण नीचे दिये गये हैं:

तालिका 4.17: एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान का अनधिकृत वितरण

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं.	योजना शीर्ष	प्रावधान				व्यय
		ब.अ.	उ.पू.	सं.प्रा.	पू.प्रा.	
58-आवसीय एवं शहरी	राजीव ऋण योजना (आर. आर. वाई.) 2216.02.789.05.00.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25

अनुदान सं.	योजना शीर्ष	प्रावधान				व्यय
		ब.अ.	उ.पू.	सं.प्रा.	पू.प्रा.	
गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	राजीव ऋण योजना (आ. आ. वाई.) 2216.02.796.05.00.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
	राजीव ऋण योजना (आर. आर. वाई.) (सामान्य घटक) 2216.02.190.15.00.33	0.00	0.00	0.00	50.00	37.55
योग					**50.00**	**50.00**

* ब.अ. बजट अनुमान, उ.पू.मु.शी. 2552/4552/4552/6552 के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए प्रावधान, एस.ए. अनुपूरक मांग अनुदान के द्वारा संसद की प्राधिकृत अनुमोदित सं.प्र. संपूर्ण प्राधिकरण।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि वित्त मंत्रालय ने, शीर्ष खोलने की अनुमति प्रदान कर दी थी और अनुपूरक मांगों का प्रावधान संसदीय अनुमोदन के पश्चात किया था। तदुपरान्त तीनों शीर्षों के अन्तर्गत निधियों के संवर्धन करने हेतु अनुदान में उपलब्ध बचतों मे से पुनर्विनियोजन हेतु प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा गया था। तदनुसार, वर्ष 2013-14 के दौरान निधियो के प्रावधानों एवं जारी करने को परिचालित किया गया था। अत: अनिवार्य अ.जा.उ.यो. एवं ज.उ.यो. घटकों के प्रति अभिप्राय के साथ-साथ निधियों के चिन्हित को भी सावधानी पूर्वक एवं गंभीरता से लिया गया था जबकि निधियो के संवितरण को अनिवार्य पूर्वक बजट प्रावधानों के 22.5 प्रतिशत तथा 2.4 प्रतिशत रखा गया था।

मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा के इस बिन्दु को, कि जबकि निधियों का अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र उपयोजना हेतु विशिष्ट घटक योजना हेतु चिन्हित होना अनिवार्य था, मंत्रालय को प्रत्येक घटक हेतु विशिष्ट रूप से संसद से राशि विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए था ना कि एकमुश्त अनुपूरक प्रावधानों का, क्योंकि सभी तीनों घटकों की विशिष्ट बजट लाईन है, को संबोधित नहीं करता है।

4.10 विषय शीर्ष के अंतर्गत एकमुश्त प्रावधान की प्राप्ति

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली प्रत्यायोजन के नियम 8 में अनुबंधित है कि शीर्ष एकमुश्त (विषय शीर्ष 42) अंतर्गत प्रावधान में योजना/उप योजना/संगठन, जहां प्रवाधान ₹10 लाख से अधिक नहीं होते हैं, के संबंध में

व्यय शामिल होगा। सभी अन्य मामलों में व्यय का ब्यौरा अवश्य दिया जाना चाहिए।

वर्ष 2013-14 हेतु गृह मंत्रालय से सम्बंधित अनुदान सं. 53 के विनियोग लेखाओं की जांच ने प्रकट किया कि निम्नलिखित मामलों में व्यय के पूर्ण ब्यौरे सहित संसदीय स्वीकृति प्राप्त किए जाने जो वर्तमान नियमावली के तहत आवश्यक था के बजाए ₹ 10 लाख से अधिक के एकमुश्त प्रावधान प्राप्त किए गए थे।

तालिका 4.18: एकमुश्त प्रावधान

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	प्रावधान	व्यय
		(₹ करोड़ में)	
1.	2070.00.105.17.00.42	0.45	0.33
2.	2070.00.105.18.00.42	0.70	0.98
3.	2070.00.105.19.00.42	0.60	0.87
4.	2070.00.119.03.09.42	0.15	0.14
5.	2070.00.119.03.11.42	0.32	0.24

मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2014) कि वर्तमान वर्ष 2014-15 से सभी एकमुश्त प्रावधानों के मामलों को अन्य कार्यशील विषय शीर्षों में हस्तान्तरित कर दिया गया था।

4.11 सरकारी राशि को सरकारी लेखाओं से बाहर रखना

संविधान की धारा 114 एवं 115 भारतीय समेकित निधि से, सम्बद्ध वित्तीय वर्ष हेतु सेवाओं पर व्यय करने हेतु विनिर्दिष्ट राशि के आहरण को प्राधिकृत करती है। आगे, प्राप्ति एवं भुगतान लेखे नियमावली 1983 के नियम 11 के अनुसार, लेखे अधिकारी द्वारा जारी किये गये उसके स्वयं के सरकारी खाते में से राशियों का आहरण नहीं किया जा सकता प्रति खोले गये चैको के प्रति या एक चैक आहरित डी. डी. ओ. द्वारा एक उसके स्वयं के प्रति खोले गये लेखे से एक विशेष प्राधिकृत बैंक की शाखा पर जारी किये चैक को छोड़ कर ऐसे खाते विभाग के वित्त सलाहकार के आदेशों के अन्तर्गत महालेखा-नियंत्रक लेखे (सी.जी.ए.) के साथ परामर्श के साथ ही खोले जायेंगे। सरकारी लेखा निधि एवं वित्तीय नियमावली में सार्वजनिक निधियों को सरकारी लेखाओं से बाहर रखने के लिए कोई प्रावधन नहीं है।

अन्तरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) तथा इसकी इकाई भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इ.स.रो.ओ.) की प्राथमिक जिम्मेदारी, अन्तरिक्ष विज्ञान तथा तकनीकी के विकास को उन्नत करना है ताकि स्वावलम्बन की प्राप्ति में मदद मिले और देश के चहुंमुखी विकास की सुगमता एवं अन्तरिक्ष अध्यवसाय हेतु भी जिसके लिए समय-समय पर विभिन्न विकास परियोजनाएं कार्यान्वयित की जाती हैं। अनेक परियोजनों की उपलब्धियां, जिनमें विकासशील करार तथा डिजाइन हेतु क्रय आदेश, निर्माण, आपूर्ति, अन्तरिक्ष मिशनों में उपयोग किए गये विभिन्न अन्तरिक्ष उपभोज्यों का स्थापना एवं नियुक्ति करना शामिल थे।

अन्तरिक्ष विभाग से सम्बंधित अनुदान सं. 90 की संवीक्षा से पता चला कि विभाग ने इसकी दो इकाईयों अर्थात विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र (वी.एस.एस.सी.) तथा द्रव प्रणोदन प्रणाली केन्द्र (एल.पी.एस.सी.) को अनुमति प्रदान की, ताकि इसके 16 करारों/खरीद आदेशों को कार्यान्वित करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) की शाखाओं में एक निलम्ब खाता[3] खोला जा सके। विभाग तथा इसरों केन्द्रों में इन परियोजनाओं को चलाने के लिए एक निलम्ब खाता के संचालन हेतु एस. वी. आई. एवं ठेकेदारों के साथ एक त्रिपक्षीय करार किया।

आगे संवीक्षा ने से पता चला कि 2002-03 वी.एस.एस.सी. तथा एल.पी.एस.सी. ने भारतीय समेकित निधि से ₹718.67 करोड़ की एक राशि भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) में 16 निलम्ब खातों में स्थानान्तरित की थी और ₹79.15 करोड़ का ब्याज कमाया था जैसा कि **अनुबन्ध-4.3** में विवरण दिया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारतीय समेकित निधि से राशियों का आहरण और निलम्ब खाते खोल कर समयावधि विस्तार से अधिक राशियों को खर्च करने की अनुमति के लिए बैंकों को स्थान्तरण संसदीय प्राधिकरण का उल्लंघन है। इस

[3] निलम्ब खाता एक न्यास खाता है जो बैंक में ऋणी के नाम से खोला जाता है। कुछ बाध्यताएं जैसे कि संपत्ति करों, बीमा किश्त आदि के भुगतानों के निर्वाह हेतु जिसमें राशि भुगतान से पहले प्रत्यक्ष रूप से बैंक को स्थानांतरित की जाती है और बैंक यथा अनुपात भुगतान विभिन्न करार के दायित्वों को पूरा करने के प्रमाण में कुछ कागजात प्रस्तुत करने के पश्चात ठेकेदारों को जारी करते हैं।

प्रकार ₹206.98 करोड़ की सार्वजनिक निधियों को 31 मार्च 2014 को सरकारी खाते से बाहर रखना अनियमित था और नियम 56 के उल्लंघन में था जिसमें प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त प्रावधान समाप्त माने जाते हैं।

इसी प्रकार भी एक अभियुक्ति जो मार्च 2013 की समाप्ति पर की गई थी के लिए विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2014) कि बकाया पांच लेखाओं में से एक खाता अन्तिम समाधान के अन्तर्गत था और इसके अप्रैल 2014 में बन्द होने की आशा थी तथा शेष के चार खाते 2014-15 में एक सीमित अवधि हेतु चालू रहेंगे क्योंकि इससे सम्बन्धित कार्य अभी प्रगति पर थे।

विभाग ने बताया (फरवरी 2015) कि शेष चार खाते भी अप्रैल 2015 तक बन्द कर दिए जायेंगे।

4.12 सूचना तकनीकी पर किये गये व्यय का प्रकटीकरण न होना

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा 'सूचना तकनीकी' पर किये गये व्यय के शीर्षों के वर्गीकरण सामान्य मानकीकरण को सुनिश्चित करने तथा इसकी मॉनिटरिंग की सुविधा हेतु, वित्त मंत्रालय ने अपने का.ज्ञा.सं. 15(4)/बी (डी)/2003 दिनांक 9 जुलाई 2003 के द्वारा सूचना तकनीकी को मानक कोड, अर्थात '99' के साथ अनुदानों के लिए विस्तृत मांगों में वर्गीकरण के पांचवे स्तर पर रखने के लिए हार्डवेयर, साफ्टवेयर, रख-रखाव, साफ्टवेयर का विकास, प्रशिक्षण आदि सहित सूचना तकनीक के उपयोग को आगे बढ़ाने हेतु मंत्रालय/विभाग द्वारा किए गए व्यय के समेकीकरण के उद्देश्य को पूरा करने का निर्णय लिया।

वर्ष 2013-14 के अन्तरिक्ष विभाग से सम्बन्धित अनुदान सं. 90 के विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि निम्नलिखित भु.ले.का. द्वारा कम्प्यूटर/सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर की खरीदों पर ₹5.40 करोड़ का व्यय किया गया था, परन्तु व्यय को विस्तृत शीर्ष स्तर पर '99-सूचना तकनीकी' मे बुक नही किया गया था जैसाकि विभिन्न मुख्य/लघु शीर्षों के अन्तर्गत आदेशों के विस्तार के अन्तर्गत आवश्यक था।

तालिका 4.19: 2013-14 के दौरान कम्प्यूटर पर किये गये व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

सं.	केन्द्र का नाम	व्यय
1.	भु.ले.का. इसरो (मुख्यालय)	1.27
2.	भु.ले.का. वी. एस. एस. सी. (केन्द्र)	3.66
3.	भु.ले.का. आई. एस. टी. आर. ए. सी.	0.28
4.	भु.ले.का. आई. एस. ए.सी.(केन्द्र)	0.19
	योग	**5.40**

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए विभाग ने बताया (सितम्बर/ दिसम्बर 2014) कि वर्ष 2015-16 हेतु अनुदानों के लिए विस्तृत मांग में विस्तृत शीर्ष "99-सूचना एवं तकनीकी' को खोलने हेतु वित्त मंत्रालय से उपयुक्त मार्गदर्शन प्राप्त किये जायेंगे। विभाग का उत्तर माननीय नहीं है क्योंकि यह का. ज्ञा. वित्त मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को प्रति वर्ष जारी किये जाने वाले बजट परिपत्र का भाग है जो अनुमान तैयार करने हेतु जारी किया जाता है।

4.13 रक्षा सेवाएं (अनुदान 22 से 27)

4.13.1 गलत तकनीकी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करना

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बजट नियम पुस्तिका 2010 का पैरा 3.2 बताता है कि एक तकनीकी अनुपूरक अनुदान तीन अवसरों पर प्राप्त किया जाता है (क) चार भागों में से एक भाग से निधि का अभ्यपर्ण तथा उसको मांग के अनुसार किसी अन्य भाग में उपयोग होने पर, (ख) योजना का एक मांग से दूसरी मांग में अंतरण होना जिसके परिणामस्वरूप मांग जिसमें योजना अंतरित की गई है, से राशि अभ्यर्पित करके उसका अन्य मांग, जिसमें योजना स्थानांतरित की गई हैं, में उपयोग किए जाने, तथा (ग) छोड़ देना/बट्टे खाते डालना।

रक्षा मंत्रालय की अनुदानों हेतु छः मांगे है, पांच राजस्व भाग में तथा एक पूंजीगत भाग में। रक्षा सेवाओं के वर्ष 2013-14 के विनियोग लेखे की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अनुदानों की पांच राजस्व मांगों में, संसद से तृतीय तथा अंतिम बेच के माध्यम से कुल ₹8,365.70 करोड़ (राजस्व प्रभारित में ₹183.42 करोड़ तथा राजस्व दत्तमत में ₹8,182.28 करोड़) की गलत तकनीकी

अनुदानों हेतु अनुपूरक मांगे प्राप्त की गई थी। ये तकनीकी अनुपूरक प्रावधान अनुदान सं. 27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय में उपलब्ध बचतों से प्राप्त किए गए थे। अनुदानों हेतु पांच राजस्व मांगों में प्राप्त गलत अनुपूरक प्रावधानों के विवरण निम्नानुसार हैं:

तालिका 4.20: गलत अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करना

मांग का विवरण	प्राप्त किया गया तकनीकी अनुपूरक प्रावधान (₹ करोड़ में)	
	राजस्व (प्रभारित)	राजस्व (दत्तमत)
22-रक्षा सेवाएं-थल सेना	110.00	4711.37
23-सेवाएं- नौ सेना	19.82	949.69
24-रक्षा सेवाएं - वायुसेना	50.40	1032.51
25-रक्षा आयुध - कारखाना	3.20	1363.56
26-रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास	0.00	125.15
जोड़	**183.42**	**8,182.28**

इस प्रकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा मांग सं. 27 से मांग सं. 22 से 26 में तकनीकी अनुपूरक प्रावधान द्वारा ₹8,365.70 करोड़ की निधियों का अंतरण करना गलत प्रस्तावित किया गया और वित्त मंत्रालय द्वारा भी इसे गलत स्वीकार किया गया था जिससे बजट नियम पुस्तिका के पैरा 3.2 में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करके एक मांग से दूसरी मांग में अनियमित अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया।

रक्षा मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2014) कि तकनीकी अनुपूरक प्रावधान की वित्त मंत्रालय द्वारा जांच की गई थी। उसने आगे बताया कि सिविल अनुदानों से भिन्न, रक्षा सेवा अनुमानों में चार भाग नहीं होते, बल्कि प्रत्येक अनुदान में दो भाग होते हैं। अनुदान सं. 22 से 26 दत्तमत और प्रभारित भागों सहित पूर्णत: राजस्व अनुदान होते है जबकि अनुदान सं. 27 दत्तमत और प्रभारित भागों से संपूर्णत: पूंजीगत अनुदान है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि जैसाकि बजट नियम पुस्तिका में स्पष्ट किया गया है, जब एक भाग की बचतों को दूसरी भाग पर उपयोग करना होता है अथवा एक मॉग से बचतों को दूसरी मॉग पर उपयोग किया जाना होता है तब तकनीकी अनुपूरक प्रावधान अपेक्षित होता है।

मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य को देखते हुए स्वीकार्य नहीं है कि अनुदान सं. 27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय में बचतों को मंत्रालय के अन्य पांच मांगो में उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि भाग सं. 27 से किसी योजना का किसी अन्य पांच भागों में कोई अंतरण नहीं था।

आगे, अनुदानों हेतु तीसरे अनुपूरक भाग के अनुपालन में रक्षा मंत्रालय को अनुदान सं. 27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय से ₹8,365.70 करोड़ की राशि का अभ्यपर्ण करना अपेक्षित था। तथापि, मंत्रालय ने केवल ₹7,868.50 करोड़ ही अभ्यर्पित किए और ₹497.20 करोड़ तक कम अभ्यपर्ण हुआ। कम अभ्यपर्ण की राशि का वर्ष 2013-14 में, मांग सं. 27 रक्षा सेवाओं पर परिव्यय में ₹79,125.05 करोड के वास्तविक व्यय तथा ₹78,375.03 करोड़ के कम हुए प्रावधान के बीच अंतर को पूरा करने के लिए अंशत: उपयोग किया गया था।